

# दूसरी SECOND

# अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

## केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

# 2013-2014

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पिठत अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर December, 2013

## परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरी बैच 2013-14.

वर्ष 2013-14 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 60 अनुदानें और 1 विनियोजन शामिल हैं। ₹18,594.27 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹13,126.93 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹5,466.25 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या सेवा के नए उपकरण वाले मामलों में बचत के पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, 109 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

- निवल नगद खर्च वाले प्रस्ताव के परिणामस्वरुप बजट अनुमान 2013-14 में प्रक्षेपित घाटे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा।
- 3. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

#### INTRODUCTORY NOTE

**Subject:** Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2013-2014.

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2013-2014 includes 60 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹18,594.27 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 13,126.93 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 5,466,25 crore. Besides, token provision of ₹109 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

- 2. Proposal involving net cash outgo will not result in any significant variation in deficit projected in Budget Estimates 2013-2014.
- 3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			•	-\-	s in Crore)
			आयोजना-भिन्न	-	Total
	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
	पन और उर्वरक मंत्रालय उर्वरक विभाग देशी उर्वरकों के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने के लिए (₹5,500 करोड़)।	<ul> <li>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS</li> <li>Department of Fertilisers         For providing additional subsidy under indigenous fertilisers (₹ 5,500 crore).     </li> </ul>	-	2,000.00	2,000.00
कोय	ला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10	कोयला मंत्रालय निम्न के लिए अतिरिक्त व्यय (क) 'विस्तृत ड्रिलिंग' की स्कीम के अंशदान (₹30 करोड़), (ख) 'क्षेत्रीय समन्वेषण' स्कीम के लिए अंशदान (₹20 करोड़), (ग) 'कोयला फील्ड क्षेत्रों कोयला व लिग्नाइट में यातायात अवसंरचना का विकास' संबंधी स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी (₹26.07 करोड़), जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ₹1.07 करोड़ शामिल हैं, और (घ) कोयला फील्ड क्षेत्रों में यातायात अवसंरचना के विकास के लिए उप कर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण के लिए सब्सिडी (₹25 करोड़)।	For additional expenditure towards (a) contributions for the scheme of 'Detailed Drilling' (₹ 30 crore), (b) contributions for the scheme 'Regional Exploration' (₹ 20 crore), (c) Subsidy (₹ 26.07 crore) under the scheme of 'Development of Transport Infrastructure in Coal field Areas'-Coal and Lignite including ₹ 1.07 crore for North-Eastern Region, and (d) Subsidy (₹ 25 crore) against collection of cess (Excise Duty) towards 'Development of Transport Infrastructure in Coal field Areas.	100.00	-	100.00
वाणि	ज्य एंव उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11	वाणिज्य विभाग 1 अगस्त, 2013 से ब्याज की राजकीय सहायता दरों में 2% से 3% की वृद्धि के कारण ब्याज की राजकीय सहायता स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त खर्च (₹275 करोड़) के लिए।	11 Department of Commerce  For additional expenditure (₹ 275 crore) under Interest Subvention Scheme on account of increase in the interest subvention rate from 2% to 3% w.e.f. 1st August, 2013.	-	4.00	4.00

#### वित्त मंत्रालय

#### 34 वित्तीय सेवा विभाग

निम्न को कॉर्पस निधि प्रदान करने के लिए (क) कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी निधि स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (₹500 करोड़) और (ख) फैक्टरिंग एक्ट, 2011 के अनुसार

#### MINISTRY OF FINANCE

#### 34 Department of Financial Services

For providing corpus to (a) National Credit Guarantee Trust Company to set up a credit Guarantee Fund for Skill Development (₹ 500 crore), and (b) Small Industrial

			रोड़ रुपए Rupee:	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (₹500 करोड़)।	Development Bank of India (₹ 500 crore) to set up a Credit Guarantee Fund in consonance with Factoring Act, 2011.	500.00	-	500.00
भारी उद्योग और सार्वजनिक उध्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND			
51 भारी उद्योग विभाग हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूंजीगत लाभ कर देयता को पूरा करने के लिए व्यय हेतु।	PUBLIC ENTERPRISES  51 Department of Heavy Industry For expenditure towards meeting the Capital Gain Tax Liability of Heavy Engineering Corporation Limited.	-	182.43	182.43
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
74 पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निम्न के लिए (क) पैट्रोलियम विनियामक बोर्ड के संस्थापना संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए (₹7.17 करोड़), (ख)(i) पैट्रोलियम उथ्पादों की बिक्री (₹9,000 करोड़) और (ii) एलपीजी उपभोक्ता स्कीम की नकद सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण (₹1,336 करोड़) के लिए तेल विपणन कंपनियों को भुगतान करने के लिए।	74 Ministry of Petroleum and Natural Gas For (a) meeting establishment related expenditure of Petroleum Regulatory Board (₹7.17 crore), (b) releasing payments to Oil Marketing Companies on account of (i) sale of petroleum products (₹ 9,000 crore), and (ii) Direct Transfer of Cash Subsidy of LPG Consumers Scheme (₹ 1,336 crore).	-	10,336.00 1	0,336.00
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप- राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
77 राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय अतिरिक्त संस्थापना संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए (₹4.73 करोड़)।	77 Staff, Household and Allowances of the President  For meeting additional establishment related expenditure (₹ 4.73 crore).	_	4.50	4.50
कुल नकद खर्च	Total Cash Outgo	600.00	12,526.93 1	
<ol> <li>अनुपूरक अनुदान मांगों के इस बैच में ₹5466.25 करोड़ की तकनीकी अनुपूरक अनुदानों/विनियोजन शामिल हैं जो अतिरिक्त प्राप्तियों/उगाहियों या मंत्रालयों/विभागों की तत्संबंधी बचतों से सुयोजित की गई हैं। मदें निम्नानुसार हैं :-</li> </ol>	4. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 5,466.25 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/ Departments. The items are as follows:			
अनुदानों हेतु तकनीकी पूरक मांगें	Technical Supplementary Demands for grants			
नागरिक उड्डयन मंत्रालय  9 नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर रेडियो लोजिकल डिटेक्शन उपस्करों के प्रापण और अधिष्ठापन संबंधी व्यय के लिए।	MINISTRY OF CIVIL AVIATION  9 Ministry of Civil Aviation For expenditure towards procurement and installation of Radiological Detection Equipments at International Airports.	30.00	-	30.00
कोयला मंत्रालय  10 कोयला मंत्रालय  कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के लिए अधिग्रहीत भूमि हेतु भू-विस्थापितों को	MINISTRY OF COAL  10 Ministry of Coal  For meeting expenditure towards payment of compensation to land oustees for land			
क्षतिपूर्ति के भुगतान का खर्च पूरा करने हेतु।	acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited.	-	1,672.00	1,672.00

				रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण		Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वाणि	गज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11	वाणिज्य विभाग (क) 1 अगस्त, 2013 से ब्याज इमदाद को 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत करने से हुई वृद्धि के कारण ब्याज इमदाद योजना के तहत अतिरिक्त खर्च (₹275 करोड़) हेतु।	<ul> <li>Department of Commerce</li> <li>(a) For additional expenditure (₹ 275 crore) under Interest Subvention Scheme on account of increase in the interest subvention rate from 2% to 3%</li> </ul>			
12	(ख) डीजीएसएंडडी के संबंध में न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले खर्च को पूरा करने हेतु। आद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	<ul> <li>w.e.f. 1st August, 2013.</li> <li>(b) For meeting expenditure arising out of court decree in respect of DGS&amp;D.</li> <li>12 Department of Industrial Policy and Promotion</li> </ul>	-	50.00 0.20	0.20
	(क) निवेश सहायता (पुरानी) योजना के तहत न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले खर्च को पूरा करने हेतु (ख) बौद्धिक संपदा कार्यालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यालय भवन के निर्माण पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	<ul> <li>(a) For meeting expenditure arising out of court decree under Investment Subsidy (Old) Scheme.</li> <li>(b) For meeting additional expenditure towards construction of office buildings for Modernisation &amp; Strengthening of Intellectual Property Offices.</li> </ul>	0.04	8.00	0.04 8.00
	पर एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  डाक विभाग  (क) न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।  (ख) न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले तिमलनाडु में अधिग्रहीत भूमि और भवन की संवर्धित क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY  13 Department of Posts  (a) For meeting additional expenditure arising out of court judgement.  (b) For meeting additional expenditure towards payment of enhanced compensation of land and building acquired in Tamil Nadu circle arising out of court judgement.	0.67	0.12	0.12
	श मंत्रालय विदेश मंत्रालय मालदीव की सरकार को स्टेंडबाई क्रेडिट सुविधा (₹155 करोड़) देने हेतु।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  32 Ministry of External Affairs For providing Standby Credit Facility (₹ 155 crore) to Government of Maldives.	-	125.00	125.00
	मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (क) स्थापना, आदि (₹25.76 करोड़ ), (ख) कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि के तहत विनिमय दर बदलाव (₹7 करोड़ ), (ग) अफ्रीकी विकास निधि की बहुपक्षीय ऋण राहत पहल (₹1.28 करोड़), (घ) (i) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंघान परिषद को दिए गए अवसंरचना ऋण का सामान्य अनुदान सहायता में रूपान्तरण (₹12.50 करोड़), (ii) तकनीकी सहयोग के लिए सामूहिक धन निधि (₹0.80 करोड़), (iii)	MINISTRY OF FINANCE  33 Department of Economic Affairs For additional expenditure towards (a) establishment, etc (₹ 25.76 crore), (b) exchange rate fluctuations under International Fund for Agricultural Development (₹ 7 crore), (c) Multilateral Debt Relief Initiative of African Development Fund (₹ 1.28 crore), (d) (i) conversion of infrastructure loan (₹ 12.50 crore) into Grants-in-aid General to National Council for Applied Economic Research, (ii)			

Common Wealth Fund for Technical

Cooperation (₹ 0.80 crore), (iii) Organisation

for Economic Cooperation and Development

Network on Fiscal Relations (₹ 0.36 crore),

(iv) Grants-in-aid related expenditure for

newly created Global Funds for AIDS, TB

राजकोषीय संबंधों पर आर्थिक सहयोग एवं

विकास नेटवर्क संगठन (₹0.36 करोड़),

(iv) एड्स, टीबी एवं मलेरिया के लिए

सृजित नई वैश्विक निधियों हेतु खर्च संबंधी

अनुदान सहायता (₹20.59 करोड़), और

(v) टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक

			रोड़ रुपए Rupees	
नुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
गठबंधन (₹6.20 करोड़), तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों एवं वैश्विक पर्यावरण को अंशदान हेतु विनिमय दर भिन्नता (₹6.60 करोड़) के अतिरिक्त खर्च हेतु।	and Malaria (₹ 20.59 crore), and (v) Global Alliance for Vaccination and Immunisation (₹ 6.20 crore), and (e) exchange rate variation (₹ 6.60 crore) for Contribution to United Nations Development Programmes			
4 वित्तीय सेवाएं विभाग स्ट्रैस्ड ऐसैट स्टेबिलाइजेशन फंड को प्रतिभूति के प्रतिदान हेतु खर्च को पूरा करने के लिए।	and Global Environment.  34 Department of Financial Services For meeting expenditure towards redemption of securities to Stressed Assets	-	65.56	65.56
6 राज्य एवं संघ क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरण	Stabilisation Fund.  36 Transfers to State and Union Territory Governments  For write off of loans to State Governments	-	300.00	300.00
13वीं वित्त समिति की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों को दिए गए ऋण को बट्टे खाते डालने हेतु।  राजस्व विभाग	<ul><li>as per 13th Finance Commission's recommendations.</li><li>42 Department of Revenue</li></ul>	-	63.69	63.69
न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्रय कर एवं उस पर ब्याज के भुगतान के खर्च हेतु।  4 अप्रत्यक्ष कर	For expenditure towards payment of Purchase Tax and Interest thereon as per Court's order.  44 Indirect Taxes	-	26.50	26.50
(क) 'पुरस्कारों' (₹7 करोड़), और (ख) विज्ञापन एवं प्रचार (₹34.42 करोड़) के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु ।	For meeting additional expenditure towards (a) 'Rewards' (₹ 7 crore), and (b) Advertising & Publicity (₹ 34.42 crore).	-	31.02	31.02
रिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
<ul> <li>परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में विवाचन निर्णय से संबंधित भुगतान के लिए।</li> <li>आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग</li> </ul>	<ul> <li>47 Department of Health and Family Welfare For making payment to relating to Arbitration Award in pursuance of directions of Hon'ble High Court of Delhi.</li> <li>48 Department of Ayurveda, Yoga &amp; Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)</li> </ul>	-	16.29	16.29
कार्यालय भवन के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure towards acquisition of office building.	18.00	-	18.00
ारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय  1 भारी उद्योग विभाग  (क) एचएमटी लिमिटेड के संबंध में (i) ऋण पर ब्याज (₹201.88 करोड़), (ii) गारंटी शुल्क (₹3.76 करोड़) माफ करने, (ख) (i) ऋण माफ करने (₹38.99 करोड़), (ii) एन्डू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के संबंध में संचित हानियों (₹12.95 करोड़) के प्रति भारत सरकार की इक्विटी को बट्टे खाते डालने, तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के गारंटी शुल्क (₹2.53 करोड़) को माफ	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES  51 Department of Heavy Industry For (a) waiver of (i) interest on loan (₹ 201.88 crore), (ii) Guarantee Fee (₹ 3.76 crore) in respect of HMT Limited, (b) (i) waiver of loan (₹ 38.99 crore), (ii) write off of Government of India Equity against accumulated losses (₹ 12.95 crore) in respect of Andrew Yule and Company Limited, and (c) waiver of guarantee fee (₹ 2.53 crore) of Heavy Engineering Corporation Limited.	_	260.11	260.11
करने के लिए। <b>ह मंत्रालय</b>	MINISTRY OF HOME AFFAIRS		200.11	200.11
5 पुलिस (क) सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों को अंतिम उपदान के भुगतान (₹8.17 करोड़), (ख) (i) (1) वेतन (₹2,220.11 करोड़), (2) पीओएल (₹41.01 करोड़), दिल्ली पुलिस	For (a) payment of terminal gratuity for personnel of Sashastra Seema Bal (₹ 8.17 crore), (b) expenditure on (i) (1) Salary (₹ 2,220.11 crore), (2) POL (₹			

			रोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
के लिए अन्य प्रभारों (₹71 करोड़ रू.), तथा (ii) निर्भया निधि (₹2 करोड़ रू.) पर व्यय के लिए। (ख) (i)(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (15 करोड़), (2) सीमा सुरक्षा बल (₹50 करोड़), (3) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (₹0.14 करोड़) (4) दिल्ली पुलिस (₹60 करोड़) के मोटर वाहनों तथा (ii) निर्भया निधि (₹1 करोड़)	Nirbhaya Fund (₹ 2 crore).  (b) For meeting additional expenditure on  (i) Motor Vehicles of (1) Central  Reserve Police Force (₹ 15 crore), (2)	-	2,230.28	2230.28
पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।  57 संघ क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरण	crore), (4) Delhi Police (₹ 60 crore) and (ii) Nirbhaya Fund (₹ 1 crore).  57 Transfers to Union Territory Governments	-	1.00	1.00
(क) विश्व बैंक से अनुदान (₹0.64 करोड़), (ख) पुदुचेरी की सरकार को पास थ्रू सहायता (₹9.96 करोड़) के लिए।	For (a) Grants from World Bank (₹ 0.64 crore), (b) loan as Pass through assistance (₹ 9.96 crore) to Government of Puducherry.	10.60	-	10.60
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 61 Ministry of Information and Broadcasting			
सूचना एवं प्रचार पर अतिरक्ति पूंजीगत परिव्यय खर्च के लिए।	For additional capital outlay expenditure on Information and Publicity.	1.70	-	1.70
खान मंत्रालय  67 खान मंत्रालय  भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की समुद्र में जाने वाली अनुसंधान पोतों की खरीद से संबंधित परामर्शी शुल्क के भुगतान के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु।	payment of Consultancy Fees relating to	5.00	-	5.00
नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69 नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय निर्मल ऊर्जा निधि से पूरा की जाने वाली नई और नवीकरणीय ऊर्जा के तहत खर्च को पूरा करने हेतु।	<b>69 Ministry of New and Renewable Energy</b> For meeting expenditure under New and	183.41	-	183.41
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायतकर्ताओं को ट्रैप मनी (₹0.40 करोड़) की प्रतिपूर्ति, (ख)(i) कार्यालय व्यय (3.15 करोड़), (ii) चिकित्सा उपचार (₹1 करोड़ रू.), और किराया, दरों और करों (₹4 करोड़) पर सीबीआई के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने तथा (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अतिरिक्त खर्च (₹1.87 करोड़) पूरा करने के लिए।	crore) to complainants in Central Bureau of Investigation (CBI), (b) meeting additional expenditure of CBI on (i) Office Expenses (₹ 3.15 crore), (ii) Medical Treatment (₹ 1 crore), and (iii) Rent, Rates	-	10.42	10.42
विद्युत मंत्रालय  76 विद्युत मंत्रालय  त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के तहत खर्च को पूरा करने हेतु।	<ul> <li>MINISTRY OF POWER</li> <li>76 Ministry of Power For meeting expenditure under Accelerated Power Development Reform Programme.</li> </ul>	125.00	-	125.00

			रोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन् Non Plan	न जोड़ Total
वस्त्र मंत्रालय 93 वस्त्र मंत्रालय मैसर्स बर्ड जूट एवं निर्यात लिमिटेड को उनके स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के अनुसार ऋण उपलब्ध करने हेतु।	MINISTRY OF TEXTILES  93 Ministry of Textiles  For providing loan to M/s Birds Jute and Export Limited in terms of their approved Revival Plan.	-	0.50	0.50
पर्यटन मंत्रालय 94 पर्यटन मंत्रालय बौद्ध केन्द्रों के तहत जेआईसीए सहायता-प्राप्त परियोजनाओं को परामर्शी (₹1.50 करोड़) के भुगतान हेतु।	<ul> <li>MINISTRY OF TOURISM</li> <li>94 Ministry of Tourism For payment to consultants (₹ 1.50 crore) to JICA aided projects under Buddhist Centres.</li> </ul>	1.00	-	1.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय  95 जनजातीय कार्य मंत्रालय  (क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (₹2 करोड़), तथा (ख) लघु वन उत्पदों के विपणन के लिए तंत्र (₹119.35 करोड़) की योजनाओं के तहत सामान्य अनुदान सहायता के लिए।	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS  95 Ministry of Tribal Affairs  For Grants-in-aid General under the schemes of (a) Vocational Training in Tribal Areas (₹ 2 crore), and (b) Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (₹ 119.35 crore).	74.35	-	74.35
संघ क्षेत्र (विधानसभा के बिना)	UNION TERRITORIES (WITHOUT			
96 अंडमान एवं निकोबार द्वीप विद्युत उत्पादन के लिए एचएसडी की खरीद हेतु अतिरिक्त खर्च (₹160 करोड़) को पूरा करने के लिए।	LEGISLATURE)  96 Andaman and Nicobar Islands  For meeting additional expenditure (₹ 160 crore) for purchase of HSD for Power generation.	-	122.22	122.22
शहरी विकास विभाग 101 शहरी विकास विभाग राष्ट्रपति संपदा के लिए (क) लघु कार्यों (₹5.87 करोड़), (ख) किराया, दरों एवं करों (₹6 करोड़), और दीर्घ कार्यों (₹21.70 करोड़) के खर्च हेतु।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  101 Department of Urban Development  For expenditure towards (a) Minor Works (₹ 5.87 crore), (b) Rent, Rates and Taxes (₹ 6 crore), and (c) Major Works (₹ 21.70 crore) for President's Estate.	-	33.57	33.57
कुल तकनीकी	Total Technical	449.77	5,016.48	5,466.25
5. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में 1 लाख रू. प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, जिसके सामने इंगित खर्च को संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजीगत खंड, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत बचतों के पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा।	5. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
अनुदानों हेतु सांकेतिक पूरक मांगें	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय  1 कृषि एवं सहकारिता विभाग  (क) 'फसल कटाई' के तहत अनुदान सहायता	MINISTRY OF AGRICULTURE  1 Department of Agriculture and Cooperation  (a) Grants-in-aid related expenditure under	145.05		1/5 05
संबंधित खर्च के लिए। (ख) दामोदर घाटी निगम हेतु सामान्य सहायता-	'Crop Husbandry'. (b) For Grants-in-aid General to Damodar	165.07	-	165.07
अनुदान। (ग) राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी मिशन के अतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु और जनजातीय क्षेत्रीय उप-योजना हेतु अतिरिक्त सहायता-	Valley Corporation.  (c) For Grants-in-aid General under National Mission on Bamboo Technology and additional Grants-in-	-	0.45	0.45
अनुदान।	aid for Tribal Area Sub-Plan.	28.00	-	28.00

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) 'एकीकृत ऑयलसीड्स/ऑयलपाम/दाल एवं मक्का विकास योजना के पक्ष में जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। (ड) राष्ट्रीय जैव कृषि प्रचार परियोजना के अंतर्गत मुख्य कार्य के पक्ष में अतिरिक्त व्यय को पूरा	<ul> <li>(d) For Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan towards the Scheme of 'Integrated Oilseeds/Oilpalm/Pulses and Maize Development.</li> <li>(e) For meeting additional expenditure towards Major Works under National</li> </ul>	24.22	-	24.22
करने हेतु।	Project on promotion of organic farming.	3.80	-	3.80
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा (क) शुरू किए गए नए शीर्षों के अंतर्गत नाभिकीय रिसाइकल बोर्ड (एनआरबी) के व्यय को पूरा करने हेतु।	4 Atomic Energy  (a) For meeting expenditure of Nuclear Recycle Board (NRB) under newly opened heads.		316.08	316.08
(ख) रणनीतिक गतिविधियों हेतु सुरक्षा प्राधिकरण के पक्ष में व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards Safety Authority for Strategic	-		
(ग) परमाणु ऊर्जा उद्योगों से संबंधित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को पूरा करने हेतु।	Activities.  (c) For meeting additional capital expenditure relating to Atomic Energy	-	10.00	10.00
(घ) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय के पक्ष में व्यय को पूरा करने हेतु।	Industries.  (d) For meeting expenditure towards Capital Outlay on Atomic Energy	8.00	2.45	10.45
5 नाभिकीय विद्युत स्कीमें (क) भारतीय निर्भया विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) में निवेश के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 61.33 करोड़) और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के संबंध में इक्विटी के लिए ब्याज मुक्त ऋण के अंतरण के लिए पूर्वाविध समायोजन रखा (₹ 29 करोड़) के लिए।	Research.  5 Nuclear Power Schemes  For (a) additional expenditure (₹ 61.33 crore) towards investment in Bhartiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited (BHAVINI), and (b) carrying out prior period adjustment towards conversion of interest-free loan to equity (₹ 29 crore) in respect of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL).	550.72 90.33	-	550.72 90.33
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
8 फार्मास्यूटिकल्स विभाग मेसर्स हिन्दुस्तान लिमिटेड को उनके कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु ऋण प्रदान करने के लिए।	8 Department of Pharmaceuticals For providing loan to M/s Hindustan Antibiotics Limited towards payment of salaries of their employees.	-	5.00	5.00
नागर विमानन मंत्रालय  9 नागर विमानन मंत्रालय  (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूंजीगत  आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए	<ul> <li>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</li> <li>9 Ministry of Civil Aviation <ul> <li>(a) For expenditure towards Grants for creation of Capital Assets to Airport</li> </ul> </li> </ul>			
अतिरिक्त व्यय । (ख) हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	Authority of India. (b) For Grants-in-aid General to Airports Economic Regulatory Authority.	129.17	1.10	129.17
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND			
12 औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग	INDUSTRY  12 Department of Industrial Policy and Promotion			
निम्न के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु (क) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को अंशदान (₹ 3 करोड़) और (ख)निम्न को वेतन (i)राष्ट्रीय सीमेंट	For additional expenditure towards (a) contribution (₹ 3 crore) to United Nations Industrial Development Organisation, and			

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
और बिल्डिंग सामग्री परिषद (₹ 0.50 करोड़), और (ii) पेपर, लुगदी और संबल उद्योग विकास परिषद (₹ 0.50 करोड़)।	(b) Grants-in-aid Salary to (i) National Council for Cement and Building Material (₹0.50 crore), and (ii) Development Council for Paper, Pulp and Allied Industries (₹0.50 crore).	-	4.00	4.00
संप्रेषण एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय 14   दूर संचार विभाग	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY  14 Department of Telecommunications			
<ul><li>(क) हेमिस्फेयर प्रोपर्टिज इंडिया लिमिटेड में इक्विटी निवेश हेतु।</li><li>(ख) हेमिस्फेयर प्रोपर्टिज इंडिया लिमिटेड में ऋण</li></ul>	<ul><li>(a) For equity investment in Hemisphere Properties India Limited.</li><li>(b) For providing loan to Hemisphere</li></ul>	0.03	-	0.03
प्रदान करने हेतु।	Properties India Limited.	1.00	-	1.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 17. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग दादर एवं नगर हवेली (₹ 0.74करोड़) तथा लक्षद्वीप (₹ 0.70 करोड़) में टीपीडीएस प्रचालनों एंडटूएंड कम्प्यूटरीकरण के लिए।	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION  17 Department of Food and Public Distribution For end to end computerisation of TPDS operations in (a) Dadra & Nagar Haveli (₹ 0.74 crore), and (b) Lakshadweep (₹ 0.70 crore).	1.44	-	1.44
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय (क) कला और संस्कृति के अंतर्गत व्यय संबंधी लिए अनुदानों के लिए।	<ul><li>19 Ministry of Culture</li><li>(a) For Grants related expenditure under Art and Culture.</li></ul>	98.72	18.43	117.15
<ul> <li>(ख) उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में व्यय संबंधी अनुदानों के लिए।</li> <li>(ग) स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्मशती मनाने के लिए "शताब्दी तथा वर्षगांठ समारोह" योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) तथा (ii) टैगौर सांस्कृतिक परिसर के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) हेतु।</li> </ul>	<ul> <li>(b) For Grants related expenditure in North Eastern Areas.</li> <li>(c) For (i) Grants-in-aid General under the scheme 'Centenaries and Anniversaries Celebration' to commeorate 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda (₹ 2 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets for Tagore Cultural</li> </ul>	36.47	-	36.47
(घ) (i) राष्ट्रीय संग्रहालय (₹ 1करोड़), (ii) सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अनुसंघान प्रयोगशाला (₹ 1 करोड़) तथा (iii) राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा (₹1 करोड़) की भवन परियोजनाओं के लिए मुख्य कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Complexes (₹ 10 crore).  (d) For meeting additional expenditure under Major Works towards building projects of (i) National Museum (₹ 1 crore), (ii) National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (₹ 1 crore), and (iii) National	12.00	-	12.00
	Gallery of Modern Arts (₹ 1 crore).	3.00	-	3.00
रक्षा मंत्रालय  22. रक्षा सेवाएं-थल सेना  राष्ट्रीय पर्वतारोहण तथा संबद्ध खेल संस्थान तथा अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	MINISTRY OF DEFENCE  22 Defence Services - Army For providing Grants-in-aid to National Institute of Mountaineering and Allied Sports and other Institutes.	_	33.00	33.00
25. रक्षा आयुध निर्माणियां विद्यालयों को सहायता अनुदान दिये जाने के लिए। 27. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय निम्नलिखित पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए (क) सेना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए (₹ 359 करोड़), (ख) मशीनरी और उपकरणों	<ul> <li>25 Defence Ordnance Factories For providing Grants-in-aid to Schools.</li> <li>27 Capital Outlay on Defence Services For meeting expenditure on (a) acquisition of land for Army (₹ 359 crore), (b) procurement of machinery and equipment</li> </ul>	-	0.15	0.15

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
की अधिप्राप्ति के लिए (₹150 करोड़), (ग) निर्माण कार्य (₹ 50 करोड़), अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु। (घ) आयुध कारखानों के लिए मशीनरी उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए, (₹ 120 करोड़), (ड) रोलिंग स्टाक और मेक प्रोसीजर (₹ 0.01 करोड़)।	(₹ 150 crore), (c) works (₹ 50 crore) for research and development, (d) procurement of machinery and equipment (₹ 120 crore) for Ordnance Factories, and (e) Rolling Stock and Make Procedure (₹ 0.01 crore).	-	679.01	679.01
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
28. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	28 Ministry of Development of North Eastern Region			
(क) उत्तरपूर्वी क्षेत्र हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि. (एनईएचएचडीसी)। को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	<ul> <li>(a) For Grants-in-aid General for implementation of Voluntary Retirement Scheme to North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Limited (NEHHDC).</li> </ul>	2.00	_	2.00
(ख) एनईएचएचडीसी में साझा निवेश के लिए।	(b) For equity investment in NEHHDC.	4.00	-	4.00
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  31. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को दिए जाने वाले सामान्य सहायता अनुदान पर आने वाले खर्च का पूरा करने के लिए। (ख) प्रदूषण के शमन हेतु सहायता (₹ 1करोड़) और (ख) डिजर्टीफिकेशन सेल (₹1.50 करोड़)।	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS  31 Ministry of Environment and Forests For meeting expenditure on Grants-in-aid General towards Externally Aided Projects under the schemes of (a) Assistance for Abatement of Pollution (₹ 1 crore) and (b) Desertification Cell (₹ 1.50 crore).	2.50	-	2.50
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
32 विदेश मंत्रालय भूटान शाही सरकार की सहायता देने हेतु।	<b>32 Ministry of External Affairs</b> For providing aid to Royal Government of Bhutan.	-	661.00	661.00
वित्त मंत्रालय  33. आर्थिक कार्य विभाग  (क) सिक्यूरिटी प्रिटिंग प्रैस एण्ड माइनिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. से सिक्कों की खरीद पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए।  (ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश से	MINISTRY OF FINANCE  33 Department of Economic Affairs  (a) For additional expenditure towards purchase of coins from Security Printing and Mining Corporation of India Limited.  (b) For additional expenditure relating to	-	355.00	355.00
सम्बंधित अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	Investments in International Financial Institutions.	-	157.01	157.01
<ul><li>39 व्यय विभाग सातवें वेतन आयोग के गठन के लिए।</li><li>42. राजस्व विभाग</li></ul>	<ul><li>39 Department of Expenditure</li></ul>	-	3.50	3.50
<ul> <li>(क) कर प्रशासन सुधार आयोग (₹ 2.58 करोड़) पर आने वाले खर्च के लिए और (ख) विभिन्न अन्तराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान (₹ 0.22 करोड़) के लिए।</li> <li>43. प्रत्यक्ष कर कोच्चि में नये कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए और मैसूर में आवासीय क्वार्टरों, गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए।</li> </ul>	For expenditure (a) of the Tax Administration Reform Commission (₹ 2.58 crore), and (b) contribution (₹ 0.22 crore) to various International Organisations.  43 Direct Taxes  For expenditure towards purchase of land for construction of new office complex at Kochi and construction of residential quarters, Guest House at Mysuru.	-	2.80 16.10	2.80

		(क	रोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	
<ul> <li>44. अप्रत्यक्ष कर</li> <li>(क) सीमा शुल्क विभाग के तहत दिये जाने वाले 'पुरस्कार' पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए।</li> <li>(ख) आवास पर आने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा</li> </ul>	<ul> <li>44 Indirect Taxes</li> <li>(a) For additional expenditure towards 'Rewards' under Customs Department.</li> <li>(b) For additional outlay on Housing.</li> </ul>	-	8.00 1.86	8.00 1.86
करने के लिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
47. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	47 Department of Health and Family Welfare			
(क) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के अंतर्गत आने वाले खर्च से सम्बंधित अनुदान के लिए। (ख) परिवार कल्याण के अंतर्गत आने वाले खर्च से	<ul><li>(a) For Grants related expenditure under Medical and Public Health.</li><li>(b) For Grants related expenditure under</li></ul>	1,194.71	172.82	1,367.53
सम्बंधित अनुदान। (ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों को लाभ देने हेतु किये जाने	Family Welfare.  (c) For Grants related expenditure for the	2,247.78	0.50	2248.28
वाले खर्च से सम्बन्धित अनुदान। (घ) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर होने वाले पूंजीगत	benefit of North Eastern Region.  (d) For meeting expenditure on Capital	681.99	-	681.99
परिव्यय पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए। 49. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	Outlay on Medical and Public Health. <b>49 Department of Health Research</b>	151.48	-	151.48
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के व्यय से सम्बन्धित अनुदान।	For Grants related expenditure of Indian Council of Medical Research, New Delhi.	281.60	94.00	375.60
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51. भारी उद्योग विभाग (क) निम्नलिखित से सम्बंधित ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए। (i) एचएमटी लि. (₹443.74 करोड़), और (ii) एन्ड्रयू यूल	<ul> <li>51 Department of Heavy Industry</li> <li>(a) For conversion of Loan into Equity in respect of (i) HMT Limited (₹ 443.74 crore), and (ii) Andrew Yule and</li> </ul>			
एण्ड कम्पनी लि. (₹41.52 करोड़)। (ख) एनईपीए लि. में साम्या निवेश के लिए।	Company Limited (₹ 41.52 crore).  (b) For equity investment in NEPA	485.26	-	485.26
(ग) एनईपीए लि. को ऋण देने के लिए।	Limited. (c) For providing loan to NEPA Limited.	54.00	17.18	54.00 17.18
गृह मंत्रालय 53. गृह मंत्रालय एनडीसीसी II भवन के लिए किराया के भुगतान के हेतु।	<ul> <li>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</li> <li>53 Ministry of Home Affairs For payment of rent towards NDCC II Building.</li> </ul>	_	18.00	18.00
55. पुलिस (क) निम्नलिखित पर आने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) कांटेदार तारों से घेरा खड़ा करने हेतु (₹ 20 करोड़), (ii) भारत बंगला देश सीमा निर्माण कार्य के अंतर्गत बार्डर आउट पोस्ट (₹20 करोड़), (iii) सीमा सु'क्षा बल के अंतर्गत	<ul> <li>Police</li> <li>(a) For meeting additional expenditure on</li> <li>(i) Erection of Barbed Wire Fending (₹ 20 crore), (ii) Border Out Post (₹ 20 crore)</li> <li>under Indo-Bangladesh Border Works,</li> <li>and (iii) Border Out Posts (₹ 11.57 crore)</li> </ul>		10.00	10.00
आने वाले बार्डर आउट पोस्ट (₹11.57 करोड़)। (ख) केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल पर आने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए (i) आवासीय भवन (₹ 60 करोड़), (ii) कार्यालय भवन (₹30	under Border Security Force.  (b) For meeting additional expenditure of Central Reserve Police Force on (i) Residential Building (₹ 60 crore), and	51.57	-	51.57
करोड़)। 56. गृह मंत्रालय के अन्य खर्च	<ul><li>(ii) Office Building (₹ 30 crore).</li><li>56 Other Expenditure of the Ministry of</li></ul>	90.00	-	90.00
(क) सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए। (ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरएफ) के अतिरिक्त व्यय को पूरा	<ul> <li>Home Affairs</li> <li>(a) For meeting expenditure under Civic Action Programme.</li> <li>(b) For meeting additional expenditure of National Disaster Management</li> </ul>	-	7.52	7.52
करने हेतु। (ग) एनडीआरएफ के आवासीय भवन के अंतर्गत	Authority (NDRF).  (c) For meeting additional expenditure	-	2.50	2.50
अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	under Residential Building of NDRF.	-	0.09	0.09

			<i>(क</i> र	s in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण		ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
हाऊसिंग और शहरी गरीबी उपशमन	MI	NISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
58. हाऊसिंग और शहरी गरीबी मंत्रालय	58	Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
(क) राजीव ऋण योजना की नई स्कीम के तहत सब्सिडी हेतु।		(a) For Subsidy under the new scheme of Rajiv Rin Yojana.	50.00	-	50.00
(ख) राजीव आवास योजना स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय हेतु।		(b) For additional expenditure under the scheme of Rajiv Awaas Yojana.	75.00	-	75.00
(ग) पूर्वोत्तर और सिक्किम के लाभ केलिए शहरी गरीब लोगों को शेल्टर के निर्माण/।उन्नयन के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान।		(c) For additional Grans-in-aid General towards construction/upgradation of shelters for urban poor for the benefit of North Eastern Areas and Sikkim.	21.00	-	21.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MI	NISTRY OF HUMAN RESOURCE			
59. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग		DEVELOPMENT Department of School Education and Literacy			
(क) 'सर्व-शिक्षा अभियान' स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान हेतु।		(a) For Grants in aid General under the scheme of 'Sarva Shiksha Abhiyan'.	2,142.44	-	2142.44
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु अनुदान से संबद्ध व्यय के लिए। 60 उच्चतर शिक्षा विभाग	<b>60</b>	(b) For Grants related expenditure for the benefit of North Eastern Areas.	286.79	-	286.79
(क) पुस्तक प्रन्नित के लिए राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट/ संस्थानों को अनुदान स्कीम केतहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	60	Department of Higher Education  (a) For Grants-in-aid General under the scheme 'Grants to National Book Trust/ Institutions for Book Promotion'.	10.00		10.00
(ख) 'कापीराइट कार्यालय' संबंधी व्यय संबंधी व्यय के संबंध में सहायता अनुदान।		(b) For Grant-in-aid related expenditure relating to 'Copy Right Office'.	10.00	1.00	1.00
(ग) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान के लिए।		(c) For Grants for creation of Capital Assets under the scheme 'National Institutes of Technical Teachers Training and		1.00	1.00
(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संस्थानों को व्यय संबंधी		Research'. (d) For Grants related expenditure to	8.00	-	8.00
अनुदान हेतु।		institutes in North Eastern Areas.	150.00	-	150.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		NISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61	Ministry of Information and Broadcasting			
(क) (i) सोशल मिडिया सेल स्कीम (₹ 2 करोड़), और (ii) प्रसारण विंग का स्वचालन (₹ 9.50 करोड़) के अंतर्गत व्यय हेतु।		(a) For expenditure under (i) Social Media Cell Scheme (₹ 2 crore), and (ii) automation of broadcasting wing (₹			
(ख) सूचना और प्रसार के तहत अतिरिक्त व्यय		9.50 crore). (b) For meeting additional expenditure	11.50	-	11.50
पूरा करने के लिए।		under 'Information and Publicity'.	10.00	1.00	11.00
विधि और न्याय मंत्रालय 64. विधि और न्याय मंत्रालय		NISTRY OF LAW AND JUSTICE Law and Justice			
(क) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) न्यायपालिका को अवसंरचनात्मक सुविधाएं (₹ 20 करोड़), (ii) जिला व अधीनस्थ न्यायालयों का		(a) For Grants for creation of Capital Assets towards (i) Infrastructural Facilities to Judiciary (₹ 20 crore), (ii) Computerisation of District and			
कम्पूटरीकरण (₹ 108 करोड़)। (ख) इंटरनेशनल सेंटर फोर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट		Subordinate Courts (₹ 108 crore). (b) For Grants for creation of Capital Assets	128.00	-	128.00
रिजाल्यूशन को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए।		to International Centre for Alternative Dispute Resolution.	-	5.51	5.51

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<ul> <li>(ग) न्यायपालिक को अवसंरचना सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।</li> <li>(घ) न्यायापालिका को अवसंरचना सुविधाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र (विधानसभा रहित) को</li> </ul>	<ul> <li>(c) For Grants-in-aid General to State Governments for Infrastructural Facilities to Judiciary.</li> <li>(d) For Grants-in-aid General to Union Territory (without Legislature) for</li> </ul>	756.00	-	756.00
सामान्य सहायता अनुदान हेतु)।	Territory (without Legislature) for Infrastructural Facilities to Judiciary.	40.00	-	40.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
ग्राम और लघु उद्योगों के तहत व्यय संबंधी अनुदान हेतु।	For Grants related expenditure under Village and Small Industries.	-	85.40	85.40
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
76. विद्युत मंत्रालय (क) पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रवासी परियोजना के सुधार हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	<ul><li>76 Ministry of Power</li><li>(a) For meeting expenditure towards improvement of power system project</li></ul>			
(ख) संयुक्त इलेक्ट्रिसिटी नियामक आयोग, गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यलय के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।	<ul><li>in North Eastern States.</li><li>(b) For meeting establishment related expenditure of the office of Joint Electricity Regulatory Commission,</li></ul>	-	-	62.35
	Goa and Union Territories.	-	1.50	1.50
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
83. ग्रामीण विकास विभाग (क) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) कौशल सशक्तिकरण और रोजगार स्पीकर के तहत (₹ 40 करोड़), (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोन्नित सोसायटी (₹ 6.14 करोड़), (2) एनआरएलएम के तहत 150 जिलों में महिला स्वयं समूह (₹ 652 करोड़), और (3) एनआरएलएम के तहत भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन (₹ 200 करोड़), के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(a) For meeting additional expenditure (i) under Skill Empowerment and Employment Scheme (₹ 40 crore), (ii) towards Grants-in-aid General to (1) National Rural Livelihood Promotion Society (₹ 6.14 crore), (2) Women Self Help Groups in 150 districts under NRLM (₹ 652 crore), and (3) Bharat Rural Livelihood Foundation under			
(ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) डीआरडीए प्रशासन के तहत (₹ 150 करोड़),और (ii) बीपीएल सर्वेक्षण के तहत प्रशासनिक व्यय के लिए (₹ 247.29करोड़)।	NRLM (₹ 200 crore).  (b) For meeting additional expenditure (i) under DRDA Administration (₹ 150 crore), and (ii) towards Administrative Expenses under BPL Survey (₹	) :	-	898.14
84. भू-संसाधन विभाग राष्ट्रीय भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	<ul> <li>247.29 crore).</li> <li>84 Department of Land Resources</li> <li>For meeting additional expenditure under National Land Records Modernisation</li> </ul>		-	397.29
	Programme.	50.00	-	50.00
नौवहन मंत्रालय 88 नौवहन मंत्रालय कैपिटल ट्रैजिंग प्रोजेक्ट ऑफ मोरमूगाओं पोर्ट् ट्रस्ट संबंधी अतिरिक्त व्यय करने हेतु।	MINISTRY OF SHIPPING  88 Ministry of Shipping For meeting additional expenditure relating to Capital Dredging Project of Mormugao			
त्तवत्रा जातात्वत् व्यव प्रतः व्यु।	Port Trust.	14.95	-	14.95

			ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
<ul> <li>89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</li> <li>(क) अनु. जाति के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करना (₹ 600 करोड़); (ख) अनु. जाति हेतु मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 170 करोड़), (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 161 करोड़), अनु. जाति छात्रों की मेरिट का उन्नयन (₹ 2 करोड़), (घ) अनु. जाति के लिए श्रेष्ठ शिक्षा (₹ 2 करोड़), और (ड) मैला ढोने वाले व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 1 करोड़)।</li> <li>(ख) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान को वेतन सहायता अनुदान।</li> </ul>	89 Ministry of Social Justice and Empowerment  For (a) providing Scholarship under Direct Benefit Transfer in the Scheme of Post Matric Scholarship for SCs (₹ 600 crore), (b) Pre-Matric Scholarship for SCs (₹ 170 crore), (c) Post Matric Scholarship for OBCs (₹ 161 crore), Upgradation of Merit of SC Students (₹ 2 crore), (d) Top Class Education for SCs (₹ 2 crore) and (e) Pre-Matric scholarship for children of those engaged in unclean occupations (₹ 1 crore).  (b) For Grants-in-aid Salary to National Institutes for Social Defence.	936.00	0.55	936.00 0.55
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND			
91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	PROGRAMME IMPLEMENTATION 91 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) एमपाएलएडी स्कीम के तहत व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure under the MPLAD scheme.	5.00	-	5.00
(ख) जनगणना सर्वेक्षण सांख्यिकी के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid General towards Census Surveys and Statistics.	1.25	-	1.25
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
93. कपड़ा मंत्रालय	93 Ministry of Textiles			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ हेतु, प्रावधान बढ़ाने के लिए।	(a) For augmenting provisions for the benefit of North Eastern Areas.	52.86	-	52.86
(ख) ग्राम व लघु उद्योगों के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए।	<ul><li>(b) For augmenting provisions under Village and Small Industries.</li><li>(c) For augmenting provisions under</li></ul>	140.94	19.67	160.61
<ul><li>(ग) उद्योग के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए।</li><li>(घ) राज्य सरकारों को प्रतिबद्ध देयता के निपटान</li></ul>	Industries.  (d) For Grants-in-aid General towards	64.67	42.10	106.77
हेतु सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	setting off the committed liability to State Governments.	-	14.72	14.72
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
94. पर्यटन मंत्रालय	94 Ministry of Tourism			
(कं) (i) पर्यटन अवंसरचना विकास हेतु केंद्र एजेंसियों को सहायता (₹ 25 करोड़), (ii) डेस्टिनेशन और सर्किट्स के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास (₹ 60 करोड़), और (iii) हुनर से रोजगार (₹ 0.30 करोड़), स्कीम के तहत व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure under the scheme of (i) Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development (₹ 25 crore), (ii) Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits (₹ 60 crore), and (iii) Huner se Rozgar (₹ 0.30 crore).	85.30	_	85.30
(ख) डेस्टिनेशन और सर्किट्स के लिए उत्पाद/ अवसंरचना विकास स्कीम के तहत राज्य सरकारों के अनुदान के तौर पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure as Grants to State Governments under the Scheme of Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits.	40.00	-	40.00

			( <del>कर</del>	ोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
जनजातीय कार्य मंत्रालय		TRY OF TRIBAL AFFAIRS			
95. जनजातीय कार्य मंत्रालय		nistry of Tribal Affairs			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और		augmentation of provisions relating to			
अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु सामान्य सहायता अनुदान, छात्रवृत्ति आदि संबंधी प्रावधानों में बढ़ोत्तरी।		ants-in-aid General, Scholarships, etc for			
अनुदान, छात्रवृत्ति आदि सबधा प्रावधाना म बढ़ात्तरा।		elfare of Scheduled Castes, Scheduled	22 01		22 01
	111	bes and Other Backward Classes.	23.81	-	23.81
संघराज्य क्षेत्र, विधानमंडल रहित	UNIO	N TERRITORIES WITHOUT GISLATURES			
96. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		daman and Nicobar Islands			
(क) सोसायटी फोर साइन्स सेंटर को अतिरिक्त		For additional Grants-in-aid to Society			
सहायता अनुदान के लिए।	(u)	for Science Centre.	0.90	_	0.90
(ख) निम्न को अतिरिक्त सहायता अनुदान (i)	(b)	For additional Grants-in-aid to (i)	0.70		0.70
अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति	(0)	Andaman Adim Janjati Vikas Samiti (₹			
(₹ 5 करोड़), तथा (ii) जनजातीय परिषद		5 crore), and (ii) Tribal Council (₹ 2.25			
(₹ 2.25 करोड़)।		crore).	7.25	_	7.25
(ग) सड़क एवं पुल के अन्तर्गत पंचायती राज	(c)	For additional Grants-in-aid to			
संस्थाओं (पीआरआई) के अंतर्गत पीआरआई	. ,	Panchayati Raj Institutions (PRIs)			
को अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु।		under Roads and Bridges.	1.70	-	1.70
(घ) जलापूर्ति एवं स्वच्छता के अंतर्गत पीआरआई	(d)	For additional Grants-in-aid to PRIs			
को अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु।		under Water Supply and Sanitation.	1.21	-	1.21
(ङ) अन्य ग्रामीण विकास के अंतर्गत पीआरआई	(e)	For additional Grants-in-aid to PRIs			
को अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु।		under Other Rural Development.	0.25	-	0.25
97 चड़ीगढ	97 Ch	andigarh			
भू-स्वामियों को बढ़े हुए भुगतान हेतु अतिरिक्त	For	meeting additional expenditure towards			
व्यय को पूरा करने के लिए।	pay	ment of enhanced compensation to land			
	ow	ners.	-	135.00	135.00
100. लक्षद्वीप	100 La	kshadweep			
(क) फसल कटाई के अंतर्गत पीआरआई को वेतन	(a)	For Grants-in-aid Salary to PRIs under			
सहायता अनुदान।		Crop Husbandry.	-	3.75	3.75
(ख) मात्स्यिकी के अन्तर्गत पीआरआई को वेतन	(b)	For Grants-in-aid Salary to PRIs under			
सहायता अनुदान।		Fisheries.	-	1.25	1.25
(ग) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के पीआरआई	(c)	For Grants-in-aid Salary to PRIs under			
को वेतन सहायता अनुदान।		Medical and Public Health.	-	2.00	2.00
(घ) सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत पीआरआई को	(d)	For Grants-in-aid Salary to PRIs under			
वेतन सहायता अनुदान।		General Education.	-	24.00	24.00
शहरी विकास विभाग	MINIS'	TRY OF URBAN DEVELOPMENT			
101. शहरी विकास विभाग	101 De	partment of Urban Development			
(क) (i) शहरी परिवहन सहायता (₹ 6 करोड़),	(a)	For meeting expenditure (i) under the			
तथा (ii) जेएनएयूआरएम (₹ 4.10 करोड़),		scheme of Capacity Building in Urban			
के सामान्य सहायता अनुदान व्यय को पूरा		Transport Assistance (₹ 6 crore), and			
करने हेतु।		(ii) towards Grants-in-aid General of			
		JNNURM (₹ 4.10 crore).	10.10	-	10.10
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जलापूर्ति बढ़ाने हेतु पूंजीगत	(b)	For meeting expenditure as Grants for			
परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान रूप में		creation of capital assets to augment			
व्यय को पूरा करने हेतु।		water supply in North Eastern Areas.	1.00	-	1.00
(ग) लोकसभा में प्रमुख कार्यों के व्यय हेतु।	(c)	For expenditure towards Major Works			
		in Lok Sabha.	-	40.00	40.00
102. लोक निर्माण कार्य		blic Works			
(क) प्रशिक्षण की लागत पर व्यय हेतु।	(a)	For expenditure towards cost of		0.40	0.10
(A) (A)		training.	-	0.10	0.10
(ख) (i) लोकसभा, (₹ 50 करोड़), (ii)उच्चतम	(b)	For expenditure on Major Works of (i)			
न्यायालय (₹ 45 करोड़), के मुख्य कार्यों		Lok Sabha (₹ 50 crore), (ii) Supreme		0.7.00	05.00
पर व्यय।		Court (₹ 45 crore).	-	95.00	95.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भि Non Plan			
जल संसाधन मंत्रालय 104.जल संसाधन मंत्रालय (क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत व्यय संबंधी स्थापना के लिए।	MINISTRY OF WATER RESOURCES  104 Ministry of Water Resources  (a) For establishment related expenditure under the scheme of 'Capacity Building Programme'.	10.00	_	10.00		
(ख) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान के लिए। (ग) महाराष्ट्र में बोडबार्ड सिचाई परियोजना के लिए सहायता हेतु।	<ul><li>(b) For Grants-in-Aid General to National Institute of Hydrology.</li><li>(c) For Central Assistance for Bodward Irrigation Project in Maharashtra.</li></ul>	0.01	4.45	4.45 0.01		
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
105. महिला और बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़), और (ख) सहायता अनुदान वेतन (₹ 2.31 करोड़), (iii) राष्ट्रीय जल निगम और बाल विकास संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.38 करोड़), हेतु	105 Ministry of Women and Child Development  For (a) Grants-in-aid General to National Commission of Women (₹ 0.10 crore), and (b) (i) Grants-in-aid Salary (₹ 2.31 crore), (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.38 crore) to National Institute of Public Corporation and Child Development.	-	2.79	2.79		
कुल सांकेतिक	Total Token	0.63	0.46	1.09		
6. तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की आकास्मिक निधि से कुल ₹7,77,25,000 के तीन अग्रिम मंजूर किए गए थे। इन्हें अनुदानों की पूरक मांगों की मंजूरी के उपरांत निधि में वापस कर दिया जाएगा।	6. Three advances aggregating ₹ 7,77,25,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.					
कुल जोड़	GRAND TOTAL	1,050.40	17,543.87	18,594.27		
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	600.00	12,526.93	13,126.93		
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	449.77	5,016.48	5,466.25		
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.63	0.46	1.09		

## विषय सूची CONTENTS

					राजस्व	(करोड़ रुपए <b>पूंजी</b>	-	i crore) पृष्ठ
मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		Revenue	Capital		Page
कृषि मंत्रालय			NISTRY OF AGRICULTURE					
1 कृषि और सहकारिता		1.	Department of Agriculture and					
विभाग	स्वीकृत		Cooperation	Voted	0.04	0.01	0.05	1-2
परमाणु ऊर्जा विभाग		DE	PARTMENT OF ATOMIC ENERGY	7				
4 परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4.	Atomic Energy	Voted	0.02	0.03	0.05	3-4
5 न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	5.	Nuclear Power Schemes	Voted		0.01	0.01	5
रसायन और उर्वरक		MI	NISTRY OF CHEMICALS AND					
मंत्रालय			FERTILISERS					
7 उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7.	Department of Fertilisers	Voted	2000.00		2000.00	6
8 भेषज विभाग	स्वीकृत	8.	Department of Pharmaceuticals	Voted		0.01	0.01	7
नागर विमानन मंत्रालय		мі	NISTRY OF CIVIL AVIATION					
9 नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9.	Ministry of Civil Aviation	Voted	0.02	30.00	30.02	8
	C		•					
कोयला मंत्रालय			NISTRY OF COAL					
10 कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10.	Ministry of Coal	Voted	100.00	1672.00	1772.00	9
वाणिज्य और उद्योग		MI	NISTRY OF COMMERCE					
मंत्रालय	_		AND INDUSTRY					
11 वाणिज्य विभाग	भारित	11.	Department of Commerce	Charged	0.20		0.20	10
	स्वीकृत	10	B	Voted	54.00		54.00	
12 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग		12.	Department of Industrial Policy	GI I	0.04		0.04	
सवधन विभाग	<i>भारित</i> स्वीकृत		and Promotion	Charged Voted	0.04 0.01	8.00	0.04 8.01	11
	C							
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी		MI	NISTRY OF COMMUNICATIONS					
मंत्रालय			AND INFORMATION					
40 <del> Por</del>	a <del></del>	10	TECHNOLOGY	<i>G</i> 1 1	0.12	0.67	0.70	1.2
13 डाक विभाग	भारित		Department of Posts	Charged	0.12	0.67	0.79	12
14 दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14.	Department of Telecommunications	Voted		0.02	0.02	13
उपभोक्ता मामले, खाद्य और		MI	NISTRY OF CONSUMER AFFAIRS	,				
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			FOOD AND PUBLIC DISTRIBUT	ION				
17 खाद्य और सार्वजनिक		17.	Department of Food and Public					
वितरण विभाग	स्वीकृत		Distribution	Voted	0.01		0.01	14
संस्कृति मंत्रालय		MI	NISTRY OF CULTURE					
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Culture	Voted	0.04	0.01	0.05	15-17
रक्षा मंत्रालय	0		NISTRY OF DEFENCE					
22 रक्षा सेवा-नौ सेना	स्वीकृत		Defence Services - Army	Voted	0.01		0.01	18
25 अनुसंधान एवं विकास	स्वीकृत		Defence Ordnance Factories	Voted	0.01		0.01	19
27 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	27.	Capital Outlay on Defence Services	Voted		0.01	0.01	20
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MI	NISTRY OF DEVELOPMENT OF					
-			NORTH EASTERN REGION					
28 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	_	28.	Ministry of Development of					
	स्वीकृत		North Eastern Region	Voted	0.01	0.01	0.02	21

पर्या	वरण और वन मंत्रालय		MI	NISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
31	पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	31.	Ministry of Environment and Forests	Voted	0.01		0.01	22
विदे	श मंत्रालय		MI	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of External Affairs	Voted	0.01	125.00	125.01	23
_									
	<b>मंत्रालय</b> आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत		NISTRY OF FINANCE	Votad	65.56	0.02	65.58	24-25
33 34	वित्तीय सेवा विभाग	स्वाकृत स्वीकृत		Department of Economic Affairs Department of Financial Services	Voted Voted	800.00		800.00	24-23
	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की	स्पापरूरा		Transfers to State and Union	voteu	800.00	•••	800.00	20
00	सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	30.	Territory Governments	Voted	63.69		63.69	27
39	व्यय विभाग	स्वीकृत	39	Department of Expenditure	Voted	0.01		0.01	28
	राजस्व विभाग	भारित		Department of Revenue	Charged	26.50		26.50	29
_		 स्वीकृत		Department of the venue	Voted	0.01		0.01	
3	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	43.	Direct Taxes	Voted		0.01	0.01	30
4	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत		Indirect Taxes	Voted	31.03	0.01	31.04	31
		C							
वा	थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राल	य	MI	NISTRY OF HEALTH AND					
			4.5	FAMILY WELFARE					
7	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण वि		47.	Department of Health and	CI I	16.00		16.00	22.24
		भारित		Family Welfare	Charged	16.29		16.29	32-35
^		स्वीकृत	40	D	Voted	0.05	0.01	0.06	
8	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिर्		48.	Department of Ayurveda, Yoga &					
	यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग	. 0 /		Naturopathy, Unani, Siddha and	<b>V-4-J</b>		10.00	10.00	27
0	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत स्वीकृत	40	Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02	18.00	18.00 0.02	36 37
9	स्पास्थ्य अनुसर्वान ।पनान	स्पाकृत	49.	Department of Health Research	Voted	0.02	•••	0.02	37
गर्र	उद्योग और सरकारी		MI	NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES					
	उद्यम मंत्रालय			AND PUBLIC ENTERPRISES					
1	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	51.	Department of Heavy Industry	Voted	442.54	0.03	442.57	38-39
ਵ	मंत्रालय		мі	NISTRY OF HOME AFFAIRS					
_	गृह मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Home Affairs	Voted	0.01		0.01	40
	पुलिस	भारित		Police	Charged	8.17		8.17	41-42
0	3/2/2/	रनीकृत स्वीकृत	55.	Tonce	Voted	2222.11	1.02	2223.13	11 12
6	गृह मंत्रालय के		56.	Other Expenditure of the Ministry					
•	अन्य व्यय	स्वीकृत		of Home Affairs	Voted	0.02	0.01	0.03	43-44
7	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों		57.	Transfers to Union Territory	, 0104	0.02	0.01	0.00	
	को अंतरण	स्वीकृत		Governments	Voted	0.64	9.96	10.60	45
	, , , , , ,								
गव	ास और शहरी गरीबी उन्मूलन 		MI	NISTRY OF HOUSING AND	•				
	मंत्रालय		<b>5</b> 0	URBAN POVERTY ALLEVIATIO	N				
8.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूल		58.	Ministry of Housing and Urban	Voted	0.02		0.02	1.6
	मंत्रालय	स्वीकृत		Poverty Alleviation	Voted	0.03	•••	0.03	46
गन	व संसाधन विकास		MI	NISTRY OF HUMAN RESOURCE					
	मंत्रालय			DEVELOPMENT					
9	बुनियादी शिक्षा और		59.	Department of School Education					
	साक्षरता विभाग	स्वीकृत		and Literacy	Voted	0.02		0.02	47
0	उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	60.	Department of Higher Education	Voted	0.04		0.04	48-49
	T 301 T-11-11		м	NICTOV OF INFORMATION					
ાૂઘ	ना तथा प्रसारण		IVII	NISTRY OF INFORMATION					
4	मंत्रालय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		۲1	AND BROADCASTING Ministry of Information and					
1	त्या तया प्रतारण मत्रालय	स्वीकृत	01.	Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.03	1.70	1.73	50
		रपापरृत		Dioadeasting	voieu	0.03	1.70	1./3	30
गेहि	। और न्याय मंत्रालय		MI	NISTRY OF LAW AND JUSTICE					
64	विधि और न्याय मंत्रालय	स्वीकृत		Law and Justice	Voted	0.04		0.04	51

अनुपा	ना का पूरव	ह माग	, 2015-2014 SUPPLEMENTART	DEMANDS	FUR UKAI	N13		(XIX)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्राल	य	MI	NISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
66 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		66.	Ministry of Micro, Small and					
मंत्रालय मंत्रालय	स्वीकृत		Medium Enterprises	Voted	0.01		0.01	52
खान मंत्रालय		MI	NISTRY OF MINES					
67 खान मंत्रालय	स्वीकृत	67.	Ministry of Mines	Voted		5.00	5.00	53
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा		MI	NISTRY OF NEW AND					
मंत्रालय			RENEWABLE ENERGY					
69. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा		69.	Ministry of New and Renewable					
मंत्रालय	स्वीकृत		Energy	Voted	183.41		183.41	54-55
कार्मिक, लोक शिकायत		MI	NISTRY OF PERSONNEL, PUBLI	$\mathbf{c}$				
और पेंशन मंत्रालय			GRIEVANCES AND PENSIONS					
73 कार्मिक, लोक		73.	Ministry of Personnel, Public					
शिकायत और पेंशन मंत्रालय	भारित		Grievances and Pensions	Charged	2.27		2.27	56
	स्वीकृत			Voted	8.15		8.15	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक		MI	NISTRY OF PETROLEUM					
गैस मंत्रालय			AND NATURAL GAS					
74 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		74.	Ministry of Petroleum and	\$71	10226.00		10226.00	
	स्वीकृत		Natural Gas	Voted	10336.00	•••	10336.00	57
विद्युत मंत्रालय		MI	NISTRY OF POWER					
76 विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	76.	Ministry of Power	Voted	0.02	125.00	125.02	58
राष्ट्रपति, संसद, संघ		TH	IE PRESIDENT, PARLIAMENT,					
लोक सेवा आयोग			UNION PUBLIC SERVICE					
और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE					
का साववालय			VICE - PRESIDENT					
77 विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंव	: आवास	77	Appropriation - Staff, Household					
और भत्ते	भारित	,,,	and Allowances of the President	Charged	4.50		4.50	59
ग्रामीण विकास मंत्रालय		МІ	NISTRY OF RURAL DEVELOPM	ENT				
83 ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत		Department of Rural Development	Voted	0.02		0.02	60
84 भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत		Department of Land Resources	Voted	0.01		0.01	61
नौवहन मंत्रालय		МІ	NISTRY OF SHIPPING					
88. नौवहन मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Shipping	Voted		0.01	0.01	62
0 4 0 0	C							
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MI	NISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
89 सामाजिक न्याय और अधिकारित	T	89.	Ministry of Social Justice and					
मंत्रालय	स्वीकृत		Empowerment	Voted	0.02		0.02	63
सांख्यिकी और कार्यक्रम		MI	NISTRY OF STATISTICS AND					
कार्यान्वयन मंत्रालय			PROGRAMME IMPLEMENTAT	ION				
91 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्व		91.	Ministry of Statistics and Programm	e				
मंत्रालय	स्वीकृत		Implementation	Voted	0.02		0.02	64
वस्त्र मंत्रालय		MI	NISTRY OF TEXTILES					
93 वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	93.	Ministry of Textiles	Voted	0.06	0.50	0.56	65-68
पर्यटन मंत्रालय		MI	NISTRY OF TOURISM					
94 पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Tourism	Voted	0.02	1.00	1.02	69
जनजाति कार्य मंत्रालय		улт	NISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
95 जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित		Ministry of Tribal Affairs	Charged	74.35		74.35	70-71
	 स्वीकृत		5	Voted	0.01		0.01	
	c ··							

संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
96 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	96. Andaman and Nicobar Islands	Voted	122.27		122.27	72-73
97 चण्डीगढ़	स्वीकृत	97. Chandigarh	Voted		0.01	0.01	74
100 लक्षद्वीप	स्वीकृत	100. Lakshadweep	Voted	0.04		0.04	75
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN					
		DEVELOPMENT					
101 शहरी विकास विभाग	भारित	101. Department of Urban Development	Charged	11.87	21.70	33.57	76-77
	स्वीकृत		Voted	0.02	0.01	0.03	
102 लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	102. Public Works	Voted	0.01	0.01	0.02	78
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
104 जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Water Resources	Voted	0.03		0.03	79
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
105 महिला और बाल विकास मंत्रालय	Г	105. Ministry of Women and					
	स्वीकृत	Child Development	Voted	0.01		0.01	80
कुल जोड़		GRAND TOTAL		16574.48	2019.79	18594.27	
	भारित		Charged	144.31	22.37	166.68	
	स्वीकृत		Voted	16430.17	1997.42	18427.59	
अनुबंध	-	ANNEXURE					81-87

### कृषि और सहकारिता विभाग

## DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये ) (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुप	करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	21874.34		59.16		21933.50
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	425.00				425.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now						
पूरक अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		0.01		0.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		22299.38		59.17		22358.55
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया ज	ायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for unde	er the following	ng Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:	0.01	(कa)			0.01
2402 - मृदा और जल संरक्षण	स्वीकृत:	2402 -Soil and Water Conservation	Voted:			0.01	(खb)	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(घd)			0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03		0.01		0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4401 - फसल कार्य पर पूंजी	स्वीकृत:	4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	Voted:	0.01	(ਝe)			0.01
परिव्यय	-							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04		0.01		0.05
	-							

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) जूट टैक्नोलॉजी मिशन-मिनी-मिशन-॥ को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.07 करोड़);
  - (ii) एससीएसपी के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) के कार्यान्वयन के तहत अतिरिक्त अंशदान (₹ 65 करोड़);
  - (iii) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाय सुरक्षा मिशन के तहत सामान्य अनुदान सहायता के लिए (₹ 50 करोड़);
  - (iv) समेकित तिलहन/आयल पाम/दालों तथा मक्का विकास के अन्तर्गत अतिरिक्त सामान्य अन्दान सहायता (₹ 50 करोड़).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grants are required for:

- (i) additional Grants-in-aid General (₹ 0.07 crore) to Jute Technology Mission-Mini Mission-II;
- (ii) additional contribution under Implementation of National Agricultural Insurance Schemes (NAIS) under SCSP (₹ 65 crore);
- (iii) For additional Grants-in- aid General under National Food Security Mission under Tribal Area Sub Plan (₹ 50 crore);
- (iv) additional Grants in aid-General under Integrated Oilseed/Oil palm/Pulses and Maize Development (₹ 50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) दामोदर वैली कापोरेशन को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.45 करोड़).
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) नेशनल मिशन आन बैम्बू टेक्नालॉजी एण्ड ट्रेड डेवलपमेंट के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 14 करोड़) तथा आदिवासी उपयोजना के लिए सामान्य अतिरिक्त अनुदान सहायता (₹ 14 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया ३।
- (घ) समेकित तिलहन/आयल पाम/दाल तथा मक्का विकास के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टीएसपी) के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 24.22 करोड़).
   अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ङ) नेशनल प्रोजेक्ट आन प्रमोशन आफ आर्गेनिक फार्मिंग के अन्तर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 3.80 करोड़). अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (b) Grants-in-aid General to Damodar Valley Corporation (₹ 0.45 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General (₹ 14 crore) under National Mission on Bamboo Technology and Trade Development and additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan (₹ 14 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Grants-in-aid General (₹ 24.22 crore) under Tribal Area Sub-Plan (TSP) under Integrated Oilseeds/Oilpalm/Pulses and Maize Development.
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) meeting additional requirement for Major Works (₹ 3.80 crore) under National Project on promotion of organic farming.
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## परमाणु ऊर्जा

## ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		·	·			(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	1.00		1.00		2.00
	स्वीकृत:		Voted:	6636.35		4111.29		10747.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.03		0.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6637.37		4112.32		10749.69
	भारित:		Charged:	1.00		1.00		2.00
	स्वीकृत:		Voted:	6636.37		4111.32		10747.69
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्	य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for unde	er the follow	ing Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न Non-Plan		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				NOII-FIAII		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:			0.01	(कa)	0.01
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत:	3401 -Atomic Energy Research	Voted:			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:			0.02		0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी	स्वीकृत:	4861 - Capital Outlay on Atomic Energy	Voted:	0.01	(गc)	0.01	(घd)	0.02
परिव्यय		Industries						
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर	स्वीकृत:	5401 - Capital Outlay on Atomic Energy	Voted:	0.01	( <b>š</b> e)			0.01
पूंजी परिव्यय	-	Research						
जोड़ (प्ंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.02		0.01		0.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.03		0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्निलिखित के तहत नाभिकीय पुनचक्र बोर्ड (एनआरबी), जो पूर्व में भाभा परमाणु केन्द्र था, के अंतर्गत खोले गए शीर्षों के तहत व्यय को पूरा करना (i) ईधन प्रसंस्करण संयत्र 1, तारापुर (₹ 41.14 करोड़), (ii) ईधन प्रसंस्करण संयत्र 2, तारापुर (₹ 50 करोड़), (iii) ईधन प्रसंस्करण संयत्र, कालपक्कम (₹ 89.88 करोड़), (iv) खर्च ईधन भंडारण सुविधा (₹ 3.56 करोड़), (v) अपशिष्ट संयत्र, तारापुर (₹ 33.48 करोड़), (vi) अपशिष्ट प्रकथ्यन सुविधा, तारापुर (₹ 13.50 करोड़), (vii) अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, कलपक्कम (₹ 14.19 करोड़), (viii) एडवांसड अपशिष्ट संसाधन सुविधा, तारापुर (₹ 3.56 करोड़), (ix) केंद्रीय सेवा संगठन, तारापुर (₹ 48.30 करोड़), (x) आम सेवा, कलपक्कम (₹ 13.86 करोड़) और (xi) एनआरबी, मुख्यालय और डिजाइन समूह, ट्राम्बे (₹ 4.61 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

meeting expenditure under newly opened heads under Nuclear Recycle Board (NRB) which was earlier under Bhabha Atomic Research Centre, under (i) Fuel Reprocessing Plant 1, Tarapur (₹ 41.14 crore), (ii) Fuel Reprocessing Plant 2, Tarapur (₹ 50 crore), (iii) Fuel Reprocessing Plant, Kalpakkam (₹ 89.88 crore), (iv) Spent Fuel Storage Facility (₹ 3.56 crore), (v) Waste Immoblization Plant, Tarapur (₹ 33.48 crore), (vii) Waste Management Facility, Tarapur (₹ 13.50 crore), (viii) Waste Management Facility, Kalpakkam (₹ 14.19 crore), (viii) Advance Waste Treatment Facility, Tarapur (₹ 3.56 crore), (ix) General Services organization, Tarapur (₹ 48.30 crore), (x) Common Services, Kalpakkam (₹ 13.86 crore), and (xi) NRB HQ & Design Group, Trombay (₹ 4.61 crore).

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ख) कार्यनीतिक गतिविधियों के लिए सुरक्षा प्राधिकरण को नए खोले गए शीर्षों के तहत व्यय पूरा करना (₹ 10 करोइ)।
  अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ग) निम्नलिखित के तहत नए खोले गए शीर्ष के तहत व्यय पूरा करना (i) "एनएफसी में मॉडर्नाइजेशन एण्ड आगमेंटेशन आफ जिराकॉलोजी फ्रेब्रिकेशन एण्ड फ्यूल फेब्रिकेशन फेसिलिटिज" नाभिकीय ईंधन फोरलैक्स (₹ 6.60 करोड़), (ii) (1) बीएआरसी हाऊसिंग कॉलोनी में अतिरिक्त अवसंरचना सुविधा व विद्यमान बिल्डिंग निर्माण के उन्नयन (₹ 1 करोड़), (2) बीएआरसी में टाइप-III सी (48 फ्लैटों की 3 बिल्डिंग) का निर्माण (₹ 0.40 करोड़)।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (घ) नाभिकीय पुनचक्र बोर्ड (एनआरबी) के तहत निम्नित्खित का व्यय पूरा करने हेतु - (i) एनआरबी सुविधाएं, तारापुर (₹ 1.05 करोड़), (ii) एनआरबी सुविधाएं, कलपक्कम (₹ 1.40 करोड़)।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ङ) निम्नलिखित के तहत नए खोले गए शीर्ष के तहत व्यय (1) बीएआरसी कैंपस, विजाग में 125 मैगावाट ताप अनुसंधान रिएक्टर, संबंधी विकासात्मक गतिविधियां (₹ 0.10 करोड़), (2) बीएआरसी कैंपस, विजाग में हाई फलक्स रिसर्च रिएक्टर संबंधी विकासात्मक गतिविधियां (₹ 0.10 करोड़), (3) अनुसंधान रिएक्टर परियोजना, ट्राम्बे हेतु अवसंरचनात्मक विकास, सुविधाएं व यूएनआई (₹ 0.10 करोड़) (4) विशेष तकनीक विकास कार्क्रम (₹ 550 करोड़), राजा रमन्ना सेंटर फोर एडवान्स्ड टेक्नॉलोजी को अग्रलिखित के लिए (1) सीआईएसएफ इंडक्शन के लिए हाऊसिंग व अवसंरचना (₹ 0.07 करोड़), (2) विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ट्रावेलिंग वेव इलेक्ट्रॉन लाइवेक्स के देसी डिजाइन व घटक तैयार करना (₹ 0.21 करोड़) (iii) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र को नाभिकीय ईंधन चक्र अनुप्रयोग के लिए सामग्री व विनिर्माण तकनीक (₹ 0.10 करोड़), (iv) एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर को (1) आगमेंटेशन आफ इलेक्टिक सिस्टम फोर हाई एंड कंप्यूटिंग सर्व (₹ 0.02 करोड़), (2) वीईसीसी लाइब्रेरी का अद्यतनीकरण (₹ 0.02 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure (₹ 10 crore)under newly opened heads towards Safety Authority for Strategic Activities.
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting expenditure against newly opened head under (i) Nuclear Fuel Complex (NFC) "Modernisation & Augmentation of Zircaloy Fabrication and Fuel Fabrication Facilities at NFC (MAZ4F)"(₹ 6.60 crore), (ii) Nuclear Recycle Board for (1) Additional infrastructure facilities & upgradation of existing buildings/structures at BARC Housing Colony (₹ 1 crore), (2) Construction of Type III-C (3 buildings of 48 flats) at BARC Housing Colony (₹ 0.40 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting expenditure under Nuclear Recycle Board (NRB) for(i)NRB Facilities, Tarapur (₹ 1.05 crore), (ii) NRB Facilities,Kalpakkam (₹ 1.40 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - expenditure under newly opened head under (i) Bhabha Atomic Research Centre towards (1) Developmental Activites related to 125 MW Thermal Research Reactor at BARC Campus, Vizag (₹ 0.10 crore), (2) Developmental Activites related to High Flux Research Reactor at BARC Campus, Vizag (₹ 0.10 crore), (3) Infrastructural Development, Utilities & CNI for Research Reactor Project , Trombay (₹ 0.10 crore), (4) Special Technology Development Programme (₹ 550 crore), (ii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology towards (1) Housing and infrastructure for CISF induction (₹ 0.07 crore), (2) Development of Indigenous Designs and Components of Travelling Wave Electron Linacs for Various Applications (₹ 0.21 crore), (iii) Indira Gandhi Centre for Atomic Reserch towards Materials and Manufacturing technologies for Nuclear Fuel Cycle Applications (₹ 0.10 crore), (iv) Variable Energy Cyclotron Centre (VECC)towards (1) augmentation of electrical systems for high end computing Server (₹ 0.02 crore), (2) Upgradation of VECC Library (₹ 0.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं

#### **NUCLEAR POWER SCHEMES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	3943.15	297.67	4240.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3943.15	297.68	4240.83
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under the	e following Maj	jor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी	स्वीकृत:	4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted:	0.01		0.01
परिव्यय						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (a) भारतीय नाभकीय विद्युत निगम लि. (बीएचएवीआईएनआई) में निवेश पर अतिरिक्त व्यय (₹ 61.33 करोड़)
- (b) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एनपीसीआईएल)के संबंध में ब्याज रहित ऋण को इक्विटी (₹ 29 करोड़)में परिविर्तित करने हेत् समयपूर्व समायोजन।

बीएचएवीआईएनआई में निवेश और एनपीसीआईएल के संबंध में समय पूर्व समायोजन हेतु अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है। The supplementary grant is required for:

- (a) additional expenditure (₹ 61.33 crore) towards investment in Bhartiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited (BHAVINI).
- (b) carrying out prior period adjustment towards conversion of interest-free loan to equity (₹ 29 crore) in respect of Nuclear Power Corporaion of India Limited (NPCIL).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant for investment to BHAVINI and prior period adjustment in respect of NPCIL, a token supplementary is sought.

#### उर्वरक विभाग

#### **DEPARTMENT OF FERTILISERS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 70629.72 253.48 70883.20 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 2000.00 2000.00 72629.72 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 253.48 72883 20 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2852 - उद्योग 2852 -Industries Voted: 2000.00 2000.00 स्वीकृत:

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: स्वदेशी उर्वरकों के अन्तर्गत अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध कराना (₹ 5500.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 2000.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

providing additional subsidy under indigenous fertilizers (₹ 5500.00 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 2000.00 crore.

#### भेषज विभाग

#### **DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 198.63 29.70 228.33 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 198 63 29.71 228 34 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** स्वीकृत: 6857 - रसायन और भेषज उद्योगों के 6857 - Loans for Chemical and Pharmaceutical Voted: 0.01 0.01 लिए ऋण Industries

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

हिंदुस्तान एंटीबॉयोटिक्स लिमिटेड को अपने कमर्चारियों को वेतन के भुगतान के प्रयोजनार्थ ऋण के तौर पर भारत की आकस्मिक निधि से स्वीकृत ₹ 5.00 करोड़ के अग्रिम को रिकॉपमेंट। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grant is required for:

recoupment of an advance of ₹ 5.00 crore sanctioned from the Contingency Fund of India as loan to Hindustan Antibiotics Limited for the purpose of payment of salaries of its employees. As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### नागर विमानन मंत्रालय

#### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	852.42		5029.80		5882.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		30.00		30.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		852.44		5059.80		5912.24
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया उ	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for under	the follow	ing Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5053 - नागर विमानन पर पूंजी	स्वीकृत:	5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted:	30.00	(गc)			30.00
परिव्यय								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	30.01		0.01		30.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) भारतीय विमान्पत्तन प्राधिकरण को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु ₹ 129.17 करोड़ की सहायता अनुदान जारी करना (जम्मू हवाई अड्डा (₹ 3.20 करोड़ गगन परीयोजना (₹ 81.96 करोड़) और गोंडिया (₹ 44.01 करोड़)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) एईआरए को प्रशासनिक व्यय हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 1.10 करोइ)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अइडों पर रेडियोलॉजीकल डिटेक्शन उपकरणों की खरीद संस्थापना (₹ 30 करोड़)। चूंकि ₹ 30 करोड़ का व्यय अनुदान के राजस्व भाग के तहत उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) releasing Grants-in-aid for creation of capital assets to Airport Authority of India of ₹ 129.17 crore [Jammu Airport (₹ 3.20 crore, Gagan Project (₹ 81.96 crore) & Gondia (₹ 44.01 crore)]. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) providing Grants-in-aid General to AERA for administrative expenditure (₹ 1.10 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) procurement and installation of Radiological Detection Equipments at International Airports (₹ 30 crore). Since expenditure of ₹ 30 crore will be met from the savings available under Revenue Section of the Grant, a technical supplementary is sought.

#### कोयला मंत्रालय

#### MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	·	जोड़ Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	497.70	50.00		547.70
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	100.00	1672.00		1772.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		597.70	1722.00	)	2319.70
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र II. This Supplementary Grant will be accoun					
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न Non-Plan		Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD			Non Flan		
2803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत:	2803 -Coal and Lignite	Voted:	100.00	( <b>क</b> a)		100.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत:	4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite	Voted:		1672.00	(खb)	1672.00
पर पूंजी परिव्यय	-						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	100.00	1672.00	)	1772.00

**टिप्पणी**: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है!

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पुंजी भाग CAPITAL SECTION

4803 - कोयला और लिग्नाइट 4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite

(-) 1672.00(-)1672.00पर पूंजी परिव्यय

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(i)विस्तृत ड्रिलिंग स्कीम के लिए अंशदान (₹ 30 करोड़),(ii)'क्षेत्रीय अन्वेषण' स्कीम हेत् अंशदान (₹ 20 करोड़), (iii)'कोल-फील्ड क्षेत्रों-कोयला और लिग्नाइट में परिवहन अवसंरचना का विकास' स्कीम के तहत पूर्वीतर क्षेत्र के लिए ₹ 1.07 करोड़ सहित सब्सिडी (₹ 26.07 करोड़), और (iv)'कोयला फील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास' के लिए उपकर (उत्पादन श्ल्क) के संग्रह के लिए सब्सिडी (₹ 25 करोड़)।

अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्य्क्त में ₹ 100 करोड़

(ख) "कोयला क्षेत्रों का अर्जन" स्कीम के तहत कोयला क्षेत्रों में भू-अर्जन हेत् क्षतिपूर्ति के भ्गतान हेत् अतिरिक्त व्यय। क्षतिपूर्ति की राशि सीआईएल द्वारा अग्रिम रूप से सरकार के पास अग्रिम रूप से जमा कर दी गई है। वधिर्त वस्लियों के मद्देनजर इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) additional expenditure towards (i)contributions for the scheme of 'Detailed Drilling' (₹ 30 crore), (ii) contributions for the scheme 'Regional Exploration' (₹ 20 crore), (iii) Subsidy (₹ 26.07 crore) including ₹ 1.07 crore for North Eastern Region under the scheme of 'Development of Transport Infrastructure in Coal field Areas'-Coal and Lignite, and (iv) Subsidy (₹ 25 crore) against collection of (Excise Duty)towards 'Development of Transport Infrastructure in Coal field Areas'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 100 crore; additional expenditure towards payment of compensation for acquisition of land in Coal Bearing Areas under the scheme "Acquisition of Coal Bearing Areas". The compensation amount is deposited by CIL with Government in advance. Taking into account the enhanced recoveries this will not entail net cash outgo.

#### वाणिज्य विभाग

#### **DEPARTMENT OF COMMERCE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.50			0.50
	स्वीकृत:		Voted:	4383.77	1013.00		5396.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	भारित:		Charged:	0.20			0.20
	स्वीकृत:		Voted:	54.00			54.00
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplementary)		4438.47	1013.00		5451.47
	भारित:		Charged:	0.70			0.70
	स्वीकृत:		Voted:	4437.77	1013.00		5450.77
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्षों वे	न अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriation wi	Il be accounte	d for under th	e following Majo	r Heads	
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2057 - आपूर्ति और निपटान	भारित:	2057 - Supplies and Disposals	Charged:	•••	0.20	(कa)	0.20
3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात	स्वीकृत:	3453 -Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	•••	54.00	(खb)	54.00
संवर्द्धन							
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			54.20		54.20
	भारित:		Charged:		0.20		0.20
	स्वीकृत:		Voted:		54.00		54.00

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) डीजीएस एण्ड डी के बारे में न्यायालय निर्णय के कारण व्यय (₹ 19,25,000)। यह राशि भारत की आकस्मिक निधि से आहरित की गई है। संसद द्वारा पूरक अनुदान मांगों को पारित किए जाने के बाद आहरित राशि को कोष में वापस कर दिया जाएगा।

अनुदान के स्वीकृत भाग में अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए, उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) ब्याज आर्थिक सहायता दर में 1 अगस्त 2013 से 2% से 3% की वृद्धि के कारण आर्थिक सहायता स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 275 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों (Rs.221 करोड़), अनुदान के पूंजी अनुभाग में अभ्यर्पित बचतों (₹ 50 करोड़) को देखते हुए, 4 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) expenditure (₹ 19,25,000) arising out of court decree in respect of DGS&D. This amount has been drawn from the Contingency Fund of India and the amount drawn shall be resumed to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are passed by the Parliament.
  - Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
  - additional expenditure (₹ 275 crore)under Interest Subvention Scheme on account of increase in the interest subvention rate from 2% to 3% w.e.f. 1st August, 2013.

Taking into account the savings (₹ 221 crore) available within the same section of the Grant, surrender of savings (₹ 50 crore) under Capital Section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 4 crore.

## औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

#### DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1413.29	303.00		1716.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	0.04	•••		0.04
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	8.00		8.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1413.34	311.00		1724.34
	भारित:		Charged:	0.04			0.04
	स्वीकृत:		Voted:	1413.30	311.00		1724.30
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नित	त्रेखित मुख्य शीर्षो	के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	n will be accour	ited for und आयोजना		Heads:	<u> </u>
				आयाजना Plan	आयोजना- भिन्न		जोड़ Total
				i idii	Non-Plan		rotai
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:		0.01	(कa)	0.01
2885 - उद्योग और खनिजों पर	भारित:	2885 - Other Outlays on Industries and	Charged:	0.04	(खb)		0.04
अन्य व्यय		Minerals					
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		0.04	0.01		0.05
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:		8.00	(गc)	8.00
पूंजी परिव्यय							
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.04	8.01		8.05
	भारित:		Charged:	0.04			0.04
	स्वीकृत:		Voted:		8.01		8.01
	-						

#### यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) को ₹ 3 करोड़ का अतिरिक्त योगदान और (ख)राष्ट्रीय सीमेंट और बिल्डिंग सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम)(₹ 0.50 करोड़) और पेपर, लुगदी और संबद्ध उद्योग विकास परिषद (डीसीपीपीएआई)(₹ 0.50 करोड़) को अतिरिक्त वेतन सहायता-अनुदान। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) निवेश सब्सिडी (पुरानी) स्कीम के स्वीकृत भाग के तहत न्यायालयी आदेशों से उत्पन्न व्यय को पूरा करने के लिए। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (ग) बौद्धिक संपदा कार्यालयों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यालयी बिल्डिंग के निर्माण के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के तहत बचतें उपलब्ध हैं, जिनका अभ्यर्पण किया जाना है, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting requirements towards (a) additional contribution of ₹ 3 crore to United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) and (b) additional grants-in-aid-salaries to National Council for Cement and Building Material (NCCBM) (₹ 0.50 crore) and Development Council for Paper, Pulp and Allied Industries (DCPPAI) (₹ 0.50 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
  - neeting the expenditure arising out of Court orders under Investment Subsidy (old) Scheme. As savings are available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought.
  - meeting additional requirement of funds towards construction of office building for Modernisation & Strengthening of Intellectual Property Offices. As savings are available under revenue section of grant, which will be surrendered, a technical supplementary is sought.

#### डाक विभाग

#### **DEPARTMENT OF POSTS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: भारित: 0.20 0.20 Charged: स्वीकृत: Voted: 16875.97 433.31 17309.28 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अनुमान: now required: भारित: Charged: 0.12 0.67 0.79 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 16876.29 433.98 17310.27 भारित: Charged: 0.32 0.67 0.99 स्वीकृत: Voted: 16875.97 433.31 17309.28 II. इस प्रक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना जोड़ आयोजना-भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3201 - डाक सेवाएं भारित: 3201 - Postal Services Charged: 0.12 (कa) 0.12 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5201 - डाक सेवाओं पर प्ंजी भारित: 5201 - Capital Outlay on Postal Services Charged: 0.67 (खb) 0.67 परिव्यय जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.67 0.12 0.79 भारित: Charged:

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न ₹ 0.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। चूंकि इसे अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक की मांग है।
- (ख) न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न तिमलनाडु सर्कल में भूमि और बिल्डिंग की जरुरत के लिए विधित क्षितिपूर्ति के भुगतान के लिए (₹ 0.67 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। चूंकि इसे अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक की मांग है।

The supplementary appropriations are required for:

- (a) meeting an additional requirement of ₹ 0.12 crore arising out of Court Judgement. As this will be matched by savings available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting an additional requirement of ₹ 0.67 crore towards payment of enhanced compensation for land and building acquired in Tamil Nadu circle arising out of Court Judgement. As the expenditure will be matched by savings available under voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

### दूरसंचार विभाग

#### **DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	12192.86		2510.28	14703.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:			0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		12192.86		2510.30	14703.16
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य श	ोर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	l for under t	he following	Major H	eads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5275 - अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी	स्वीकृत:	5275 - Capital Outlay on Other	Voted:	0.01	(कa)		0.01
परिव्यय		Communication Services					
7275 - अन्य संचार सेवाओं के लिए	स्वीकृत:	7275 - Loans for Other Communication	Voted:	0.01	(खb)		0.01
ऋण		Services					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) 'हेमिस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)' में 51.12% स्टेक अर्जित करने के लिए ₹ 0.03 करोड़ की अतिरक्त जरूरतों को पूरा करना। चंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ख) कंपनी के लिए मैसर्स वीएसएनएल (अब मैसर्स टीसीएल) से अधिशेष भूमि एकत्र करने के प्रयोजन से कंपनी कानून मामलों, विधि, भू-राजस्व और कराधान मामलों की व्यवस्था में विशेषज्ञ परामर्श फर्म नियुक्त करने हेतु 'हेमिस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड' को ऋण देने के लिए ₹ 1 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना। चंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting an additional requirement of ₹ 0.03 crore towards acquiring 51.12% stakes in 'Hemisphere Properties India Limited (HPIL)'. As savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting an additional requirement of ₹ 1 crore for providing loan to 'Hemisphere Properties India Limited' for appointing consulting firm having expertise in handling Company Law matters, legal, land revenue and taxation affairs for the purpose of hiving off of the surplus land from M/s VSNL (now M/s TCL) to the company. As savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

## DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये Ru)	pees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	1.34			1.34
	स्वीकृत:		Voted:	91085.77		10641.53	101727.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		91087.12		10641.53	101728.65
	भारित:		Charged:	1.34			1.34
	स्वीकृत:		Voted:	91085.78		10641.53	101727.31
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	<b>प्</b> रस्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for under	he following	Major He	ad:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3456 - नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत:	3456 -Civil Supplies	Voted:	0.01	(कa)		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) कार्यालयों व्यय के लिए दादरा व नगर हवेली (₹ 0.74 करोड़) और लक्षद्वीप (₹ 0.70 करोड़) में टीपीडीएस प्रचालनों का एण्ड-टू-एण्ड कंप्यूटरीकरण। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांगा गया है। The supplementary grant is required for:

(a) end-to-end Computerization of TPDS operations in Dadra & Nagar Haveli (₹ 0.74 crore) and Lakshadweep (₹ 0.70 crore) towards office Expenses. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## संस्कृति मंत्रालय

## MINISTRY OF CULTURE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये ) (See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

							(करोड़ रुपय	Rupees	in Crore)
					राजस्व		पूंजी		जोड़
					Revenue		Capital		Total
	_	I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:			Voted:	2023.00		39.00		2062.00
		SUPPLEMENTARY GRANT	;						
	स्वीकृत:			Voted:	102.00		•••		102.00
क्र रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the	ne amount						
		now required:							
	स्वीकृत:			Voted:	0.04		0.01		0.05
		Total (Original plus Supplementa	ry)		2125.04		39.01		2164.05
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	ोम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant	will be accounted	ed for unde	er the follow	ving Majo	or Heads:		
					आयोजना		आयोजना-		जोड़
					Plan				Total
							Non-Plan		
· ~						<i>_</i> ,		<i></i>	
•	-						0.01	(खb)	0.02
	-			Voted:					0.01
नरों को सहायता	ū		Governments	Voted:	0.01	(घd)	•••		0.01
	स्वीकृत:			Voted:	0.03		0.01		0.04
		CAPITAL SECTION							
		MAJOR HEAD							
	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Edu	cation, Sports,	Voted:	0.01	(ਝe)			0.01
गरिव्यय		Art and Culture							
	स्वीकृत:	Total (Supplementary)		Voted:	0.04		0.01		0.05
निम्नलिखित हेतु अ	पेक्षित है:		The suppleme	entary grai	nts are requ	uired for:			
सांस्कृतिक संसाध	न एवं प्रशिक्ष	ण केन्द्र, नई दिल्ली को, छात्रवृत्ति	(a) (i)	Grants-	-in-aid Ger	neral to	Centre for C	ultural R	esources
एवं शिक्षा शुल्क व	में वृद्धि करने	के लिए सामान्य सहायता अनुदान		and Tra	aining, Nev	w Delhi f	for enhancem	ent of sc	holarship
(Rs 1.00 करोड़)				and tuit	tion fees (R	s 1.00 c	rore)		
गांधी स्मृति एवं द	र्शन समिति न	ाई दिल्ली को मुद्रण एवं अन्य कार्यों	(ii)	Grants-	-in-aid Gei	neral to	Gandhi Sm	riti and	Darshan
में लगे कर्मचारिय	ों के वेतन क	ो भुगतान करने के लिए सामान्य		Samiti,	New Delh	i for pa	yment of sal	ary to ei	mployees
सहायता अन्दान (	Rs 1.17 करो	इ)							
•			(iii)						
		**	, ,	for the Arts, New Delhi as corpus fund (₹ 50.00 crore)					
	-		(iv)	Grants-in-aid General to Kalakshetra, Chennai fo					
	5	5 5	(,						
		34. ( ( ,		(₹ 1.20		, auty, .	.og.ou.au.ou	., _uga	
				( \ 1.20	5.5.5/				
कला क्षेत्र चेन्नै व	हो जरा-जीर्ण	भवनों के परुदार के लिए पंजीगन	(v)	Grants	for creati	on of C	Capital Assets	s to Kal	akshetra
कला क्षेत्र, चेन्नै व परिसम्पत्ति के सृउ		भवनों के पुरूद्धार के लिए पूंजीगत न(₹ 0.80 करोड़)	(v)				Capital Assets		
	सांस्कृतिक संसाध एवं शिक्षा शुल्क ब (Rs 1.00 करोड़) गांधी स्मृति एवं द में लगे कर्मचारिय सहायता अनुदान ( इन्दिरा गांधी राष्ट्री रूप में सामान्य सह कला क्षेत्र, चेन्ने व	संस्कृति स्वीकृतः स्विकृतः स्वकृतः	स्वीकृतः  स्वीकृतः  स्वीकृतः  रवीकृतः  स्वीकृतः  स्वीकृतः  स्वीकृतः  रवीकृतः  रवीकृ	स्वीकृतः  प्रमिद्धाः  प्रमिक्तः  स्वीकृतः  उupplementary Estimate of the amount now required:  स्वीकृतः  Total (Original plus Supplementary)  II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य  III. This Supplementary Grant will be accounted  REVENUE SECTION  MAJOR HEAD  संस्कृति  स्वीकृतः  2005 - Art and Culture  स्वीकृतः  उ552 - North Eastern Areas  कारों को सहायता  स्वीकृतः  Total (Revenue Section)  CAPITAL SECTION  MAJOR HEAD  स. कला और  स्वीकृतः  Total (Revenue Section)  CAPITAL SECTION  MAJOR HEAD  स. कला और  स्वीकृतः  प्रविकृतः  Total (Supplementary)  विम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैः  सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली को, छात्रवृति (a) (i)  एवं शिक्षा शुल्क में वृद्धि करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (Rs 1.00 करोड़)  गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली को मुद्रण एवं अन्य कार्यो  सं लगे कर्मचारियों के वेतन को भुगतान करने के लिए सामान्य  सहायता अनुदान (Rs 1.17 करोड़)  इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला-केन्द्र, नई दिल्ली को आधारभूत कोष के  रूप में सामान्य सहायता अनुदान (Rs 50.00 करोड़)  कला क्षेत्र, चेन्लों को स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, विधि शुल्क (iv)	स्वीकृतः Voted: SUPPLEMENTARY GRANT:  स्वीकृतः Voted:  5 Supplementary Estimate of the amount now required:  स्वीकृतः Voted:  Total (Original plus Supplementary)  II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत  II. This Supplementary Grant will be accounted for under the properties of the amount now required:  **REVENUE SECTION**  **MAJOR HEAD**  **REVENUE SECTION**  **MAJOR HEAD**  **Aवीकृतः 2552 -North Eastern Areas Voted:  **स्वीकृतः 3601 -Grants-in-aid to State Governments Voted:  **स्वीकृतः 7 Total (Revenue Section) Voted:  **CAPITAL SECTION**  **MAJOR HEAD**  **A, कला और स्वीकृतः 4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Voted:  **Art and Culture**  **Revenue Section**  **CAPITAL SECTION**  **MAJOR HEAD**  **Art and Culture**  **Total (Supplementary)**  **Voted:**  **Total (Supplementary)**  **Voted:**  **The supplementary grained (a) (i) Grants via शिक्षा शुक्क में वृद्धि करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (a) (ii) Grants via शिक्षा शुक्क में वृद्धि करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (RS 1.00 करोड) and tui सामान्य सहायता अनुदान (RS 1.17 करोड) engage (RS 1.17 करोड)  **FERCENTIAL SECTION**  **MAJOR HEAD**  **Art and Culture**  **Total (Supplementary)**  **Voted:**  **The supplementary grained (a) (ii) Grants (RS 1.00 करोड) engage (RS 1.17 करोड)  **ERRENTIAL SECTION**  **MAJOR HEAD**  **Art and Culture**  **Total (Supplementary)**  **Voted:**  **The supplementary grained (a) (iii) Grants (RS 1.00 करोड)  **Art and Fire and Supplementary (Iii) Grants (RS 1.17 करोड)  **ERRENTIAL SECTION**  **MAJOR HEAD**  **Art and Culture**  **Total (Supplementary)**  **Voted:*  **Total (Supplementary)**  **Total (Supplementary)**  **The supplementary grained (a) (ii) Grants (BT 1.17 करोड)  **ERRENTIAL SECTION**  **Art and Culture**  **Total (Supplementary)**  **Total (Supp	Revenue	हिष्णा स्वीकृतः	स्वीकृतः	स्वीकृतः

- (vi) लिलत कला अकादमी नई दिल्ली को शोध अनुदान योजना के पुन:क्रियान्वयन के लिये सामान्य सहायता अन्दान (₹ 0.30 करोड़)
- (vii) लिलत कला अकादमी नई दिल्ली को क्षेत्रीय केन्द्रों के पुनरूद्वार आदि के लिए पूंजीगत परिसम्पित के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.70 करोड)
- (viii) कस्तूरबा गाँधी राष्ट्रीय न्यास को आधारभूत कोष के रूप में राष्ट्रीय संस्थावों के रखरखाव के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.00 करोड)
- (ix) राष्ट्रीय नाट्य स्कूल नई दिल्ली को सामान्य सहायता अनुदान (1) थियेटर कार्यशाला आदि कार्यक्रमों के विस्तार के लिए (₹ 2.00 करोड़) और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के लिए (₹ 0.75 करोड़)।
- (x) नव नालन्दा महाविहार को भूमि के अधिग्रहण के लिए पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेत् अन्दान (₹ 7.00 करोड़)
- (xi) रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर को कार्यरत छात्रों आदि को भुगतान के लिए सहायता अन्दान वेतन (₹ 0.15 करोइ)
- (xii) संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली को जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.64 करोड़)
- (xiii) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली को प्रकाशन, साहित्य पुरस्कार, युवा प्रस्कार आदि के लिए सामान्य सहायता अन्दान (₹ 2.00 करोड़)
- (xiv) आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों को जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर के जनजतीय कलाकारों को अवसर प्रदान करने के लिए जेएण्डके फेस्टिवल का आयोजन करने/को सम्पन्न कराने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.11 करोड़)
- (xv) कला एवं संस्कृति पर टीवी प्रोग्रामिंग को वित्तीय सहायता देने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.90 करोड़)
- (xvi) मद्रास विश्वविधालय की एनसीसी परियोजनाओं के लिए और राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोइ)
- (xvii) साइन्स सिटीज के लिए पूंजीगत परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10.00 करोड़)
- (xviii) स्वामी विवेकानन्द की 150वीं वर्षगाँठ मनाने के लिए शतवर्षीय उत्सव और वर्ष गांठ के तहत पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए अन्दान (₹ 6.00 करोड़).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया हैं।

(ख) निम्निलिखित संस्थानां/संगठनां की अतिरिक्त जरूरतां को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान वेतन: (1) इलाहाबाद संग्रहालय (₹ 0.81 करोड़), (2) सेन्ट्रल युनिवर्सिटी आफ तिब्बेतन स्टडीज, वाराणासी (₹ 5.40 करोड़), (3) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली (₹ 0.54 करोड़), (4) गाँधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति, नई दिल्ली (₹ 0.86 करोड़), (5) खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी (₹ 0.49 करोड़), (6) कलाक्षेत्र, चेन्ने (₹ 0.52 करोड़), (7) लितत कला अकादमी, नई दिल्ली (₹ 0.15 करोड़), (8) राष्ट्रीय नाट्य विधालय, नई दिल्ली(₹ 2.01 करोड़), (9) नव नालन्दा महाविहार (₹ 0.40 करोड़), (10) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली (₹ 1.33 करोड़), (11) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद (₹ 4.92 करोड़) और(12) साहित्य अकादमी (₹ 1.00 करोड़)

- (vi) Grants-in-aid General to Lalit Kala Akademi, New Delhi for re-implementation of Research Grant scheme (₹ 0.30 crore)
- (vii) Grants for creation of Capital Asset to Lalit Kala Akademi,New Delhi for renovation of Regional Centres etc.(₹ 1.70 crore).
- (viii) Grants-in-aid General to Kasturba Gandhi National Trust as Corpus Fund under Maintenance of National Memorials (₹ 5.00 crore).
- (ix) Grants-in-aid General to National School of Drama, New Delhi for: (1) Upgradation of extension programme of theatre workshop etc (₹ 2.00 crore) and for taking up various activities under Tribal Sub Plan (₹ 0.75 crore).
- (x) Grants for creation of Capital Assets to Nava Nalanda

  Mahavihara for acquisition of land (₹ 7.00 crore)
- (xi) Grants-in-aid Salaries to Rampur Raza Library, Rampur for payment to working scholars etc. (₹ 0.15 crore)
- (xii) Grants-in-aid General to Sangeet Natak Akademi, New Delhi under Tribal Sub-plan (₹ 0.64 crore)
- (xiii) Grants-in-aid General to Sahitya Akademi, New Delhi for publication, Sahitya Purskar and Yuva Purskar etc. (₹ 2.00 crore).
- (xiv) Grants-in-aid General to Zonal Cultural Centres under Tribal Sub Plan for organizing/ conducting J & K festival to provide opportunity to the tribal artists of J & K (₹ 2.11 crore).
- (xv) Grants-in-aid General for Financial assistance to TV Programming on Art and Culture (₹ 4.90 crore)
- (xvi) Grants-in-aid General for NCC Project of Madras
  University and for creating digital library at National
  Mission for Manuscripts (₹ 2.00 crore)
- (xvii) Grants for creation of Capital Assets for Science Cities(₹ 10.00 crore)
- (xviii) Grants for creation of capital assets for Celebration of 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda under Centenaries & Anniversaries Celebrations (₹ 6.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid Salaries for meeting the additional requirement of the following Institutions/ Organisations: (1) Allahabad Museum (₹ 0.81 crore), (2) Central University of Tibetan Studies, Varanasi (₹ 5.40 crore), (3) Delhi Public Library, New Delhi (₹ 0.54 crore), (4) Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi (₹ 0.86 crore), (5) Khuda Baksh Oriental Public Library (₹ 0.49 crore), (6) Kalakshetra, Chennai (₹ 0.52 crore), (7) Lalit Kala Akademi, New Delhi (₹ 0.15 crore), (8) National School of Drama, New Delhi (₹ 2.01 crore), (9) Nav Nalanda Mahavihara (₹ 0.40 crore), (10) Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi (₹ 1.33 crore), (11) Salarjung Museum, Hyderabad (₹ 4.92 crore) and (12) Sahitya Akademi (₹ 1.00 crore)

(d)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया हैं।

- (ग) निम्निलिखित संगठनों को उनकी अितिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान: (1) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली (₹ 8.00 करोड़), (2) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली (₹ 0.97 करोड़), (3) राष्ट्रीय नाट्य विधालय नई दिल्ली, (₹ 5.00 करोड़), (4) नामग्याल रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ तिब्बेते लाजी, गंगटोक (₹ 0.20 करोड़), (5) राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, कोलकाता (₹ 2.00 करोड़) (6) मौलाना आबुल कलाम आजाद इन्स्टीट्यूट आफ एशियन स्टडीज (₹ 0.50 करोड़)
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया हैं।
- (घ) (i) स्वामी विवेकानन्द की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने हेतु 'सेन्टेनरीज एण्ड एनीवर्सरीज सेलेब्रेशन' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)
  - (ii) दैगोर कल्चरल काम्लेक्सेस के लिए पूंजीगत परिसम्पित के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10.00 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया हैं।
- (ङ) निम्नलिखित बिल्डिंग प्रोजेटक्स के बड़े निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता: (1) राष्ट्रीय संग्रहालय (₹ 1.00 करोड़),(2) नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी फार कन्जर्वेशन आफ कल्चरल प्रापर्टी (₹ 1.00 करोड़) और नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट्स (₹ 1.00 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया हैं।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General to the following organisations for meeting the additional requirement: (1) Sangeet Natak Akademi, New Delhi (₹ 8.00 crore), (2) Sahitya Akademi, New Delhi (₹ 0.97 crore), (3) National School of Drama, New Delhi (₹ 5.00 crore), (4) Namgyal Research Institute of Tibetology, Gangtok (₹ 0.20 crore), (5) Raja Rammohun Roy Library Foundation, Kolkata (₹ 2.00 crore)and (6) Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies (₹ 0.50 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - (i) Grants-in-aid General under the scheme 'Centenaries and Anniversaries Celebration' for meeting the additional requirement to commemorate 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda (₹ 2.00 crore)
  - (ii) Grants for creation of Capital Assets for Tagore Cultural Complexes (₹ 10.00 crore)
    - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Additional requirement under Major Works for building projects of:
   (1) National Museum (₹ 1.00 crore), (2) National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (₹ 1.00 crore) and
   (3) National Gallery of Modern Arts (₹ 1.00 crore)
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### रक्षा सेवा - थल सेना

#### **DEFENCE SERVICES-ARMY**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: भारित: Charged: 46.93 46.93 स्वीकृत: Voted: 83888.33 83888.33 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 83935.27 83935.27 भारित: Charged: 46.93 46.93 स्वीकृत: 83888.34 83888.34 Voted: II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: जोड़ आयोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना 2076 - Defence Services - Army Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलाइड स्पोर्टस एण्ड अदर इंस्टीट्यूट्स को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 33 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid to National Institute of Mountaineering and Allied Sports and other institutes (₹ 33 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

## रक्षा आयुध फैक्ट्रियां

## **DEFENCE ORDNANCE FACTORIES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: भारित: 5.20 Charged: 5.20 स्वीकृत: 1709.27 1709.27 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1714.48 1714.48 भारित: 5.20 Charged: 5.20 स्वीकृत: Voted: 1709.28 1709.28 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2079 - रक्षा सेवाएं--आयुध कारखाने स्वीकृत: 0.01 0.01 2079 - Defence Services - Ordnance Factories Voted:

यह पूरक अनुदान निम्नितिखित हेतु अपेक्षित है: स्कूलों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 0.15 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid to Schools (₹ 0.15 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

# रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

## **CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupees in Crore		
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:	Cha	arged:		<i>55.42</i>	<i>55.42</i>	
	स्वीकृत:	\	/oted:		86685.29	86685.29	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:	\	/oted:	•••	0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			86740.72	86740.72	
	भारित:	Cha	arged:		<i>55.42</i>	55.42	
	स्वीकृत:	\	/oted:		86685.30	86685.30	
	-	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गित दिर	वाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted for und			r Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4076 - Capital Outlay on Defence Services	/oted:		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्निलिखित के संबंध में व्यय पूरा करना (i) सेना के लिए भूमि का अधिग्रहण (₹ 359 करोड़), (ii) मशीनरी और उपकरण की खरीद (₹ 150 करोड़), अनुसंधान और विकास हेतु निर्माण पूरा करना (₹ 50 करोड़), (iii) आयुध निर्माणी कारखानों के लिए मशीनरी व उपकरणों की खरीद (₹ 120 करोड़) और (iv) रोलिंग स्टॉक और मेक खरीद (₹ 0.01 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure on (i) acquisition of land for army (₹ 359 crore), (ii) procurement of machinery and equipment (₹ 150 crore), meeting expenditure on works (₹ 50 crore) for research and development, (iii) procurement of machinery and equipment (₹ 120 crore) for Ordnance factories and (iv) Rolling Stock and Make Procedure (₹ 0.01 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

## पूर्वीत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

## MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(	करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1847.97		353.00	2200.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1847.98		353.01	2200.99
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्षों के अंतर्गत	न दिखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under t	he following	g Major H	leads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(कa)		0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी	स्वीकृत:	4851 - Capital Outlay on Village and Small	Voted:	0.01	(खb)		0.01
परिव्यय		Industries					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02
	•						

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एनईएचएचडीसी) की पुनरूद्धार योजना में 20 कर्मचारियों के लिए वीआरएस हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹ 2.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को दखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डल्रम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एनईएचएचडीसी) की कार्यशील पूंजी में विस्तार के लिए इक्विटी के रूप में निवेश (₹ 4.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को दखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (a) Grants-in-aid General for implementing VRS for 20 employees in the revival plan of North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Ltd. (NEHHDC) (₹ 2.00 crore).Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) investment as equity to augment working capital of North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Ltd. (NEHHDC) (₹ 4.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupe	ये Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2815.63	69.07	2884.70	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2815.64	69.07	2884.71	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १					
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under the	following Majo	or Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत:	3435 -Ecology and Environment	Voted:	0.01		0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) प्रदूषण निदान हेतु सहायता (₹ 1 करोड़) तथा (ii)डिजर्टीफिकेशन सेल (₹ 1.50 करोड़) के अन्तर्गत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को सामान्य अनुदान सहायता। । अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को दखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है। The supplementary grant is required for:

### विदेश मंत्रालय

### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

			•			ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	9950.47	1768.50		11718.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	-	Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	125.00		125.01
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		9950.51	1893.50		11844.01
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	9950.48	1893.50		11843.98
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी <sup>,</sup>	र्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted					
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी	स्वीकृत:	3605 -Technical and Economic Co-operation	Voted:		0.01	(कa)	0.01
और आर्थिक सहयोग	· ·	with Other Countries					
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
् मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
उ 7605 - विदेशी सरकारों को अग्रिम	स्वीकृत:	7605 - Advances to Foreign Governments	Voted:		125.00	(खb)	125.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	•••	125.01	()	125.01
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार की सहायता के रूप में भूटान की शाही सरकार को सहायता उपलब्ध कराना (₹ 661 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) मालदीव सरकार को स्थायी ऋण सुविधा प्रदान करना (₹155 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 30 करोड़ की बचतों के मद्देनजर ₹125 करोड़ की शेष धनराशि हेतु तकनीकी पूरक की मांग की गई है।

- (a) providing aid to Royal Government of Bhutan as Government of India support for Bhutan's 11th Five Year Plan (₹ 661 crore). Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Standby Credit Facility to Government of Maldives (₹ 155 crore). After taking into account the savings of ₹ 30 crore in the same Section of the Grant, technical supplementary for the balance amount of ₹ 125 crore is sought.

## आर्थिक कार्य विभाग

#### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4-5 देखिये ) (See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 4-5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					•	ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:	•	I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	8865.12	66408.89		75274.01
पूरक अनुदान:	_	SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1000.00	3022.80		4022.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	65.56	0.02		65.58
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		9930.68	69431.71		79362.39
		II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	ाषों के अंतर्ग	त दिखाया जायेग	Π:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under		/lajor Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
<del></del>		DEL/ENLIE GEGTION			Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				<i>(</i>	
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:		10.67	(कa)	10.67
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत:	2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted:		7.00	(खb)	7.00
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	स्वीकृत:	3466 -International Financial Institutions	Voted:		1.05	(गc)	1.05
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:		40.20	(घd)	40.20
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी	स्वीकृत:	3605 -Technical and Economic Co-operation	Voted:		6.64	( <b>ङ</b> e)	6.64
और आर्थिक सहयोग		with Other Countries					
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	•••	65.56		65.56
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4046 - मुद्रा सिक्का निर्माण और	स्वीकृत:	4046 - Capital Outlay on Currency, Coinage	Voted:		0.01	(चf)	0.01
टकसाल पर पूंजी परिव्यय		and Mint					
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों	स्वीकृत:	5466 - Investments in International Financial	Voted:		0.01	(छg)	0.01
में निवेश	-	Institutions					
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:		0.02		0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		65.58		65.58
	·						

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पारिश्रमिक, मेडिकल चिकित्सा, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक व्यय और पेशेवर सेवाओं के कारण अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 25.76 करोड़)। पूंजी भाग के तहत बचतों के अभ्यर्पण (₹ 10.67 करोड़) के मद्देनजर और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचतों के उपयोग के उपरांत, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं देनी होगी।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) के तहत विनिमय दर में परिवर्तन/उतार-चढ़ाव के कारण अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 7.00 करोड़)। पूंजी

- (a) additional requirement (₹ 25.76 crore) on account of Wages, Medical Treatment, Publications, Other Administrative Expenses and Professional Services. Taking into account the surrender of savings (₹ 10.67 crore) under the Capital section and after utilizing the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
  - additional requirement (₹ 7.00 crore) on account of exchange rate variation/fluctuation under International Fund for Agricultural

भाग के तहत बचतों के अभ्यर्पण (₹ 7.00 करोड़), उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं देनी होगी।

- (ग) अफ्रीकी विकास निधि (एएफडीएफ) की बहुपक्षीय ऋण राहत पहल के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.28 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग के तहत बचतों के अभ्यर्पण (₹ 1.05 करोड़) के मद्देनजर और अनुदान के इसी भाग के भीतर उपलब्ध बचतों (₹ 0.23 करोड़) के उपयोग करने के उपरांत, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं देनी होगी।
- (घ) ₹ 12.5 करोड़ के आवसंरचना ऋण का राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) को सामान्य सहायता अनुदान में अंतरण, तकनीकी सहयोग हेतु कॉमन वेल्थ निधि (सीएफटीसी) के लिए निधि की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.80 करोड़), वितीय संबंधों संबंधों आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) नेटवर्क हेतु (₹ 0.36 करोड़), पूंजीगत आस्त्तियों के सृजन हेतु, सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.99 करोड़), नव मृजित एड्स, टीबी और मलेरिया हेतु वैश्विक निधि (जीएफएटीएम) के लिए (₹ 18.60 करोड़) और टीकाकरण व इम्यूनाइजेशन हेतु वैश्विक एलायंस (जीएवीआई) के लिए (₹ 6.20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 0.25 करोड़) के उपयोग के उपरांत और पूंजी भाग के तहत बचतों (₹ 40.20 करोड़) के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय से कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।
- (ङ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और वैश्विक पर्यावरण को अंशदान हेतु विनिमय दर में परिर्तन/उतार-चढ़ाव के कारण अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 6.64 करोड़), पूंजी भाग के तहत बराबर राशि की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।
- (च) सिक्यूरिटी प्रिटिंग एन्ड मिन्टिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड। (एसजीएमसीआईएल) से सिक्कों की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 355.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (छ) विनिमय दर में परिवर्तन/उतार चढ़ाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) के अंशदान हेतु (₹ 27.95 करोड़) और प्रतिभूतियों में (₹ 84.31 करोड़), एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास निधि और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को चयनित पूंजीगत बढ़ोत्तरी के लिए अंशदान पर नकद में के लिए अंतिरिक्त आवश्यकता (₹ 44.75 करोड़)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पुरक की मांग है।

- Development(IFAD). Taking into account the surrender of savings (₹ 7.00 crore) under the Capital section, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (c) additional requirement (₹ 1.28 crore) towards Multilateral Debt Relief Initiative of African Development Fund (AfDF). After taking into account the surrender of savings (₹ 1.05 crore) under the Capital section of the Grant and after utilizing the savings(₹ 0.23 crore) available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- Conversion of Infrastructure Loan of ₹ 12.50 crore into Grants-in-Aid General to National Council for Applied Economic Research (NCAER), additional requirement of funds (₹ 0.80 crore) for Common Wealth Fund for Technical Co-operation(CFTC), for Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Network on Fiscal Relations(₹ 0.36 crore), for Grants-In-Aid-General and for creation of Capital Assets(₹ 1.99 crore), for newly created Global Funds for AIDS,TB and Malaria(GFATM) (₹ 18.60 crore) and for Global Alliance for Vaccination and Immunisation(GAVI)(₹ 6.20 crore). After utilizing the savings (₹ 0.25 crore)available within the same section of the Grant and after taking into account the surrender of savings (₹ 40.20 crore) under the Capital section, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- e) additional requirement (₹ 6.64 crore) on account of exchange rate variation/fluctuation, for Contribution to United Nations Development Programmes(UNDP) and Global Environment. Taking into account the surrender of savings of equivalent amount under the Capital section, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (f) additional expenditure (₹ 355.00 crore) towards Purchase of Coins from Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL). As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.
- additional requirement of funds is on account of exchange rate variation/fluctuation. (₹ 27.95 crore) for Subscription to International Bank for Reconstruction and Development(IBRD) and (₹ 84.31 crore) in Securities;(₹ 44.75 crore) in cash on Subscription to Asian Development Bank, African Development Fund, African Development Bank and International Finance Corporation towards Selective Capital Increase. As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

## वित्तीय सेवा विभाग

### **DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये ) (See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				राजस्व		<i>(करोड़ रुपः</i> पूंजी	ये Rupee	es in Crore) जोड	
				Revenue		Capital		Total	
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				·			
, -	स्वीकृत:		Voted:	7468.99		29900.40		37369.39	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	600.00		1000.00		1600.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount							
अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	800.00				800.00	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8868.99		30900.40		39769.39	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:							
				आयोजना		आयोजना-		जोड़	
				Plan		भिन्न		Total	
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य	स्वीकृत:	2885 -Other Outlays on Industries and	Voted:			300.00	( <b>क</b> a)	300.00	
व्यय		Minerals							
3465 - सामान्य वित्तीय और	स्वीकृत:	3465 -General Financial and Trading	Voted:	500.00	(खb)			500.00	
व्यापारिक संस्थान		Institutions							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	500.00		300.00		800.00	

(b)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) प्रतिबलित आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को निर्गमित निधि की क्षितिपूर्ति का (₹ 300 करोड़) का व्यय पूरा करना। एसएएसएफ से बराबर प्राप्तियों पर विचार करने के उपरांत, इसमें कोई नकद नहीं देना होगा।
- (ख) (i) राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी निधि स्थापित करने हेतु (₹ 500 करोड़) की निधि प्रदान करना; और
  - (ii) संसद द्वारा पारित फैक्टिरिंग अिंधिनियम, 2011 के अनुरूप क्रेडिट गारंटी निधि स्थापित करने के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) को (₹ 500 करोड़) की निधि प्रदान करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध Rs. 500 करोड़ की बचत के मद्देनजर, इसमें Rs. 500 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure of ₹ 300 crore towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF). After taking into account the matching receipts from SASF, this will not entail cash outgo.
  - (i) providing a corpus of ₹ 500 crore to National Credit Guarantee Trust Company (NCGTC) to set up a Credit Guarantee Fund for skill development; and
  - (ii) providing a corpus of ₹ 500 crore to Small Industrial Development Bank of India (SIDBI) in order to set up a Credit Guarantee Fund in consonance with Factoring Act, 2011 passed by the Parliament.

Taking into account the savings of  $\ref{thm}$  500 crore available within the same section of the Grant, this will entail a cash out go of  $\ref{thm}$  500 crore.

## राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण

## TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Ru	ipees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	62134.40	12000.00	74134.40
	स्वीकृत:		Voted:	101882.00		101882.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now	/			
पूरक अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	63.69		63.69
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		164080.09	12000.00	176080.09
	भारित:		Charged:	62134.40	12000.00	74134.40
	स्वीकृत:		Voted:	101945.69		101945.69
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	य शीर्ष के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accoun	nted for under the	following Major	Head:	
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2075 -Miscellaneous General Services	Voted:		63.69	63.69
			गानों में नीचे दर्शाई गयी	वस्लियों को शामिल	नहीं किया गया है जिन्हें व्य	य में से घटाकर
		<b>Note:</b> The above estimates of additional requirement in reduction of expenditure.	ents do not take into	o account the recov	veries shown below, whi	ch are adjusted
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों के ऋण को रद्द करने का अतिरिक्त प्रावधान करने हेतु (₹ 63.69 करोड़)। इसमें नकद नहीं देना होगा चूंकि व्यय प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा।

The supplementary grant is required for:

making additional provision to write off of loans to State Governments in terms of recommendations made by 13th Finance Commission (₹ 63.69 crore). There will be no cash outgo as expenditure will be met by receipts.

## व्यय विभाग

## DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	140.12		140.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		140.13		140.13
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य र्श	ोर्ष के अंतर्गत दिर	वाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under the	following Majo	r Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	•••	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना (₹ 3.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को दखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है। The supplementary grant is required for:

setting up of Seventh Central Pay Commission ( $\mathfrak{T}$  3.50 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

### राजस्व विभाग

## **DEPARTMENT OF REVENUE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारि	त:	Charged:	0.02	•••	0.02
स्वीकृ	त:	Voted:	10117.17	100.71	10217.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount nov	v			
अनुमान:	required:				
भारि	त:	Charged:	26.50	•••	26.50
स्वीकृ	त:	Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		10143.70	100.71	10244.41
भारि	त:	Charged:	26.52		26.52
स्वीकृ	त:	Voted:	10117.18	100.71	10217.89
		~~~	· · · · · · ·		

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना- भिन्न		जोड़ Total
				Plan	Non-Plan		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	***	0.01	(कa)	0.01
2875 - अन्य उद्योग	भारित:	2875 - Other Industries	Charged:	•••	26.50	(खb)	26.50
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			26.51		26.51
	भारित:		Charged:		26.50		26.50
	स्वीकृत:		Voted:		0.01		0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) के व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम (₹ 2.58 करोड़) की रिकृपिंग।
  - (ii) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान (₹ 0.22 करोड़) प्रदान करना।
    - चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ख) माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 8.01.2013 के निर्णय के अनुसार व्यापार कर विभाग, उ.प्र. को ₹ 26.50 करोड़ के खरीदारी कर व उस पर ब्याज का भुगतान। चूंकि बचत के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) (i) recouping an advance of ₹ 2.58 crore taken from the Contingency Fund of India for meeting expenditure of the Tax Administration Reform Commission (TARC).
  - (ii) providing contribution of ₹ 0.22 crore to various International Organisations.
    - As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - Payment of Purchase Tax & Interest thereon of ₹ 26.50 crore to the Trade Tax Department, Uttar Pradesh (UP) as per the Honourable High Court Order dated 8.01.2013. As savings are available within the same section of Grant under Voted, this will not entail any additional cash out go.

## प्रत्यक्ष कर

## **DIRECT TAXES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupe	रुपये Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	3771.91	589.98	4361.89	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3771.91	589.99	4361.90	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under the	following Majo	or Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कोची में नए कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु भूमि की खरीद तथा मैस्र में आवासीय क्वार्टर तथा गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु भी भूमि की खरीद के लिए (₹ 16.10 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है। The supplementary grant is required for:

purchase of land for construction of new office complex at Kochi and also purchase of land for construction of residential quarters and Guest House at Mysore for Income Tax Offices (₹ 16.10 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### अप्रत्यक्ष कर

## **INDIRECT TAXES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये	Rupees in Cror	re)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	l
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.50		0.3	50
	स्वीकृत:		Voted:	3829.75	149.25	3979.0	00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	ow				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	31.03	0.01	31.0	04
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplementary)		3861.28	149.26	4010.	54
	भारित:		Charged:	0.50		0.3	50
	स्वीकृत:		Voted:	3860.78	149.26	4010.0	)4
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंतर्गत '	दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for under th	e following Ma	jor Heads:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	I
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत:	2037 -Customs	Voted:		0.01	(कa) 0.0	21
2038 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	स्वीकृत:	2038 -Union Excise Duties	Voted:		31.02	(खb) 31.0	)2
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:		31.03	31.0	03
पूंजी भाग	-	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
४२१६ - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:		0.01	(गc) 0.0	21
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	•••	31.04	31.0	04

यह प्रक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) 'रिवार्डस' के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 8.00 करोड़)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) 'रिवार्डस' (₹ 7.00 करोड़) और विज्ञापन व प्रचार (₹ 34.42 करोड़)का व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान के पूंजी भाग से ₹ 31.02 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, इसमें नकद नहीं देना होगा।
- (ग) ₹ 1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना अथार्त (i) महाराष्ट्र हाऊसिंग और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए), बिल्डिंग पोवाई, मुंबई में 256 फ्लैटों की एक बार मरम्मत संस्थापना (₹ 1.16 करोड़), और (ii) हैदराबाद में 287 निर्मित फ्लैटों की खरीदारी के लिए अंतिम किस्त के भुगतान हेतु (₹ 0.70 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (a) meeting additional expenditure towards 'Rewards' (₹ 8.00 crore).
   As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards 'Rewards' (₹ 7.00 crore) and Advertising & Publicity (₹ 34.42 crore). After taking into account the savings available within the same section of the Grant and surrendering of savings of ₹ 31.02 crore from the Capital Section of the Grant, this will not entail cash out go.
- c) meeting additional expenditure of ₹ 1.86 crore i.e. (i) one time repair installation of 256 flats at Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) Building at Powai, Mumbai (₹ 1.16 crore) and (ii) for payment of final instalment for purchase of 287 ready build flats in Hyderabad (₹ 0.70 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### स्वास्थ एवं कल्याण विभाग

#### DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुप	ये Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	33012.27	2862.67	35874.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount				
अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:	16.29		16.29
	स्वीकृत:		Voted:	0.05	0.01	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		33028.61	2862.68	35891.29
	भारित:		Charged:	16.29		16.29
	स्वीकृत:		Voted:	33012.32	2862.68	35875.00

- II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		ii. This Supplementary Grant/Appropriat	This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads.						
				आयोजना		आयोजना-		जोड़	
				Plan		भिन्न		Total	
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	भारित:	2210 - Medical and Public Health	Charged:			16.29	( <b>क</b> a)	16.29	
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02	
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत:	2211 -Family Welfare	Voted:	0.01	(घd)	0.01	(ਝe)	0.02	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(चf)			0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		0.03		16.31		16.34	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थय	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	0.01	(छg)			0.01	
पर पूंजी परिव्यय		Public Health							
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.04		16.31		16.35	
	भारित:		Charged:			16.29		16.29	
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		0.02		0.06	

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) निम्निलिखित को भुगतान हेतु: (i) राष्ट्रीय कुष्ठरोग शिक्षा कार्यक्रम के लिए मैसर्स इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल लि. अहमदाबाद (16.08. करोड़ रू.) और (ii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में विवाचन निर्णय के लिए डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली हेतु मैसर्स इनोक्स एयर प्रोडक्ट लि. (0.21 करोड़ रू.)
  - इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुदान के स्वीकृत खंड में बचत उपलब्ध है, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) निम्निलिखित को सामान्य रूप से सहायता अनुदान के लिए: (i) निगरानी सिमिति के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लिनेंग (12.58 करोड़ रू.), (ii) वल्लभ भई पटेल संस्थान, दिल्ली (1.49 करोड़ रू.), (iii) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर (0.63

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Making payment to: (i) M/s International Pharmaceutical Ltd., Ahmedabad for National Leprosy Eradication Programme (₹ 16.08 crore) and (ii) M/s Inox Air Products Ltd for Dr. RML Hospital, New Delhi (₹ 0.21 crore) towards Arbitration Award in pursuance of directions of Hon'ble High Court of Delhi.
  - Taking into account savings are available in the Voted Section of the Grant, there will be no Cash outgo.
  - (i) Grants-in-aid General to: (i) Institutions of Higher Learning as per Oversight Committee (₹ 12.58 crore),(ii) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 1.49 crore),(iii) All India Institute of Speech and Hearing, Mysore (₹ 0.63

करोड़ रू.), (iv) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमआर, पूद्चेरी (6.60 करोड़ रू.), (v) कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, वर्धा (4.86 करोड़ रू.), (vi) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे स्पर-स्पेसियल्टी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (30.00 करोड़ रू.), (vii) भारतीय खाद्य स्रक्षा एवं मानक प्राधिकरण (4.00 करोड़ रू.), राज्य खाद्य विनियामक प्रणाली का स्दढ़ीकरण (30.81 करोड़ रू.) (20.02 करोड़ रू. सामान्य क्षेत्र के लिए, 7.01 करोड़ रू. अन्सूचित जाति के लिए विशेष घटक तथा 3.78 करोड़ रू. अन्सूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना हेत्), (ix) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा (2.70 करोड़ रू.), (x) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (0.10 करोड़ रू.), (xi) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (225.86 करोड़ रू.) (147.35 करोड़ रू. सामान्य क्षेत्र के लिए, 49.05 करोड़ रू. अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना तथा 29.46 करोड़ रू. अन्सूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना हेत्), (xii) राष्ट्रीय ड्रग नशा-मृक्ति कार्यक्रम (7.99 करोड़ रू.), (xiii) राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (203.00 करोड़ रू.), (xiv) राष्ट्रीय कृष्ठरोग शिक्षा कार्यक्रम (15.68 करोड़ रू.) (8.78 करोड़ रू. सामान्य क्षेत्र के लिए, 4.49 करोड़ रू. अन्सूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना तथा 2.41 करोड़ रू. अन्सूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना हेत्), (xv) एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (11.00 करोड़ रू.), (xvi) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (62.17 करोड़ रू.) (33.06 करोड़ रू. सामान्य क्षेत्र के लिए, 18.91 करोड़ रू. अन्सूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना तथा 10.20 करोड़ रू. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना हेतु) और (vii) राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (6.65 करोड़ रू.)

- (ii) निम्नलिखित की पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेत् अन्दान: (i) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर (17.99 करोड़ रू.), (ii) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर, प्द्चेरी (54.00 करोड़ रू.), (iii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे स्पर-स्पेसियल्टी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के असपतालों का उन्नयन (259.99 करोड़ रू.), (iv) सवासथय के लिए मानव संसाधन – जिला असपताल – राजय सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन (स्नातकोत्तर सीटें) -(152.97 करोड़ रू.) (99.99 करोड़ रू. सामान्य क्षेत्र के लिए, 34.99 करोड़ रू. अन्सूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना तथा 17.99 करोड़ रू. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना हेत्), (v) पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्न्नूर (11.00 करोड़ रू.), और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), नई दिल्ली (0.58 करोड़ रू.) तथा राष्ट्रीय ड्रग नशा-म्क्ति कार्यक्रम के तहत नेशनल इंसटीट्यट ऑफ मेंटल हेलथ एंड नयुरो (एनआईएमएचएएनएस), बंगल्रू (3.55 करोड़ रू.)।
- (iii) वेतनार्थ सहायता अनुदान: (i) निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान (₹ 44.85 करोड़), (ii) वल्लभ भाई पटेल छाती-रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 0.25 करोड़), (iii) क्षेत्रीय स्नाकोत्तर केन्द्र जिपमेर, पुडुचेरी (₹ 20.00 करोड़)और (iv) लाला राम स्वरूप टी.बी. और संबद्ध रोग, नई दिल्ली (₹ 1.55 करोड़)।

crore),(iv)Regional Post Graduate Centre, JIPMER. Puducherry (₹ 6.60 crore), (v) Kasturba Health Society, Wardha (₹ 4.86 croe), (vi) Establishment of AIIMS type Super- Specialty Hospital-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospital (₹ 30.00 crore), (vii) Food Safety and Standard Authority of India (₹ 4.00 crore)(viii) Strengthening of State Food Regulatory System (₹ 30.81 core) (₹ 20.02 crore for General Area, ₹ 7.01 crore for Special Component for Scheduled Castes and ₹ 3.78 crore for Tribal Area Sub Plan), (ix) National Institute of Biologicals, Noida (₹ 2.70 crore), (x) Central Bureau of Health Intelligence (₹ 0.10 crore), (xi) National Vector Borne Disease Control Programme (₹ 225.86 crore) (₹ 147.35 crore for General Area, ₹ 49.05 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 29.46 crore for Tribal Area Sub Plan), (xii) National Drug De-addiction Programme (₹ 7.99 crore), (xiii) National T.B. Control Programme (₹ 203.00 crore),(xiv) National Eradication Programme (₹ 15.68 crore) (₹ 8.78 crore for General Area, ₹ 4.49 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 2.41 crore for Tribal Area Sub Plan), (xv) Integrated Disease Surveillance Project (₹ 11.00 crore), (xvi) National Blindness Control Programme (₹ 62.17 crore) (₹ 33.06 crore for General Area, ₹ 18.91 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 10.20 crore for Tribal Area Sub Plan) and (xvii) National Tobacco Control Programme (₹ 6.65 crore )

- (ii) Grants for creation of capital assets to: (i) All India Institute of Speech and Hearing , Mysore (₹ 17.99 crore),(ii) Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 54.00 crore), (iii)Establishment of AIIMS type Super-Specialty Hospital-cum Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospital(₹ 259.99 crore), (iv) Human Resources for Health - District Hospital - Upgradation of State Government Medical Colleges (PG Seats)- (₹ 152.97 crore )(₹ 99.99 crore for General Area, ₹ 34.99 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 17.99 crore for Tribal Area Sub Plan),(v) Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 11.00 crore )and (vi)All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi (₹ 0.58 crore) and National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), Bangaluru (₹ 3.55 crore) under National Drug De-addiction Programme.
- (iii) Grants-in-aid Salaries to: (i) Institutions of Higher Learning as per Oversight Committee (₹ 44.85 crore), (ii) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.25 crore), (iii) Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 20.00 crore)and (iv) Lala Ram Swarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 1.55 crore).

- (iv) खाय-मिलावट संबंधी प्रशासन और रोक- भारतीय खाय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से खाय अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद में स्टाफ के स्थानांतरण संबंधी पदस्थापन प्रभारों को पूरा करने के लिए (₹ 1.86 करोड़)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) (i) सामान्य सहायता अनुदानः(i) वल्लभ भई पटेल छाती-रोग संस्थान, दिल्ली (0.30 करोड़ रू.), (ii) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (₹ 0.85 करोड़), (iii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 15.00 करोड़) (iv) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू (₹ 5.66 करोड़),(v) अखिल भारतीय वाणी और श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 0.68 करोड़), (vi) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जिपमेर, पुडुचेरी (₹ 8.60 करोड़), (vii) लाला राम स्वरूप टी.बी. और संबंध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 0.08 करोड़) और (viii) नई दिल्ली टी.बी. केन्द्र (₹ 0.32 करोड़)।
  - (ii) वेतनार्थ सहायता अनुदान: (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 65.00 करोड़)(ii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिक विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू (₹ 4.38 करोड़)(iii) स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंढ़ीगढ़ (₹ 62.00 करोड़),(iv)क्षेत्रीय स्नातकोत्तर क्षेत्र, जिपमेर, पुडुचेरी (₹ 0.05 करोड़),(vi)राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (₹ 0.05 करोड़),(vi)लाला राम स्वरूप टी.बी. और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 1.75 करोड़) और नई दिल्ली ती.बी. केन्द्र (₹ 0.54 करोड़)।
  - (iii) खाद्य-मिलावट संबंधी प्रशासन और रोक- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद में स्टाफ के स्थानांतरण संबंधी पदस्थापन प्रभारों को पूरा करने के लिए (₹ 2.61 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) सामान्य सहायता अनुदान: (i) राज्य/जिला परिवार कल्याण (एफडब्ल्यू) ब्यूरोक्स का अनुसरण (₹ 1.48 करोड़)(iii) उप-केन्द्र (₹ 2.50 करोड़),(iiii)ओग्जिलियरी नर्स मिडवाइफ/लेडी हेल्थ विजिटर प्रशिक्षण (एएनएम/ एलएचवी)(₹ 0.24 करोड़),(iv) गांधी ग्राम संस्थान (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र) (₹ 0.15 करोड़), (v)जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (₹ 3.60 करोड़), (vi) आरसीएच फ्लेक्सिवल पूल-जीसी (₹ 440.55 करोड़) (₹ 284.97 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए योजना के विशेष घटक हेतु ₹ 101.00 करोड़ और जनजीवन क्षेत्र उप योजना के लिए ₹ 54.58 करोड़),(vii)राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान (₹ 1799.11 करोड़) (₹ 1181.02 करोड़ अनुसूचित जातियों के लिए योजना के विशेष घटक हेतु ₹ 400.20 करोड़ और जनजातीय क्षेत्र उप योजना हेतु ₹ 217.89 करोड़ और (viii)सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत एफपी कार्यक्रम में एनजीओ की सहभागिता (₹ 0.30 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (iv) Administration and Prevention of Food Adulteration For meeting establishment charges of the staff transferred from Food Safety and Standard Authority of India to Food Research and Standardization Laboratory, Ghaziabad (₹ 1.86 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants-in-aid General to : (i) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.30 crore),(ii) Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata(₹ 0.85 crore), (iii) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi(₹ 15.00 crore) (iv) National Institute of Mental Health and Neuro-Science, Bengaluru (₹ 5.66 crore),(v)All India Institute of Speech and Hearing, Mysore (₹ 0.68 crore), (vi) Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 8.60 crore), (vii) Lala Ram Swarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 0.08 crore) and (viii) New Delhi T.B. Centre (₹ 0.32 crore).
- (ii) Grants-in-aid Salaries to: (i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 65.00 crore)(ii) National Institute of Mental Health and Neuro Science, Bengaluru(₹ 4.38 crore), (iii)Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh (₹ 62.00 crore),(iv) Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 5.00 crore),(v) National Acadamy of Medical Sciences (₹ 0.05 crore),(vi) Lala Ram Swarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 1.75 crore)and New Delhi T.B. Centre (₹ 0.54 crore).
- (iii) Administration and Prevention of Food Adulteration For meeting establishment charges of the staff transferred from Food Safety and Standard Authority of India to Food Research and Standardization Laboratory, Ghaziabad (₹ 2.61 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants-in-aid General to: (i) Maintenance of State/District FW Bureaux (₹ 1.48 crore), (ii) Sub-Centres (₹ 2.50 crore), (iii)Training of Auxiliary Nurse Midwife/Lady Health Visitor (ANM/LHVs) (₹ 0.24 crore), (iv) Gandhigram Institute (Health and Family Welfare Training Centres) (₹ 0.15 crore), (v) Population Research Centre (₹ 3.60 crore), (vi) RCH Flexible Pool -GC (₹ 440.55 crore) (₹ 284.97 crore for General Area, ₹ 101.00 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 54.58 crore for Tribal Area Sub Plan), (vii) National Urban Health Mission (₹ 1799.11 crore) (₹ 1181.02 crore for General Area, ₹ 400.20 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 217.89 crore for Tribal Area Sub Plan) and (viii) Involvement of NGOs in FP Programme under Public-Private Partnership (PPP) (₹ 0.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (ङ) सामान्य सहायता अनुदान-राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पिरवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली-जल,बिजली के बढ़े हुए प्रशुल्कों और उपभोज्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि इत्यादि के कारण अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए (₹ 0.50 करोड़)।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (च) (i) निम्निलिखित के लिए सहायता अनुदान: (i) राज्य खाय नियामक प्रणाली (₹ 3.87 करोड़), (ii)आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल-जीसी (₹ 59.45 करोड़), (iii)राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹ 199.89 करोड़), (iv)राष्ट्रीय वाहक वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 24.05 करोड़), (v)राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 10.43 करोड़) और (vi)राष्ट्रीय तंबाकृ नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.18 करोड़)।
  - (ii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियां मृजित करने हेतु अनुदानः (i)क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल (₹ 59.00 करोइ), (iii)लोकोप्रिया गोपीनाथ बार्दोलाई क्षेत्रीय मानिसक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर (₹ 55.50 करोइ), (iii)क्षेत्रीय अर्धचिकित्सीय तथा निर्संग विज्ञान संस्थान, आइजोल (₹ 23.00 करोइ, (iv)मानक स्वास्थ्य संसाधन-जिला अस्पताल-राज्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन (परास्नातक सीट)(₹ 18.99 करोइ, (v)नए चिकित्सीय महाविद्यालयों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन)(₹ 45.63 करोइ)और (vi)राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को अग्रिम संबंधन प्रदान करना (₹ 180.00 करोइ)।
  - (iii) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग को वेतन अन्दान सहायता (₹ 2.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

निम्नलिखित हेत् पूरक अनुदान की आवश्यकता है: (i)केन्द्रीय सरकारी (छ) स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत डिस्पेन्सरियों अस्पतालों की स्थापना (₹ 5.00 करोड़)-बड़े निर्माण कार्यों हेतु व्यय को पूरा करने के लिए,(ii)केन्द्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान (₹ 2.00 करोड़)-यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए (iii)ओवरसाइट कमिटी के अनुसार उच्चशिक्षा संस्थान (₹ 85.92 करोड़)- यंत्रों और उपकरणों पर (₹ 49.98 करोड़ ) और बड़े निर्माण कार्यों पर (₹ 35.94 करोड़) होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए,(iv)तंबाक् नियंत्रण (₹ 1.00 करोड़) - यंत्रों और उपकरणों पर व्यय को पूरा करने के लिए, (v)क्षेत्रीय क्ष्ठ रोग प्रशिक्षण तथा अन्संधान संस्थान, आस्का (₹ 10.79 करोड़)करने - बड़े निर्माण कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए,(vi)क्षेत्रीय क्ष्ठ रोग प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, रायपुर (₹ 1.57 करोड़) - बड़े निर्माण कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए, (vii)बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गुइन्डी (₹ 38.17 करोड़) -यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर (₹ 23.00 करोड)और बड़े निर्माण कार्यों पर (₹ 15.17 करोड)होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए, (viii)केन्द्रीय अन्संधान संस्थान कसौली (₹ 0.11 करोड़) - मोटर वाहन की खरीद पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए,(ix)राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (₹ 5.27 करोड़ ) -यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर (₹ 4.80 करोड़) और बड़े निर्माण कार्यों पर (₹ 0.47 करोड़) होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए तथा (x)आपात चिकित्सीय राहत (पक्षीफ्ल्य्)(₹ 1.65 करोड़) -अतिरिक्त कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सिजनेटर (ईसीएमओ) मशीन पर होने वाली लागत को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित

(e) Grants-in-aid General to National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi - For meeting additional expenditure due to upward revision of tariffs of water, electricity and hike in prices of consumables, reagents etc (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid General to : (i) State Food Regulatory System (₹ 3.87 crore), (ii) RCH Flexible Pool -GC (₹ 59.45 crore), (iii) National Urban Health Mission (₹ 199.89 crore), (iv) National Vector Borne Disease Control Programme (₹ 24.05 crore), (v) National Blindness Control Programme (₹ 10.43 crore) and (vi) National Tabacco Control Programme (₹ 0.18 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets to : (i) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 59.00 crore), (ii) Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Heatlh, Tezpur (₹ 55.50 crore), (iii) Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl (₹ 23.00 crore, (iv) Human Resources for Health District Hospitals Upgradation of State Government Medical Colleges (PG seats) (₹ 18.99 crore), (v) Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹ 45.63 crore)and (vi) Forward Linkages to NRHM (₹ 180.00 crore).
- (iii) Grants-in-aid Salaries to North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (₹ 2.00 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

The Supplementary Demands is required for: (i) Setting up of Dispensaries/Hospital under CGHS (₹ 5.00 crore)- for meeting expenditure on major works,(ii) Central Institute of Psychiatry (₹ 2.00 crore)- for meeting expenditure on procurement of machinery and equipments, (iii) Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 85.92 crore) - for meeting additional expenditure on machinery and equipments (₹ 49.98 crore ) and major works (₹ 35.94 crore),(iv) Tobacco Control (₹ 1.00 crore) for meeting expenditure on machinery and equipments, (v) Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (₹ 10.79 crore) - for meeting expenditure on major works, (vi) Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (₹ 1.57crore) - for meeting expenditure on major works, (vii) BCG Vaccine Laboratory, Guindy (₹ 38.17 crore) - for meeting expenditure on procurement of machinery and equipments (₹ 23.00 crore) and major works (₹ 15.17 crore), (viii) Central Research Institute, Kasauli (₹ 0.11 crore) - for meeting expenditure on procurement of motor vehicles, (ix) National Organ Transplant Programme (₹ 5.27 crore) - for meeting expenditure on procurement of machinery and equipments (₹ 4.80 crore) and major works (₹ 0.47 crore) and (x) Emergency Medical Relief (Avian Flu) (₹ 1.65 crore) - to meet cost of Extra Corporeal Membrane Oxygenator (ECMO) machine.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# आय्र्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आय्ष) DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(	'करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1249.60		9.40	1259.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	· ·	Supplementary Estimate of the amount no	w				
अनुमान:		required:					
S	स्वीकृत:		Voted:			18.00	18.00
जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Original plus Supplementary)		1249.60		27.40	1277.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	<i>ज्य</i> शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया र	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for unde	er the follow	ing Majo	or Head:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
- 4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थय पर	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	18.00	( <b>क</b> a)		18.00
पूंजी परिव्यय	Č	Public Health					
यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षि	त है:	The suppleme	ntary grant is	required fo	r:		

यह पूरक अनुदान ।नम्नालाखत हतु अपाक्षत ह:

कार्यालय भवन की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

अनुदान के राजस्व भाग में अभ्यर्पित उपलब्ध बचतों को देखते ह्ए उर्पयुक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नही होगा।

For meeting the additional requirement on Acquisition of Office Building.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

### DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये) (See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी राजस्व जोद Revenue Capital Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 1008.00 1008.00 इस समय आवश्यक रकम का पुरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1008.02 1008.02 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: जोड भिन्न Plan Total Non-Plan REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health Voted: 0.01 (कa) 0.01 (खb) 0.02

यह प्रक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- The supplementary grant is required for:
- (क) (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को परियोजना के कार्यान्वयन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान जैसा अनुदान मांग संबंधी संसदीय स्थायी समिति और स्थायी वित्त समिति द्वारा सिफारिशों के अनुसार आईसीएमआर की वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुसंधान गतिविधियों के निष्पादन के लिए अनुमोदन किया गया है। (₹ 195.60 करोड़)
  - (ii) भोपाल मैमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी) में पुराने उपकरणों को बदलने और आईसीएमआर के तहत विभिन्न संस्थानों के लिए उपकरणों की खरीद की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु आईसीएमआर को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 84.00 करोड़)
  - (iii) राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एनआईआरईएच), भोपाल और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केन्द्र (एनसीडीआईआर), बंगलूरू में नव सृजित पदों को भरने की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु आईसीएसआर को वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड)
    - बचत के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ख) (i) आईसीएमआर के तहत कार्यशील 32 संस्थानों केन्द्रों की संचालन लागत और भोपाल गैस पीड़ितों को दवा की बढ़ी कीमत की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए आईसीएमआर को सामान्य अनुदान (₹ 66.10 करोड़)।
  - (ii) बीएमएचआरसी, भोपाल में रिक्त पदों को भरने,कार्मिकों को मंहगाई भत्ते बकाया वेतनवृद्धि के भुगतान और आईसीएमआर के वैज्ञानिकों को पंचवर्षीय मूल्यांकन के कारण अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु आईसीएमआर को वेतन सहायता अनुदान (₹ 27.90 करोड़)।
    - बचत के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

- a) (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Medical Research (ICMR), New Delhi for meeting additional requirement on implementation of project as approved by the Scientific Expert Committee of ICMR for carrying out research activities as per the recommendations of the Standing Committee of Parliament on Demands for Grants and for new projects approved by Standing Finance Committee (₹ 195.60 crore)
  - (ii) Grants for creation of capital assets to ICMR for additional requirement for replacement of old equipments in Bhopal Memorial Hospital and Research Centre (BMHRC), Bhopal and procurement of equipments for different institutes under ICMR (₹ 84.00 crore)
  - (iii) Grants-in-aid salaries to ICMR for additional requirement for filling up of newly created posts in National Institute of Research in Environment Health (NIREH), Bhopal and National Centre for Diseases Informatics and Research (NCDIR), Bangaluru. (₹ 2.00 crore)
    - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants-in-aid General to ICMR for meeting additional requirement on operational cost of 32 Institute/Centres functioning under ICMR and increased cost of medicine for gas victims of Bhopal (₹ 66.10 crore).
  - (ii) Grants-in-aid Salaries to ICMR for meeting additional requirement for filling up of vacant posts in BMHRC, Bhopal, payment of DA/arrears/increment to the staff and on account of Five Yearly Assessment of Scientists of the ICMR (₹ 27.90 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## भारी उध्योग विभाग

#### DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये ) (See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	461.41		567.56		1028.97
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:			328.46		328.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
_	स्वीकृत:		Voted:	442.54		0.03		442.57
जोड़ (मूल और पूरक)	· ·	Total (Original plus Supplementary)		903.95		896.05		1800.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	। शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया उ	गयेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account				r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:			442.54	( <b>क</b> a)	442.54
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4858 - अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजी	स्वीकृत:	4858 - Capital Outlay on Engineering	Voted:	0.01	(खb)			0.01
परिव्यय	· ·	Industries						
4860 - उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी	स्वीकृत:	4860 - Capital Outlay on Consumer	Voted:	0.01	(गc)			0.01
परिव्यय	Č	Industries						
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए	स्वीकृत:	6860 - Loans for Consumer Industries	Voted:			0.01	(ঘd)	0.01
ऋण	C						` ,	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.02		0.01		0.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		442.55		442.57
		• • • •						

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) एचएमटी के पुनरूज्जीवन आयोजना के अनुसार बुक समायोजन के तौर पर भारत सरकार ऋण पर ब्याज की छूट (₹ 201.88 करोड़) और गारंटी फीस की छूट (₹ 3.76 करोड़)और इसमें नकदी शामिल नहीं होगी।
  - (ii) एन्ड्रय् यूल एण्ड कं. लिमि. के पुनर्गठन पैकेज के अनुसार बुक समायोजन के तौर पर भारत सरकार को ऋण पर ब्याज की छूट (₹ 38.99 करोड़)और इसमें नकदी शामिल नहीं होगी।
  - (iii) एन्ड्रयू यूल एण्ड कं. लिमि. के पुनर्गठन पैकेज के तौर पर संचयी हानि के खिलाफ भारत सरकार की इक्विटी का अंशदान (₹ 12.95 करोड़) और इसमें नकदी शामिल नहीं होगी।

- (i) Waiver of interest on GoI loan (₹ 201.88 crore) and on Guarantee fee (₹ 3.76 crore) as per the revival plan of HMT Ltd. as book adjustment and no cash outgo is involved.
  - (ii) Waiver of interest on Gol loans (₹ 38.99 crore) as per restructuring package of Andrew Yule and Co. Ltd as book adjustment and no cash outgo is involved.
  - (iii) Writing off of GoI equity against accumulated loses (₹ 12.95 crore) as per restructuring package of Andrew Yule and Co. Ltd as book adjustment and no cash outgo is involved.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (iv) भारी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमि. के बुक समायोजन के तौर पर पुनरूज्जीवन आयोजना के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 हेतु गारंटी फीस की छूट (₹ 2.53 करोड़)और इसमें नकदी शामिल नहीं होगी।
- (v) अनुमोदित पुनरूज्जीवन आयोजना के अनुसार भारतीय इंजीनियरिंग को-ऑपरपेशन लिमि. के पूंजी प्राप्ति कर देयता पूरा करना। इसमें कोई नकद नहीं देना होगा।
- (ख) कंपनियों की अनुमोदित पुनरूज्जीवन आयोजना के अनुसार, एचएमटी लिमि. (₹ 443.74 करोड़) और एन्ड्रयू यूल एण्ड कं. लिमि. (₹ 41.52 करोड़) के संबंध में सरकारी ऋण की इक्विटी में अंतरण। इसके लिए सांकेतिक पुरक की मांग है।
- (ग) एनईपीए लिमि. के पुनरूज्जीवन आयोजना के अनुसार निधियों का भारत सरकार की इक्विटी के रूप में सिम्मिश्रण (₹ 54 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरकी की मांग है।
- (घ) अनुमोदित पुनरूज्जीवन आयोजना के अनुसार एनईपीए को गैर-आयोजना ऋण के तौर पर नकद हानि को पूरा करना (₹ 17.18 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पुरकी की मांग है।

- (iv) Waiver of guarantee fee (₹ 2.53 crore) for FY 2013-14 as per revival plan of Heavy Engineering Cooperation Ltd.as book adjustment and no cash outgo is involved.
- (v) Meeting the Capital Gain Tax Liability of Heavy Engineering Cooperation Ltd. (Rs 182.43 crore) as per the approved revival plan. This will entail cash outgo.
- (b) Conversion Gol loan into equity in respect of HMT Ltd (₹ 443.74 crore) and Andrew Yule and Company Ltd(₹ 41.52 crore) as per approved revival plan of the companies. A token supplementary is sought for the necessary accounting adjustments.
- (c) Infusion of Funds in the form of GoI equity (₹ 54 crore) as per the revival plan of NEPA Ltd. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (d) Meeting the cash losses (₹ 17.18 crore) as Non-Plan loan to NEPA Ltd as per the approved revival plan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

## गृह मंत्रालय

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) जोड़ राजस्व पूंजी Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 2108.51 65.35 2173.86 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 2108.52 65.35 2173.87 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** स्वीकृत: 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2052 - Secretariat-General Services Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

एनडीसीसी-II बिल्डिंग के किराये के भुगतान संबंधी व्यय को पूरा करना (₹ 18.00 करोट)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure on payment of rent towards NDCC II building (₹ 18.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# पुलिस

## POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी राजस्व जोड Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: भारित: 9.94 2.92 Charged: 12.86 स्वीकृत: 43386.99 9104.96 52491.95 Voted: इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अन्मान: now required: भारित: Charged: 8.17 8.17 स्वीकृत: Voted: 2222.11 1.02 2223.13 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 45627.21 9108.90 54736.11 भारित: Charged: 18.11 2.92 21.03 स्वीकृत: 45609.10 9105.98 54715.08 Voted: ॥. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2055 - पुलिस भारित: 2055 - Police (**कa**) 8.17 Charged: 8.17 स्वीकृत: 2222.11 Voted: 2222.11 (खb) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 2230.28 2230.28 ... पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** स्वीकृत: 4055 - प्लिस पर पूंजी 4055 - Capital Outlay on Police Voted: 0.01 (गc) 1.00 (घd) 1.01 परिव्यय 4552 - पूर्वीत्तर क्षेत्रों पर स्वीकृत: 4552 - Capital Outlay on North Eastern Voted: 0.01 (ਤ<sub>e)</sub> 0.01 पूंजी परिव्यय Areas जोड़ (पूंजी भाग) **Total (Capital Section)** 0.02 1.02 स्वीकृत: Voted: 1.00 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.02 2231.28 2231.30 भारित: Charged: 8.17 8.17 स्वीकृत: Voted: 0.02 2223.11 2223.13 टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्व भाग REVENUE SECTION 2055 - पुलिस 2055 - Police (-) 2.00(-) 2.00पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** 4055 - पुलिस पर पूंजी 4055 - Capital Outlay on Police (-) 1.00(-) 1.00परिव्यय

(c)

(d)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कार्मिकों के लिए टर्मिनल ग्रेच्युटी का भुगतान।
  अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर,
  उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) निम्नलिखित पर व्यय (i) वेतन (₹ 2220.11 करोड़), पेट्रोल और ल्युब्रिकेन्टस (₹ 41.01 करोड़), दिल्ली पुलिस हेतु अन्य प्रभार (V) (₹ 71.00 करोड़) और निर्भया कोष (₹ 2.00 करोड़)। निर्भया कोष से व्यय को पूरा करने के पश्चात् अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, और अनुदान के इसी भाग में बचतों के उपयोग के उपरांत, उपरोक्त व्यय से अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) (i) भारत-बंगलादेश सीमा पर निर्माण कार्य के तहत कंटीले तार की बाइ लगाने (₹ 20.00 करोड़) और बॉर्डर आउट पोस्ट (₹ 20.00 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय परा करना।
  - (ii) सीमा सुरक्षा बल की बॉर्डर आउट पोस्ट संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 11.57 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (घ) (i) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (₹ 15.00 करोड़), सीमा सुरक्षा बल (₹ 50.00 करोड़), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (₹ 0.14 करोड़) और दिल्ली पुलिस (₹ 60.00 करोड़) के मोटर वाहनों संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
  - (ii) निर्भया निधि संबंधी व्यय पूरा करना (₹ 60.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, और निर्भया निधि से व्यय को पुरा करने के पश्चात कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) (i) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की रिहायशी बिल्डिंग संबंधी अतिरिक्त व्यय पुरा करना (₹ 60.00 करोड़)।
  - (ii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की रिहायशी बिल्डिंग संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 30.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) payment of terminal gratuity for personnel of Sashastra Seema Bal(SSB) as per directions of Supreme Court of India.
  - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) expenditure on (i) Salaries (₹ 2220.11 crore), Petrol Oil and Lubricants (₹ 41.01 crore), Other Charges (V) for Delhi Police (₹ 71.00 crore) and utilisation under Nirbhaya Fund (₹ 2.00 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, after meeting expenditure out of Nirbhaya Fund and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
  - (i) meeting additional expenditure on Erection of Barbed Wire Fencing (₹ 20.00 crore)and Border Out Post (₹ 20.00 crore)under Indo-Bangladesh Border Works.
  - (ii) meeting additional expenditure on Border Out Posts of Border Security Force (₹ 11.57 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

- (i) meeting additional expenditure on Motor Vehicles of Central Reserve Police Force (₹ 15.00 crore), Border Security Force (₹ 50.00 crore), National Crime Records Bureau (₹ 0.14 crore) and Delhi Police (₹ 60.00 crore).
- (ii) utilisation under Nirbhaya Fund (₹ 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant and after meeting expenditure out of Nirbhaya Fund, this will not entail cash outgo.

- (i) meeting additional expenditure on Residential Building of Central Reserve Police Force(₹ 60.00 crore).
- (ii) meeting additional expenditure on Office Building of Central Reserve Police Force (₹ 30.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

## गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

## OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपयं	Rupees	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	1969.11	96.03		2065.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	w				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.01		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1969.16	96.04		2065.20
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	1969.13	96.04		2065.17
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	व्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for under th	ne following Ma	ajor Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:		0.01	(कa)	0.01
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत:	2245 -Relief on account of Natural	Voted:		0.01	(खb)	0.01
		Calamities					
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:		0.02		0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी	स्वीकृत:	4250 - Capital Outlay on other Social	Voted:		0.01	(गc)	0.01
परिव्यय		Services					

### यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) पूर्वोत्तर में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 5.50 करोड़)।
  - (ii) जम्मू व कश्मीर में सिविक एक्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय को पूरा करना (₹ 2.02 करोड़)।
  - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) (i) पब्लिकेशन के अन्तर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.80 करोड़)।
  - (ii) विज्ञापन तथा प्रचार के अन्तर्गत नेशनल डिजास्टर रिस्पांसिव फोर्स के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.10 करोड़)।
  - (iii) किराया,दर तथा कर के अन्तर्गत नैशनल डिजास्टर रिस्पांसिव फोसर् के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.60 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (i) meeting additional expenditure under Civic Action Programme in North East (₹ 5.50 crore).
- (ii) meeting expenditure under Civic Action Programme in Jammu and Kashmir (₹ 2.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

- (i) meeting additional expenditure of National Disaster
   Management Authority under Publication (₹ 0.80 crore).
- (ii) meeting additional expenditure of National Disaster Responsive Force under Advertisement and Publicity (₹ 0.10 crore).
- (iii) meeting additional expenditure of National Disaster Responsive Force under Rent, Rates and Taxes (₹ 1.60 crore).

## अनुदानों की पूरक मांगे, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(c)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (ग) नेशनल डिजास्टर रिस्पांसिव फोर्स के आवासीय भवन के अन्तर्गत अतिरिक्त
  व्यय को पूरा करना (₹ 0.09 करोड़)।
   अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा
  गया है।
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.
- meeting additional expenditure under Residential Building of National Disaster Responsive Force (₹ 0.09 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

### TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(ক	रोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2262.79		72.00	2334.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.64		9.96	10.60
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2263.43		81.96	2345.39
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for under	the followin	g Major H	eads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
	स्वीकृत:		Voted:	0.64	( <b>क</b> a)		0.64
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted:	0.64	( <b>क</b> a)		0.64
<b>मुख्य शीर्ष</b> 3602 - संघ राज् <b>य क्षेत्र की सरकारों</b> को	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.64	(कa)		0.64
<b>मुख्य शीर्ष</b> 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.64	( <b>क</b> a)		0.64
<b>मुख्य शीर्ष</b> 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान <i>पूंजी भाग</i>		MAJOR HEAD 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments CAPITAL SECTION	Voted:	0.64 9.96	(কa) (खb)		0.64 9.96
मुख्य शीर्ष 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments CAPITAL SECTION MAJOR HEAD					
मुख्य शीर्ष 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 7602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को		MAJOR HEAD 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 7602 - Loans and Advances to Union					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता को मितस्यकी प्रबंधन तथा सतत् आजीविका स्कीम हेतु संघराज्य क्षेत्र पुड्चेरी को अनुदान के रुप में उपलब्ध कराना। चूंकि यह प्राप्तियों के अनुरूप है, तकनीकी पूरक अपेक्षित है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) पुड्चेरी सरकार को हाइड्रोलाजी प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता ऋण के रूप में उपलब्ध करना। अनुदान के राजस्व भाग में अभ्यर्पित उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त,

व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नही होगा।

- (a) providing grant as pass through assistance from World Bank to UT of Puducherry for the scheme 'Fisheries Management and Sustainable Livelihood'. As it is matched by receipts, a technical supplementary is sought. There would be no cash outgo.
- (b) providing loan as pass through assistance from World Bank to Government of Puducherry for Hydrology Project.
  - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

# आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

## MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

` ' ' '		•	,				
					(	′करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1468.02			1468.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.03			0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1468.05			1468.05
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	ार्षों के अंतर्गत	दिखाया जारे	ोगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under t	ne following	Major H	eads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2216 - आवास	स्वीकृत:	2216 -Housing	Voted:	0.01	(कa)	•••	0.01
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत:	2217 -Urban Development	Voted:	0.01	(खb)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03			0.03
	-						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) नई योजना अर्थात राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) के लिए सब्सिडी (₹ 50.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) राजीव आवास योजना (आरएवाई) के मीडिया प्रचार हेतु विज्ञापन तथा प्रचार के प्रावधान को बढ़ाना (₹ 75.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ हेतु शहरी गरीबों के लिए शेल्टर निर्माण/उन्नयन (₹ 21.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (a) subsidy (₹ 50.00 crore) for the new scheme Rajiv Rin Yojana (RRY). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) augment the provision of Advertisement and Publicity (₹ 75.00 crore) for media campaign for Rajiv Awas Yojana (RAY). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General (₹ 21.00 crore) for construction/ upgradation of shelters for urban poor for benefit of North Eastern Areas and Sikkim. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## विदयालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

### DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

				राजस्व Revenue	(	करोड़ रुपये Rup पूंजी Capital	ees in Crore) जोड़ Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	77130.00			77130.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary) ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी ॥. This Supplementary Grant will be accounted					77130.02
				आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)	***	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) सर्वशिक्षा अभियान के तहत सामान्य एससीएसपी/टीएसपी घटकों के तहत अध्यापकों के वेतन/आवर्ती अनुदान की अतिरिक्त जरुरत पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2142.44 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

- (ख) (i) पूर्वोत्तर प्रदेशों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत सामान्य एससीएसपी/टीएसपी घटकों के तहत अध्यापकों के वेतन/आवर्ती अनुदान की अतिरिक्त जरुरत पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 238.05 करोड़)
  - (ii) भाषा अध्यापकों की नियुक्ति स्कीम के तहत मिजोरम और नागालैण्ड राज्य में अध्यापक के वेतन की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 27.44 करोड़)
  - (iii) राज्यों में गैर-आवर्ती व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए "माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रा हॉस्टल के निर्माण व संचालन" के लिए स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 6.80 करोड़)
  - (iv) त्रिपुरा और असम राज्य में गैर-आवृत्ति/आवृत्ति अनुदानों के निर्गमन हेतु "विद्यालयों में सूचना और संप्रेषण तकनीक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14.50 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है। The supplementary grants are required for:

(a) Grants-in-aid General under the scheme 'Sarva Shiksha Abhiyan' for meeting the additional requirement of Teacher's salary/ recurring grant under General/ SCSP/ TSP components (₹ 2142.44 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid General under the scheme 'Sarva Shiksha Abhiyan' for meeting the additional requirement of Teacher's salary/ recurring grant under General/ SCSP/ TSP components for NER (₹ 238.05 crore)
  - (ii) Grants-in-aid General under the scheme 'Appointments of Language Teachers' for meeting the additional requirement of Teacher's salary in the State of Mizoram and Nagaland (₹ 27.44 crore)
  - (iii) Grants for creation of capital asset under the scheme for 'Construction and running of Girls' hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools' for meeting the additional requirements of non-recurring expenditure in States (₹ 6.80 crore)
  - (iv) Grants-in-aid General under the scheme 'Information and Communication Technology in Schools' for releasing the non-recurring/ recurring grants to the State of Tripura and Assam (₹ 14.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### उच्च शिक्षा विभाग

#### DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 08 देखिये ) (See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 08 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				राजस्व		<i>(करोड़ रुप</i> पूंजी	ये Rupee	s in Crore) जोड
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
. •	स्वीकृत:		Voted:	26750.00				26750.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	200.00				200.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now						
पूरक अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04				0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		26950.04				26950.04
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया ज	ायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	er the following	ng Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत:	2203 -Technical Education	Voted:	0.01	(गc)	•••		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(घd)	•••		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		0.01		0.04

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

 (क) 'ग्राण्ट्स टू नेशनल बुक ट्रस्ट/इन्स्टिट्यूशन आफ बुक प्रमोशन' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अन्दान

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (ख) (i) 'कापीराइट आफिस' को सहायता अन्दान सामान्य (0.60 करोड़ रुपए)।
  - (ii) 'कापीराइट आफिस' को सहायता अनुदान वेतन (0.40 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) 'नेशनल इन्स्टीट्यूट्स आप टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत पिरसम्पित के सृजन हेतु अनुमान (8.00 करोड़ रुपए)।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (घ) निम्नितिखित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत परिसम्पित के सृजन हेतु अनुदान (1) भारितय प्रौद्योगिकी संस्थान (100.00 करोड़ रुपए) (2) भारतीय प्रबन्धन संस्थान (11.61 करोड़ रुपए)(3) अन्य संस्थानों, जिनमें संत लोंगोवाल इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, नार्थ ईस्टर्न रिजनल इन्स्टिट्यूट आफ साइन्स

- (a) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the scheme 'Grants to National Book Trust/ Institutions for Book Promotion' (₹ 10.00 crore)
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants-in-aid General to 'Copy Right Office' (₹ 0.60 crore)
  - (ii) Grants-in-aid Salaries to 'Copy Right Office' (₹ 0.40 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - ) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the scheme 'National Institutes of Technical Teachers Training and Research' (₹ 8.00 crore)
    - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement under the following schemes: (1) National Institute of Technology (₹ 100.00 crore) (2) Indian Institutes of Management (₹ 11.61 crore) (3) Assistance to other institutes including Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, North Eastern

# अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

एण्ड टेक्नालाजी, नेशनल इन्स्टीट्यूट फार फोर्ज एण्ड फाउण्डरी टेक्नालाजी शामिल हैं, को सहायता (38.38 करोड़ रुपए) और (4) मानद विश्वविध्यालयों को अनुदान (0.01 करोड़ रुपए)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है। Regional Institute of Science & Technology, National Institute for Forge & Foundary Technology and Central Institute of Technology. (₹ 38.38 crore) and (4) Grants to Deemed Universities (₹ 0.01 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## सुचना तथा प्रसारण मंत्रालय

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	3006.85		28.80		3035.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		1.70		1.73
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3006.88		30.50		3037.38
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया उ	नायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for unde		ng Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न Non-Plan		Total
<i>राजस्व भाग</i> मृख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				Non-Plan		
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत:	2251 -Secretariat-Social Services	Voted:	0.01	(कa)			0.01
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत:	2220 -Information and Publicity	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02		0.01		0.03
<i>पूंजी भाग</i> मख्य शीर्ष	·	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD						
	<del></del>		Voted:	1.70	(574)			1.70
4220 - सूचना और प्रचार पर पूंजी	स्वीकृत:	4220 - Capital Outlay on Information and	voled:	1.70	(घd)	***		1.70
परिव्यय		Publicity						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	1.72		0.01		1.73

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'सामाजिक माडिया प्रकोष्ठ'स्कीम (₹ 2 करोड़), और (ii)प्रसारण विंग का स्वचालन (₹ 9.50 करोड़)की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ख) डीएवीपी की रिवेंपिंग एण्ड रिस्ट्रक्चिरांग (₹ 6.50 करोड़); और इलेक्ट्रानिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) के प्रचालन व्यय (₹ 3.50 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पुरक की मांग है।
- (ग) भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा संपत्ति कर के बकाया के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय (₹ 1 करोड़) को पूरा करना। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक प्रक की मांग है।
- (घ) 'सिरी फोर्ट कांप्लैक्स का उन्नयन' (₹ 2 करोड़), 'सूचना भवन का निर्माण' (₹ 2.40 करोड़), 'राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र का निर्माण' (₹ 1.60 करोड़) और 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केन्द्र (ईएमएमसी)' का सुदृढ़ीकरण (₹ 1.50 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। उसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान के राजस्व (आयोजना) भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, ₹ 1.70 करोड़ के तकनीकी पूरक की मांग है।

- (a) meeting additional expenditure towards (i) 'Social Media Cell' Scheme (₹ 2 crore)and (ii) Automation of Broadcasting Wing (₹ 9.50 crore). As savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.
  - ) meeting additional expenditure towards (i) 'revamping & restructuring of DAVP (₹ 6.50 crore); and (ii) operational expenses of Electronic Media Monitoring Centre (EMMC) (₹ 3.50 crore). As savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.
- c) meeting additional expenditure towards payment of arrears of property tax by Indian Institute of Mass Communication (IIMC) (₹ 1 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- d) meeting additional expenditure on 'Upgradation of Siri Fort Complex' (₹ 2 crore), 'Construction of Soochna Bhawan' (₹ 2.40 crore), 'Construction of National Media Centre' (₹ 1.60 crore), and 'Strengthening of Electronic Media Monitoring Centre (EMMC)' (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in same section and savings available in Revenue (Plan) section of the grant, a technical supplementary of ₹ 1.70 crore is sought.

# विधि और न्याय LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1805.45		10.02		1815.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04				0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1805.49		10.02		1815.51
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के :	अंतर्गत दिखा	या जायेगा	:		
		II. This Supplementary Grant will be according	unted for u	nder the foll	lowing M	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2014 - न्याय प्रशासन	स्वीकृत:	2014 -Administration of Justice	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(गc)			0.01
		Governments						
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(घd)	•••		0.01
सहायता अनुदान		Governments						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		0.01		0.04

(d)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) न्याय पालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं हेतु संघशासित राज्य क्षेत्रों (विधान सभा रहित) को अनुदानों के लिए पूंजीगत आस्तियों के मृजन हेत् अन्दान (₹ 20.00 करोड़)।
  - (ii) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 108.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) इंटरनेशनल सेंटर फोर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन (आईसीएडीआर) को बिल्डिंग के निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5.51 करोड़)।
  अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) राज्य सरकार को न्यायपालिका को अवसंरचना सुविधाओं हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 756.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (घ) संघ राज्य क्षेत्रों (विधान सभा रिहत) को न्यायपालिका को अवसंरचना सुविधाओं हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 40.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (i) Grants for creation of capital assets for grants to UTs (without Legislature) for Infrastructural Facilities for Judiciary (₹ 20.00 crore).
  - (ii) Grants for creation of capital assets for Computerization of District and Subordinate Courts (₹ 108.00 crore).Taking into account the savings available in the same

section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Grants for creation of capital assets for release grants to International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) for construction of Building (₹ 5.51 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants-in-aid General to Sate Government for Infrastructural Facilities for Judiciary (₹ 756.00 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - Grants-in-aid General to UTs (without Legislature) for Infrastructural Facilities for Judiciary (₹ 40.00 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

## MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	3210.91	78.80	3289.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3210.92	78.80	3289.72
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted f	or under the	following Majo	or Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(1) पेंशनधारकों के निम्निलिखित देय के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (₹ 21.80 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता सिहत ₹ 59.93 करोड़), और (ii) कॉयर उद्योग (₹ 2.90 करोड़) और निम्निलिखित हेतु वेतन सहायता अनुदान (i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (₹ 19.27 करोड़), और (ii) कॉयर उद्योग (₹ 3.30 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मदेदेनजर, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

Providing (1) Grants-in-Aid General towards pensioner's dues of (i) Khadi and Village Industries Commission (₹ 59.93 crore including additional requirement of ₹ 21.80 crore) and (ii) Coir Industries (₹ 2.90 crore) and (2) Grants-in-Aid Salaries towards (i) Khadi and Village Industries Commission (₹ 19.27 crore) and (ii) Coir Industries (₹ 3.30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# खान मंत्रालय

# MINISTRY OF MINES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये ) (See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: भारित: Charged: 0.05 0.05 स्वीकृत: 744.50 991.03 Voted: 246.53 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: 2.00 Voted: 98.14 100.14 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 5.00 5.00 जोड़ (मूल और पूरक) 746.55 349.67 1096 22 Total (Original plus Supplementary) भारित: Charged: 0.05 0.05 स्वीकृत: 746.50 349.67 Voted: 1096.17 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना-जोड Plan भिन्न Total Non-Plan पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4853 - अलौह खनन और धातुकर्म 4853 - Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Voted: 5.00 5.00 उद्योगों पर पूंजी परिव्यय Metallurgical Industries

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के ओशन गोइंग रिसर्च वेसेल के संबंध में परामर्शी शुल्क के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के राजस्व भाग में अभ्यर्पित उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

meeting the additional requirement towards payment of Consultancy Fees with regard to procurement of the Ocean Going Research Vessel of Geological Survey of India. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

# नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

### MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1434.05	99.50	1533.55
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now	,			
पूरक अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	183.41		183.41
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1617.46	99.50	1716.96
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	। शीर्ष के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accoun	ted for under the	following Major	Head:	
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत:	2810 -New and Renewable Energy	Voted:	183.41		183.41
			ानों में नीचे दर्शाई गयी	वसूलियों को शामिल	नहीं किया गया है जिन्हें व्य	य में से घटाकर
		<b>Note:</b> The above estimates of additional requirement	ents do not take into	account the reco	veries shown below, whi	ch are
TI-TI- 9TTT		adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		() 100 11		() 100 (:
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय		2810 - New and Renewable Energy		(-) 183.41	•••	(-) 183.41

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

ऊर्जा

निम्न के लिए ऑफ ग्रिड/वितरित व विकेन्द्रीत नवीकरणीय विद्युत के तहत सामान्य-सहायता अनुदान (क) सौक्रान्ति सिंचाई योजना के तहत बिहार के 6 जिलों में गांवों में 560 सौलर फोटोवोल्टैक (एसपीबी) वाटर पंपिंग सिस्टम संस्थापित करने के लिए (₹ 3.50 करोड़), (ख) नार्थ 24, परगना जिला, पश्चिम बंगाल के कालतला ग्राम पंचायत हिंगालेगेज ब्लॉक के तहत नौ वियुत रहित गांवों में कुल 2.98 के मिनी ग्रिड एसीपीवी विच्त संयत्रों की संस्थापना (₹ 44.64 करोड़), (ग) भारत भर में डीजल उपभोग करने वाले विभिन् क्षेत्रों में 500 किलोवाट तक आकार वाले एसपीवी वियुत संयत्रों की संस्थापना (₹ 21.40 करोड़) (घ) नाबार्ड के माध्यम से एसपीवी लाइट्स और लघु क्षमता एसपीवी सिस्टम की संस्थापना (₹ 23.71 करोड़), जवाहर लाल नेहरू सौर अभियान के तहत विभिन्न भारतीय रेलवे अवस्थितियों पर प्ल 4 मैगावाट विद्युत क्षमता तक के एसपीवी विद्युत संयत्रों की संस्थापना, (₹ 8.00 करोड़ ) और (च) आईआईटी, मुंबई के माध्यम से कार्यान्वयन हेत् 1 मिलियन स्टडी लाइट का स्थानीयकरण (₹ 14.81 करोड़) (ii) निम्नलिखित के तहत ऑफ/ग्रिड वितरित व विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय विय्त-सौर के तहत सब्सिडी (₹ 62.35 करोड़) जारी करना (क) सम्दाय क्किंग, प्रोसेस हीटिंग और शीतलन अनुप्रयोगों के लिए 40 मध्यम और उच्च ताप विकेंद्रीकृत सौर तकनीक (सीएसटी) की संस्थापना (₹ 10.00 करोड़) और (ख) नेशनल हाऊसिंग बैंक के माध्यम से सौर वाटर हीटिंग सिस्टम, होम लाइटिंग सिस्टम, सौलर स्ट्रीट लाइट्स की संस्थापना The supplementary grant is required for:

(i) releasing Grants-in-aid General under Off-grid/ distributed decentralized renewable power - Solar Power for (a) to install 560 numbers of Solar Photovoltaic (SPV) water pumping systems in the villages in 6 districts of Bihar under Saurkranti Sichai Yojana (₹ 3.50 crore),(b) installation of mini-grid SPV power plants aggregating 2.98 Mwp in Nine unelectrified villages under Kalitala Gram Panchayat Hingalganj Block of North 24, Pargana District, West Bengal (₹ 44.64 crore), (c) installation of SPV power plants upto size of 500 kWp in different diesel consuming sectors throughout India (₹ 21.40 crore), (d) installation of SPV lights and small capacity SPV systems through National Agriculture Bank for Rural Development (NABARD) (₹ 23.71 crore), (e)installation of SPV power plants aggregating to 4 MWp capacity at different Indian Railway Locations under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (₹ 8.00 crore ), and (f) Localization of 1 Million study light to be implemented through Indian Institute of Technology (IIT), Mumbai (₹ 14.81 crore) (ii) to release subsidy of (₹ 62.35 crore) under Off-grid/distributed and decentralized renewable power -Solar Power for (a) installation of 40 numbers of (₹ 52.35 करोड़) (iii) वर्तमान केप्टिव पावर प्लांट के साथ सौर ताप के एकीकरण के लिए श्री सीमेंट में एकीकृत सौर परियोजना (5 एमडब्ल्यूई) के तौर पर प्रस्तावित परियोजना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा-सौर में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹ 5.00 करोड़)। चूंकि व्यय राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक की मांग है।

Medium and high temperature Concentrated Solar Technology (CSTs) for community cooking, process heat and cooling applications (₹ 10.00 crore), and (b) installation of Solar Water Heating Systems, Home Lighting Systems, Solar Street Lights through National Housing Bank (₹ 52.35 crore). (iii) To release Grants-in-aid General of ₹ 5.00 crore under Research, Design and Development in Renewable Energy-Solar for project proposal Ras Integrated Solar Project (5Mwe) at Shree Cement for integration of a Solar Thermal with an existing captive power plant. As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.

# कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

# MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
3	भारित:		Charged:	19.97	5.00		24.97
ŧċ	वीकृत:		Voted:	869.90	125.07		994.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	•	Supplementary Estimate of the amount no	w				
अनुमान:		required:					
- 3	भारित:		Charged:	2.27			2.27
<del>+</del> 6	वीकृत:		Voted:	8.15			8.15
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		900.29	130.07		1030.36
g.	भारित:		Charged:	22.24	5.00		27.24
₹6	वीकृत:		Voted:	878.05	125.07		1003.12
	Ü	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नि	तेखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	n will be accounted			r Heads	
				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न		जोड़ Total
				ган	Non-Plan		Iotai
<i>राजस्व भाग</i> म् <b>ख्य</b> शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
2055 - पुलिस #	भारित:	2055 - Police	Charged:		0.40	(कa)	0.40
ŧ	त्रीकृत:		Voted:		8.15	(खb)	8.15
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं 🔑	भारित:	2070 - Other Administrative Services	Charged:		1.87	(गc)	1.87
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			10.42		10.42
a a	भारित:		Charged:		2.27		2.27
ŦĠ	वीकृत:		Voted:		8.15		8.15

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायत कर्ताओं की फंसी धनराशि की प्रतिपर्ति।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं जाएगी।

- (ख) (i) सीबीआई के गोल्डन जुबली उत्सवों संबंधी कार्यालयी व्यय को अतिरिक्त व्यय पुरा करना (₹ 3.15 करोड़)।
  - (ii) सीबीआई मेडीकल चिकित्सा (₹ 1.00 करोड़) और किराया, दरों व करों (₹ 4.00 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय पुरा करना।
    - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं जाएगी।
- (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के गोल्डन जुबली उत्सव के कार्यालयी व्यय (₹ 1.12 करोड़), और विज्ञापन व प्रचार (₹ 0.75 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
  - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी नहीं जाएगी।

The supplementary grant/appropriation are required for:

 re-imbursement of trap money to complainants in Central Bureau of Investigation (CBI).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (i) meeting additional expenditure on Office Expenses of CBI for Golden Jubilee Celebrations (₹ 3.15 crore).
- (ii) meeting additional expenditure on Medical Treatment (₹ 1.00 crore) and Rent, Rates and Taxes (₹ 4.00 crore) of CBI

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure of Central Vigilance Commission on Office Expenses (₹ 1.12 crore) and Advertising and Publicity (₹ 0.75 crore) for Golden Jubilee Celebrations.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

# पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

# MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	65187.41	1.00	65188.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	10336.00		10336.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		75523.41	1.00	75524.41
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	र्भ के अंतर्गत रि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted to	for under th	e following Maj	or Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत:	2802 -Petroleum	Voted:		10336.00	10336.00

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) पेट्रोलियम नियामक बोर्ड का स्थापना संबंधी व्यय पूरा करना (₹ 7.17 करोड़)। (ख) तेल विपणन कंपनियों को भुगतान देना, (i) पेट्रोलियम उत्पादनों की बिक्री के कारण अनुमानित व्यय वसूली की क्षतिपूर्ति के रूप में, और (ii) "एलपीजी उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम" के तहत नकद सब्सिडी का भुगतान (₹ 1,336 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में ₹ 7.17 करोड़ की बचतों के मद्देनजर, इसमें ₹ 10,336 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

(a) meeting establishment related expenditure of Petroleum Regulatory Board (₹ 7.17 crore), (b) releasing payments to Oil Marketing Companies, (i) as compensation towards estimated under-recoveries on account of sale of petroleum products (₹ 9,000 crore) and (ii) payment for cash subsidy under "Direct Benefit Transfer to LPG Consumers (DBTL) Scheme" (₹ 1,336 crore). Taking into account the savings of ₹ 7.17 crore within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 10,336 crore.

# विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी राजस्व जोड Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 8045.85 2778.05 10823 90 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount अन्मान: now required: स्वीकृत: Voted: 0.02 125.00 125.02 8045.87 2903 05 10948 92 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552 -North Eastern Areas 0.01 स्वीकृत: Voted: 0.01 (**कa**) 2801 - विद्युत स्वीकृत: 2801 -Power Voted: 0.01 (खb) 0.01 ... जोड़ (राजस्व भाग) स्वीकृत: Total (Revenue Section) Voted: 0.01 0.01 0.02 पुंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत: 6801 - Loans for Power Projects 125.00 Voted: 125.00 (गc) जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 125.01 0.01 125.02

(c)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) छह उत्तर-पूर्वी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश और असम को छोड़कर, में वियुत व्यवस्था परियोजना के सुधार का व्यय पूरा करना (₹ 62.35 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ख) संयुक्त विद्युत नियामक आयोग गोवा और संघ प्रदेश कार्यालय की स्थापना संबंधी व्यय पूरा करना (₹ 1.50 करोड़)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ग) त्विरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के तहत व्यय पूरा करना। (₹ 125 करोड़)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।

- (a) meeting expenditure for improvement of power system project in six North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and Sikkim (₹ 62.35 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting establishment related expenditure of the office of Joint Electricity Regulatory Commission Goa and Union Territories (₹ 1.50 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - meeting expenditure under Accelerated Power Development Reform Programme (₹ 125 crore). As savings are available in the Revenue Section of the Grant, technical supplementary is sought.

# संख्या NO. 77 (विनियोग)(APPROPRIATION)

# राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

# STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
।.विनियोग:		I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:		Charged:	34.54		34.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now				
		required:				
	भारित:		Charged:	4.50		4.50
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		39.04		39.04
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	ीर्ष के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Appropriation will be acc	counted for und	ler the following	ng Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2012 - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/	भारित:	2012 - President, Vice President/Governor,	Charged:		4.50	4.50
राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		Administrator of Union Territories				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i)सचिवालयी वेतन (₹ 1.58 crore), (ii)नए खुले शीर्ष "ओ ए ई" (₹ 0.10 करोड़), (iii)पारिवारिक वेतन (₹ 1.20 करोड़)(iv)कार्यालय व्यय (₹ 1.50 करोड़)(v)दौरा संबधी व्यय (₹ 0.02 करोड़)(vi) अन्य व्यय (₹ 0.33 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.23 करोड़ की बचतों को दैखते हुए कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is required for:

(i) Secretariat Salaries (₹ 1.58 crore), (ii) (newly opened head "OAE"
 (₹ 0.10 crore), (iii) Household Salaries (₹ 1.20 crore), (iv) Office Expenses
 (₹ 1.50 crore), (v) Tour Expenses (₹ 0.02 crore), (vi) Other Expenses)
 (₹ 0.33 crore).

Taking into account the savings of  $\ref{thm:prop}$  0.23 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.

# ग्रामीण विकास विभाग

#### DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये Ru	pees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	113304.85			113304.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		113304.87			113304.87
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्	य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for unde	er the followin	g Major H	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2501 - ग्रामीण विकास के लिए	स्वीकृत:	2501 -Special Programmes for Rural	Voted:	0.01	(कa)		0.01
विशेष कार्यक्रम		Development					
2515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development	Voted:	0.01	(खb)		0.01
कार्यक्रम		Programmes					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

(a)

# यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) जम्मू व कश्मीर के लिए कौशल विकास एंव रोजगार स्कीम के तहत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 40 करोइ) को पूरा करना।
  - (ii) नेशनल रुरल लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी को अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 6.14 करोइ) को पूरा करना।
  - (iii) एनआरएलएम के तहत 150 जनपदों में सभी महिला स्वसहायता समूहों को व्यय अनुदान के लिए सामान्य सहायता अनुदान आवश्यकता उपलब्ध कराना (₹ 652 करोड़).
  - (iv) एनआरएलएम के अन्तर्गत भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडशेन को सामान्य सहायता अनुदान आवश्यकता उपलब्ध कराना। (₹ 200 करोड)।
- (ख) (i) डीआरडीए प्रशासन के अतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 150 करोड़) को पूरा करना।
  - (ii) बीपीएल सर्वेक्षण के तहत प्रशासनिक व्यय के लिए अन्य प्रभार के रुप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 247.29 करोड़) पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में अनुपातिक बचतें उपलब्ध होने के कारण, उपर्युक्त सभी प्रस्तावों के लिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है। The supplementary grants are required for:

- (i) Meeting the additional requirement as Grants-in-aid General (₹ 40 crore) under Skill Empowerment and Employment Scheme for J&K.
- (ii) Meeting the additional requirement as Grants-in-aid General (₹ 6.14 crore) for grants to National Rural Livelihood Promotion Society.
- (iii) Providing requirement as Grants-in-aid General (₹ 652 crore) towards Interest Subvention to all women Self Help Groups in 150 districts under NRLM.
- (iv) Providing requirement as Grants-in-aid General (₹ 200 crore) towards Bharat Rural Livelihood Foundation under NRLM.
- (i) Meeting the additional requirement as Grants-in-aid General (₹ 150 crore) under DRDA Administration.
- (ii) Meeting the additional requirement as Other Charges(₹ 247.29 crore) towards Administrative Expenses under BPL survey.

As matching savings are available within the same section of the Grant, all the above proposals are sought as token supplementary.

# भूमि संसाधन विभाग

# **DEPARTMENT OF LAND RESOURCES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) जोड़ राजस्व पूंजी Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 5772.85 5772.85 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 5772.86 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 5772 86 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2506 - भू स्धार 2506 -Land Reforms Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

नेशनल लैंड रिकार्ड्स माडरनाइजेंशन प्रोग्रैम के प्रोफेशन सहायता शीर्ष के अन्तर्गत निधियों (₹ 50 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is required for:

meeting the additional requirement of funds (₹ 50 crore) under Profession Support head of National Land Records Modernisation Programme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# नौवहन मंत्रालय

# MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) जोड़ राजस्व पूंजी Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 1392.28 658.39 2050.67 Voted: इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1392.28 658.40 2050 68 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and Light Voted: 0.01 0.01 परिव्यय Houses यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: मोरम्गवा पोर्ट ट्रस्ट की कैपिटल ड्रेजिंग प्रोजेक्ट (₹ 14.95 करोड़)। अन्दान के उसी भाग Capital dredging project of Mormugao Port Trust (₹ 14.95 crore). Taking में उपलब्ध बचतों को दखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है। into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

# MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	6420.32		305.00		6725.32
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6420.34		305.00		6725.34
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षी के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for un	der the follo	wing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(कa)			0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward						
अल्पसंख़्यकों का कल्याण		Classes and Minorities						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.01		0.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) अनु.जाति को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम (₹ 600.00 करोइ), (ii) अनु.जाति को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 170.00 करोइ), (iii) अन्य पिछड़े वर्ग को मैट्रिकोत्तर छात्रवृति (₹ 161.00 करोइ), अनु.जाति छात्रों की मेरिट के उन्नयन हेतु(₹ 2.00 करोइ), (iv) अनु.जाति के उच्च स्तीरय शिक्षा के लिए (₹ 2.00 करोइ), और (v) मिलन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में (₹ 1.00 करोइ)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ख) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान को वेतन के लिए सहायता अनुदान जारी करना (₹ 0.55 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक प्रक की मांग है।

- (a) providing Scholarship under Direct Benefit Transfer in the Scheme of Post Matric Scholarship for SCs (₹ 600.00 crore), (ii) Pre-Matric Scholarship for SCs (₹ 170.00 crore), (iii) Post Matric Scholarship for OBCs (₹ 161 crore), Upgradation of Merit of SC Students (₹ 2.00 crore), (iv) Top Class Education for SCs (₹ 2.00 crore) and (v) Pre-Matric scholarship for children of those engaged in unclean occupations (₹ 1.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is proposed.
- (b) Releasing Grants-in-aid for Salaries to the National Institute of Social Defence (₹ 0.55 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is proposed.

# सांखियकी और कार्यक्रम कार्यानवयन मंत्रालय

# MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये ) (See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 4935.53 16.15 4951.68 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: 0.02 Voted: 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 4935.56 16.15 4951.71 II. इस प्रक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना जोड भायोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2553 - सांसद सथानीय क्षेत्र विकास स्वीकृत: 2553 -Mps Local Area Development Scheme Voted: 0.01 (कa) 0.01 योजना 3454 - जनगणना सर्वेक्षण और स्वीकृत: 3454 -Census Surveys and Statistics Voted: 0.01 (खb) 0.01 सांख्यिकी जोड़ (पूरक) स्वीकृत: 0.02 0.02 Total (Supplementary) Voted:

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्वतंत्र एजेंसी/एजेंसियों के जिरए और राज्य/जिला अधिकारियों की क्षमता निर्माण मानीटिरिंग के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस) स्कीम के तहत व्यय पूरा करना (₹ 5.00 करोड़)
- (ख) (i) ज्ञान प्रशिक्षण के प्रचार-प्रसार संगठनों, पिरयोजना प्रबंधन पहलों को वित्तीय सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान, जिससे कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग के तीन प्रभागों यथा : (अवसंरचना और पिरयोजना मॉनीटिरिंग प्रभाग (आईपीएमडी), बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस) की गतिविधियों के बेहतर व अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलती है। (₹ 0.25 करोड़)
  - (ii) आर्थिक जनगणना की आयोजना स्कीम के तहत विधानसभा रिहत संघ राज्य क्षेत्र के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

- (a) meeting the expenditure under the scheme Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) towards monitoring through independent agency(ies) and for capacity building, training to State/District Officials (₹ 5.00 crore).
  - (i) Grants-in-aid General for extending financial assistance to organizations for dissemination of knowledge training, project management initiatives which help in better and more effective implementation of the activities of the three divisions of Programme Implementation wing i.e. (Infrastructure and Project Monitoring Division(IPMD), Twenty Point Programme (TPP) and Member of Parliament Local Area Development Scheme( MPLADS) (₹ 0.25 crore).
    - (ii) Grants-in-aid General to Central Statistical Organization to UTs without legislation under the activities of Plan Scheme of Economic Census (₹ 1.00 crore)
      - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# कपड़ा मंत्रालय

### MINISTRY OF TEXTILES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये ) (See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

				राजस्व		<i>(करोड़ रुपये</i> पूंजी	Rupees	जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	5423.92		7.67		5431.59
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	96.00				96.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.06		0.50		0.56
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5519.98		8.17		5528.15
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया ज	ायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for under	the following	ng Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)			0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(घd)	0.01	(ਝe)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:			0.01	(चf)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03		0.03		0.06
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए	स्वीकृत:	6860 - Loans for Consumer Industries	Voted:			0.50	(छg)	0.50
ऋण	•							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		0.53		0.56

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) परियोजनाओं को मंजूरी के लिए व्यापक हथकरघा विकास स्कीम में सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता(₹ 24.50 करोइ) पूरी करना।
  - (ii) उत्तर पूर्वी प्रदेश की परियोजनाओं को मंजूरी के लिए व्यापक हथकरघा विकास स्कीम में सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.50 करोड़) पूरी करना।
  - (iii) पूर्वोत्तर प्रदेश की परियोजनओं की मंजूरी के लिए डिजाइन और तकनीकी उन्नयन स्कीम में सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.00 करोड़)।
  - (iv) पूर्वोत्तर प्रदेश की परियोजनओं की मंजूरी के लिए बाबा साहेब अंबेडकर हस्तिशिल्प योजना स्कीम में सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.40 करोड़)।

- (i) Meeting additional requirement (₹ 24.50 crore) as Grantsin-aid-General in Comprehensive Handloom Development Scheme for sanction of Projects.
  - (ii) Additional requirement (₹ 0.50 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets in Comprehensive Handloom Development Scheme for sanction of NER Projects
  - (iii) Additional requirement (₹ 1 crore) as Grants-in-aid-General in the scheme Design & Technical Up-gradation for sanction of NER Projects.
  - (iv) Additional requirement (₹ 0.40 crore) as Grants-in-aid-General in the scheme Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojna for sanction of NER Projects.

- (ix) बीज संगठन (सेरीकल्चर) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.41 करोड़)।
- पूर्वोत्तर प्रदेश की परियोजनआों की मंजूरी के लिए विपणन सहायता व सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 2.00 करोड़)।
- (vi) विपणन सहायता व सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता के लिए अनुसंधान और विकास स्कीम के तहत अन्य प्रभार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.25 करोड) अपेक्षित है।
- (vii) पूर्वोत्तर प्रदेश की परियोजनओं की मंजूरी हेतु मानव संसाधन विकास स्सकीम में सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.00 करोड़)।
- (viii) बीज संगठन (सेरीकल्चर) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.63 करोड़)।
- (x) समन्वय और विपणन विकास (एचआरडी) (सेरीकल्चर) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के दौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.05 करोड़)।
- (xi) प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने हेतु उत्प्रेरक विकास कार्क्रम (सीडीपी) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के दौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.27 करोड़)।
- (xii) प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने हेतु उत्प्रेरक विकास कार्क्रम (सीडीपी) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के दौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 20.85 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

- (ख) (i) डिजाइन और तकनीकी विकास (हस्तिशिल्प) के तहत प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने हेतु सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 4.00 करोड़)।
  - (ii) बाबा साहब आंबेडकर हस्तिशिल्प योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.50 करोड़) अपेक्षित है।
  - (iii) विपणन सहायता और सेवा के तहत सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 4.50 करोड़)।
  - (iv) प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास स्कीम (हस्तिशिल्प) के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 3.20 करोड़)।
  - (v) डिजाइन और तकनीकी विकास स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.50 करोड़)
  - (vi) मानव संसाधन विकास स्कीम के तहत प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.25 करोड़)।
  - (vii) डिजाइन और तकनीकी विकास स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.20 करोड़)

- (ix) Additional requirement (₹ 1.41 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the scheme Seed Organization (Sericulture).
- (v) Additional requirement (₹ 2 crore) as Grants-in-aid-General in the scheme Market Support & Services for sanction of NER Projects.
- (vi) Additional requirement (₹ 0.25 crore) is required for other charges under scheme Research & Development for sanction of NER Projects.
- (vii) Additional requirement (₹ 1 crore) as Grants-in-aid-General in the scheme Human Resource Development for sanction of NER Projects.
- (viii) Additional requirement (₹ 0.63 crore) as Grants-in-aid-General under the scheme Seed Organization (Sericulture).
- (x) Additional requirement (₹ 0.05 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the scheme Co-ordination
   & Marketing Development (HRD) (Sericulture).
- (xi) Additional requirement (₹ 0.27 crore) as Grant-in-aid-General under the scheme Catalytic Development Programme (CDP) (Sericulture) for meeting the committed liability.
- (xii) Additional requirement (₹ 20.85 crore) as Grants-in-aid for Creation of Capital Assets under the scheme Catalytic Development Programme (CDP) (Sericulture) for meeting the committed liability.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

- (i) Additional requirement (₹ 4 crore)as Grants-in-aid General under Design & Technical Development (Handicraft) for meeting the committed liability.
- (ii) Additional requirement (₹ 1.50 crore) as Grants-in-aidGeneral under Baba Sahab Ambedkar Hastshilp Yojana.
- (iii) Additional requirement (₹ 4.50 crore) as Grants-in-aidGeneral under Marketing Support & Services.
- (iv) Additional requirement (₹ 3.20 crore)as Grants-in-aid General under Human Resource Development Scheme (Handicraft) for meeting the committed liability.
- (v) Additional requirement (₹ 0.50 crore) as Grants-in-aid General under the scheme Design & Technical Development.
- (vi) Additional requirement (₹ 0.25 crore) as Grants-in-aid General under the scheme Human Resource Development for meeting the committed liability.
- (vii) Additional requirement (₹ 0.20 crore) as Grants-in-aid General under the scheme Design & Technical Development.

- (viii) अनुसंधान और विकास स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.10 करोड़)
- (ix) मानव संसाधन विकास स्कीम के तहत प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.25 करोड़)।
- (x) प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए तकनीक और सूचना तथा तकनीक के अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण हस्तांतरण (सेरी कल्केचर) तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 3.97 करोड़)।
- (xi) बीज संगठन स्कीम (सेरीकल्चर) के तहत प्रतिबल दायित्व पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता
   (₹ 11.34 करोड़)।
- (xii) बीज संगठन स्कीम (सेरीकल्चर) के तहत प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने हेतु पूंजीगत आस्तियों के मृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 2.26 करोड़)।
- (xiii) समन्वय और विपणन विकास (एचआरडी) (सेरीकल्चर) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.13 करोड़)।
- (xiv) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 89.30 करोड)।
- (xv) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.32 करोड़)।
- (xvi) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 18.12 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग

- (ग) केंद्रीय सिल्क बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन, सांविधिक देय आदि के भुगतान के लिए वेतन सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 19.67 करोड़)। बराबर बचत उपलब्ध है। अतः सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (घ) (i) जूट तकनीक मिशन स्कीम के प्रतिबद्ध दायित्व को पूरा करने के लिए जूट तकनीक मिशन स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त निधि (₹ 39.67 करोड़)।
  - (ii) नई आयोजना स्कीम नामतः कर्मचारी हॉस्टल के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 15.00 करोड़)।
  - (iii) नई आयोजना स्कीम नामतः फ्लेटेड फैक्टरी-कम-इन्क्यूवरेटर्स के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 10.00 करोड़)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बराबर बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।

(ङ) (i) जूट पर उपकर के संग्रहण के खिलाफ जूट विनिर्माण विकास परिषद (राष्ट्रीय जूट बोर्ड) को भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 35.51 करोड़)।

- (viii) Additional requirement (Rs 0.10 crore) as Grants-in-aid General under the scheme Research & Development.
- (ix) Additional requirement (₹ 0.25 crore) as Grants-in-aid General under the scheme Human Resource Development.
- (x) Additional requirement (₹ 3.97 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the Scheme Research & Development Training Transfer of Technology & IT Initiative (Sericulture) for meeting the committed liabilities.
- (xi) Additional requirement (₹ 11.34 crore) as Grants-in-aid General under the Seed Organizations scheme (Sericulture) for meeting the committed liabilities.
- (xii) Additional requirement (Rs 2.26 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the Seed Organizations scheme (Sericulture) for meeting the committed liabilities.
- (xiii) Additional requirement (Rs 0.13 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the Co-ordination & Marketing Development (HRD) (Sericulture) scheme.
- (xiv) Additional requirement (₹ 89.30 crore) as Grants-in-aid for creation of Capital Assets under the scheme Catalytic Development Programme.
- (xv) Additional requirement (₹ 1.32 crore) as Grant in aid creation of capital asset under the scheme Catalytic Development Programme.
- (xvi) Additional requirement (₹ 18.12 crore) as Grant in aid creation of capital asset under the scheme Catalytic Development Programme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

- Additionality (₹ 19.67 crore)as Grant-in-aid Salaries for payment of salaries, statutory dues etc. to the employees of Central Silk Board. Matching savings are available. Hence, a token supplementary is sought.
  - (i) Additional funds (₹ 39.67 crore) as Grant-in-aid General under the scheme Jute Technology Mission for meeting the committed liabilities of the erstwhile Jute Technology Mission Scheme
  - (ii) Additional funds (₹ 15 crore) as in Grant-in-aid General under the New Plan Scheme namely Workers Hostel.
  - (iii) Additional funds (₹ 10 crore)as Grant-in-aid General under the New Plan Scheme namely Flatted Factory-cum-Incubators.

As matching saving are available under same section of grant, a token supplementary is sought.

(i) meeting the requirement (₹ 35.51 crore) as Grant-in-aidgeneral for payment to Development Council for Jute Manufacture (National Jute Board) against collection of cess on Jute.

(ii) भारतीय जूट निगम को प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए बाजार सहायता के लिए सब्सिडी हेतु अतिरिक्त निधि (₹ 6.59 करोड़) अपेक्षित है।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बराबर बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।

- (च) संचयी स्टॉक में से बिक्री किए गए हथकरघा कपड़े के मूल्य की तत्समय 10 प्रतिशत की विशेष छूट के प्रतिबद्ध दायित्व के समायोजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 14.72 करोड़)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बराबर बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (छ) सीसीईए द्वारा अनुमोदित पुनसज्जीवन आयोजना के शेष राशि के नाते बर्ड जूट और निर्यात लिमिटेड को वेतन व अन्य प्रशासनिक व्यय के भुगतान के लिए आवश्यकता (₹ 0.50करोड़)। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग से समान राशि का अभ्यर्पण किया जाएगा, सांकेतिक पूरक की मांग है।

(ii) Additional fund (₹ 6.59 crore) is required for subsidy to Jute Corporation of India toward market support for meeting committed liabilities.

As matching saving are available under same section of Grant, a token supplementary is sought.

- Additional requirement (₹ 14.72 crore) as Grant-in-aid General to set off the committed liability of erstwhile special rebate of 10% of the value of Handloom cloth sold out of accumulated stock. As matching saving are available under same section of Grant, a token supplementary is sought.
- (g) Requirement (₹ 0.50 crore) towards payment of Salary and Other Administrative Expenses of Birds Jute and Export Limited being the balance amount of the Revival plan approved by CCEA. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue section of the Grant, a technical supplementary is sought.

# पर्यटन मंत्रालय

#### MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: 1355.30 2 00 Voted: 1357.30 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 0.02 1.00 1.02 1358 32 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1355 32 3 00 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड भिन्न Plan Total Non-Plan REVENUE SECTION राजस्व भाग म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3452 - पर्यटन स्वीकृत: 3452 - Tourism Voted: 0.01 (कa) 0.01 3601 - राज्य सरकारों को सहायता स्वीकृत: 3601 - Grants-in-aid to State Governments Voted: 0.01 (खb) 0.01 ... जोड़ (राजस्व भाग) स्वीकृत: Total (Revenue Section) Voted: 0.02 0.02 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5452 - पर्यटन पर प्रंजी परिव्यय स्वीकृत: 1.00 (गc) 1.00 5452 - Capital Outlay on Tourism Voted: जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 1.02 1.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) केंद्रीय एजेंसियों को पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए सहायता स्कीम के तहत संयुक्त विकास रेलवे स्टेशन के लिए पर्यटन मंत्रालय का अंश रेल मंत्रालय को जारी करना (₹ 25 करोड़) (ii) उत्पाद/अवसंरचना के तहत गतव्य और सिर्किट के लिए जारी स्कीमों के संबंध में केन्द्रीय वितीय सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 60.00 करोड़). (iii)हुनर से रोजगार स्कीम और दो नए लेखा शीर्षों अर्थात घरेलू यात्रा व्यय व कार्यालयी व्यय के तहत स्थापना संबंधी व्यय पूरा करना (₹ 0.30 करोड़) चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) उत्पाद/अवसंरचना विकास के तहत गतव्य और सिर्कट के लिए जारी स्कीमों की अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 40 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) बुद्धिष्ठ केंद्रो के अधीन जेआईसीए सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं को भुगतान (₹ 1.50 करोड़) अनुदान के राजस्व भाग में बचतों (₹ 1 करोड़) के अभ्यर्पण के मद्देनजर और अनुदान के इसी भाग में बचत (₹ 0.50 करोड़) के उपयोग के बाद, इस व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

- (a) (i) releasing share of Ministry of Tourism to Ministry of Railways for joint development railway stations under the scheme Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development (₹ 25 crore) (ii) meeting additional expenditure under Central Financial Assistance on ongoing schemes under Product/ Infrastructure Development for Destination and Circuits (₹ 60.00 crore). (iii) meeting establishment related expenditure under the scheme of Huner se Rozgar (₹ 0.30 crore) and for opening of two new object heads of accounts i.e. Domestic Travel Expenses and Office Expenses. As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure on ongoing schemes under Product/ Infrastructure Development for Destination and Circuits (₹ 40 crore). As savings are available under same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) payment to consultants for JICA aided projects under Bhudhist Centres (₹ 1.50 crore). Taking into account the surrender of savings (₹ 1 crore) in the Revenue Section of the Grant, and after utilizing the saving (₹ 0.50 crore) within the same Section of the Grant, the expenditure will not entail any additional cash outgo.

# जनजाति कार्य मंत्रालय

#### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: भारित: Charged: 3782.23 3782.23 स्वीकृत: 443.71 70.00 513.71 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount अनुमान: now required: भारित: Charged: 74.35 74.35 स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 4300.30 70.00 4370.30 भारित: 3856.58 3856.58 Charged: स्वीकृत: Voted: 443.72 70.00 513.72 II. इस प्रक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड भिन्न Total Plan Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION

मुख्य शाष		MAJOR HEAD					
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(कa)		0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward					
अल्पसंख़्यकों का कल्याण		Classes and Minorities					
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	भारित:	3601 - Grants-in-aid to State Governments	Charged:	<i>74.35</i>	(खb)		74.35
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		74.36		•••	74.36
	भारित:		Charged:	74.35			74.35
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01

(a)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) "निम्न साक्षरता वाले जिलों में जनजाति लड़िकयों में शिक्षा का सुद्दीकरण" स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड)
  - (ii) "जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षक" स्कीम के तहत सामान्य सहायता अन्दान(₹ 1.00 करोड़)
  - (iii) "अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप" स्कीम के तहत छात्रवृत्ति (डीबीटी के तहत)(₹ 10.00 करोड़)
  - (iv) "उत्कृष्ट संस्थान/श्रेष्ठ शिक्षा स्कीम" के तहत छात्रवृत्ति (डीबीटी के तहत छात्रवृत्ति) (₹ 4.00 करोड़)
  - (v) नई स्कीम विश्व बैंक परियोजना जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में सुधार के तहत विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत ₹ 1.16 करोड़ की राशि मुहैया करना।
  - (vi) "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के मूल्य शृंखला विकास के माध्यम से गौण वन उत्पाद (एमएफपी) का विपणन तंत्र स्कीम के तहत सहायता अन्दान(₹ 5.65 करोड़)

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (i) Grants-in-aid General (₹ 2.00 crore) under the scheme "Strengthening of Education among ST Girls in Low Literacy Districts".
- (ii) Grants-in-aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme"Vocational Training in Tribal Areas".
- (iii) Scholarship (under DBT) (₹ 10.00 crore) under the scheme"Rajiv Gandhi National Fellowship for ST Students".
- (iv) Scholarship (under DBT) (₹ 4.00 crore) under the "Scheme of Institutes of Excellence / Top Class Education".
- (v) providing amount of ₹ 1.16 crore under different object heads under the new scheme - World Bank Project -Improving Development Programmes in the Tribal Areas.
- (vi) Grants-in-aid General (₹ 5.65 crore) under the scheme "Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of value Chain for MFP.

(b)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

- (ख) (i) "जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षक" स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)
  - (ii) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के मूल्य शृंखला के विकास के माध्यम से गौण वन उत्पाद (एमएफपी) का विपणन तंत्र स्कीम के तहत सहायता अनुदान (₹ 119.35 करोड़)

अनुदान के राजस्व-एकीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यपर्ण (₹ 74.35 करोड़) के मद्देनजर और अनुदान के उसी भाग के भीतर बचतों (₹ 47.00 करोड़) के उपयोग के पश्चात उपरोक्त व्यय से अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid General (₹ 2.00 crore) under the scheme "Vocational Training in Tribal Areas".
- (ii) Grants-in-aid General (₹ 119.35 crore) under the scheme "Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of value Chain for MFP.

Taking into account the surrender of savings (₹ 74.35 crore) available in the Revenue-Voted Section of the Grant, and after utilising the savings of (₹ 47.00 crore) within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

# अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.01				0.01
	स्वीकृत:		Voted:	2631.69		671.72		3303.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	122.27				122.27
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2753.97		671.72		3425.69
	भारित:		Charged:	0.01				0.01
	स्वीकृत:		Voted:	2753.96		671.72		3425.68
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	इय शीर्षों के अंत	र्गित दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for unde	er the follow	ing Majo	r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
संस्कृति मंत्रालय		Ministry of Culture						
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	0.01	(कa)			0.01
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs						
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(खb)			0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward						
अल्पसंख्यकों का कल्याण		Classes and Minorities						
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power						
2801 - वियुत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:			122.22	(गc)	122.22
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	-	Ministry of Road Transport and Highways						
3054 - सड़क और प्ल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01	(घd)			0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Č	Ministry of Rural Development						
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत:	2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01	(ਝe)			0.01
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	र्वीकृत:	2515 -Other Rural Development	Voted:	0.01	(चf)			0.01
	C	Programmes			` ,			
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.05		122.22		122.27
	5.,,,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) विज्ञान केन्द्र ऐड सोसाइटी को सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.90 करोइ)।
   अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के कारण सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
   (ख) अंडमान आदिम जयंती विकास समिति को (₹ 5.00 करोइ) तथा आदिवासी
- (ख) अंडमान आदिम जयंती विकास समिति को (₹ 5.00 करोड़) तथा आदिवासी परिषद को (₹ 2.25 करोड़) का सहायता अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराया।
- (a) meeting the additional expenditure towards Grants-in-aid General to Society for Science Centre. ( $\ref{thm:prop}$  0.90 crore)
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional Grants-in-aid General to Andaman Adim Janjati Vikas Samiti (₹ 5.00 crore) and to Tribal Council (₹ 2.25 crore).

- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के कारण सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) वियुत उत्पादन हेतु एचएसडी की खरीद हेतु ₹ 160.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण मद्देनजर और अनुदान के इसी भाग में Rs. 37.78 करोड़ बचतों के उपयोग के उपरांत, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।
- (घ) पीआरआई को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 1.70 करोड़)।
   अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के कारण सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ङ) पीआरआई को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 1.21 करोड़)।
  अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के कारण सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (च) पीआरआई को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 0.25 करोड़)।
   अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के कारण सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 160.00 crore for purchase of HSD for Power generation.
  - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 37.78 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (d) meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General to PRIs ( $\mathfrak{T}$  1.70 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General to PRIs (₹ 1.21 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General to PRIs ( $\stackrel{>}{\scriptstyle <}$  0.25 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# चण्डीगढ़

# **CHANDIGARH**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 देखिये)

(See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़
					Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Cha	arged:	19.93	0.05	19.98
	स्वीकृत:		\	√oted:	2922.51	549.12	3471.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the	ne amount now				
अनुमान:		required:					
-	स्वीकृत:		\	√oted:	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Supplemental	ry)		2942.44	549.18	3491.62
	भारित:		Cha	arged:	19.93	0.05	19.98
	स्वीकृत:		\	√oted:	2922.51	549.13	3471.64
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	। मनलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिख	गया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant	will be accounted for und	er the f	ollowing Major	Head:	
					आयोजना	आयोजना-	जोड़
					Plan	भिन्न	Total
						Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development					
4217 - शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4217 - Capital Outlay on Urba	an Development	√oted:		0.01	0.01
यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेरि	क्षेत है:		The supplementary gran	it is req	uired for:		
भ्-स्वामियों को बढ़ी ह्ई क्षतिपूर्ति के भुग		ण अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के	meeting additional ex	penditu	re on makir	ng payment of	enhanced
लिए (₹ 135.00 करोड़)।		"	compensation to the land	•		•	
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों क	ने देखते हए	सांकेतिक पुरक मांगा गया है।	Taking into account the		,	,	f the Grant.
3	3	, , , ,	a token supplementary is	•			,
			a tanan cappionicinally in	g.			

# लक्षद्वीप

# LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 123 देखिये)

(See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपय	Rupees	; in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	778.43	246.30		1024.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	ow				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.04			0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		778.47	246.30		1024.77
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेग	Γ:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for under tl	ne following M	lajor Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture					
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:		0.01	(कa)	0.01
2405 - मत्स्य पालन	स्वीकृत:	2405 -Fisheries	Voted:		0.01	(खb)	0.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare					
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:		0.01	(गc)	0.01
उच्चतर शिक्षा विभाग		Department of Higher Education					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	***	0.01	(घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		0.04		0.04
	·						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत लगभग 240 कर्मचारियों के वेतन व भत्तों हेतु वेतन सहायता अनुदान के तहत अपेक्षित निधि पूरा करना। (₹ 3.75 करोड़)
- (ख) पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत लगभग 130 कर्मचारियों के वेतन व भत्तों हेतु वेतन सहायता अनुदान के तहत अपेक्षित निधि पूरा करना। (₹ 1.25 करोड)
- (ग) पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत लगभग 200 कर्मचारियों के वेतन व भत्तों हेतु वेतन सहायता अनुदान के तहत अपेक्षित निधि पूरा करना।
   (₹ 2 करोड़)
- (घ) पंचायती राज्य संस्थानों में स्थानांतिरत लगभग 1200 शिक्षकों व गैर-शिक्षक कर्मचारियों के वेतन व भतों हेतु वेतन सहायता अनुदान के तहत अपेक्षित निधि पूरा करना। (₹ 24 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर प्रत्येक मामले में सांकेतिक प्रक मांगा गया है।

- (a) meeting the funds required under Grants-in-aid Salaries for pay and allowances of around 240 employees working under Panchayati Raj Institutions (₹ 3.75 crore).
- (b) meeting the funds required under Grants-in-aid Salaries for pay and allowances of around 130 employees working under Panchayati Raj Institutions (₹ 1.25 crore).
- c) meeting the funds required under Grants-in-aid Salaries for pay and allowances of around 200 employees working under Panchayati Raj Institutions (₹ 2 crore).
- (d) meeting the funds required under Grants-in-aid Salaries for pay and allowances of around 1200 teachers and non teaching employees transfered to Panchayati Raj Institutions (₹ 24 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementaries are sought in each case.

# शहरी विकास विभाग

# **DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 देखिये)

(See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

						(करोड़ रुपये	Rupee	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	44.42		26.00		70.42
	स्वीकृत:		Voted:	1281.29		6945.07		8226.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
_	भारित:		Charged:	11.87		21.70		33.57
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.01		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Supplementary)		1337.60		6992.78		8330.38
	भारित:		Charged:	56.29		47.70		103.99
	स्वीकृत:		Voted:	1281.31		6945.08		8226.39
	•	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम	नतिखित म्ख्य शीष	ीं के अंतर्गत वि	देखाया जाये	ोगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropria	tion will be accour	nted for und	er the follo	owing Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2216 - आवास	भारित:	2216 - Housing	Charged:			11.87	( <b>क</b> a)	11.87
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत:	2217 -Urban Development	Voted:	0.01	(खb)			0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		0.02		11.87		11.89
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	भारित:	4216 - Capital Outlay on Housing	Charged:			21.70	(घd)	21.70
	स्वीकृत:		Voted:			0.01	(ਝe)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)				21.71		21.71
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.02		33.58		33.60
	भारित:		Charged:			33.57		33.57
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रपति संपदा हेतु गौण निर्माण (₹ 5.87 करोड़) और किराया दरें और कर (₹ 6 करोड़)। अनुदान के राजस्व/स्वीकृत पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय से अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा;
- (ख) जीईएफ-विश्व बैंक से शहरी पिरवहन-सहायता में क्षमता निर्माण के तहत पेशेवर सेवा(₹ 5 करोड़),अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 1 करोड़) और जेएनएनयूआरएम को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.10 करोड़) का व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Minor works (₹ 5.87 crore) and Rent, Rates and Taxes (₹ 6 crore) for President's Estates. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- b) Meeting the expenditure of Professional Services (₹ 5 crore), Other Administrative Expenses (₹ 1 crore) under Capacity Building in Urban Transport-Assistance from GEF-World Bank and Grants-in-aid General of JnNURM (₹ 4.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) पूर्वीत्तर क्षेत्रों में जपापूर्ति में बढ़ोत्तरी के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (घ) राष्ट्रपति संपदा हेतु प्रमुख कार्य (₹ 21.70 करोड़)। अनुदान के राजस्व/स्वीकृत पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय से अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।
- (ङ) लोकसभा हेतु प्रमुख कार्य (₹ 40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचतें (e) उपलब्ध होने के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग है।
- Grants for creation of capital assets (₹ 1 crore) for Augmentation of Water Supply in North Eastern Areas. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Major Works (₹ 21.70 crore) for President's Estates. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
  - Major works of Lok Sabha (₹ 40 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# लोक निर्माण कार्य

# **PUBLIC WORKS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 और वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये ) (See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

					(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	1.03	1.00		2.03
	स्वीकृत:		Voted:	1469.49	558.25		2027.74
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:		25.00		25.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	0.01		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1470.53	584.26		2054.79
	भारित:		Charged:	1.03	1.00		2.03
	स्वीकृत:		Voted:	1469.50	583.26		2052.76
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under the	following Maj	or Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत:	2059 -Public Works	Voted:		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:		0.01	(खb)	0.01
परिव्यय							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) लेखा संगठन में प्रशिक्षण की लागत पूरा करना (₹ 0.10 करोइ)। अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।
- (ख) लोक सभा (₹ 50 करोड़) और उच्चतम न्यायालय (₹ 45 करोड़) के प्रमुख कार्य। अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग है।

- (a) meeting the cost of training in the Accounts organization (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Major Works of Lok Sabha (₹ 50 crore) and Supreme Court (₹ 45 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# जल संसाधन मंत्रालय

# MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 132 देखिये)

(See page 132 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

महाराष्ट्र में बोडवार्ड सिंचाई परियोजना को एक बार केंद्रीय सहायता के निर्गम (c)

हेतु नए लेखा शीर्ष खोलना (₹ 0.01 करोड़)।

(ग)

				•	,			(करोड़ रुपय	Rupees	in Crore)
						राजस्व		पूंजी		जोड़
						Revenue		Capital		Total
1. मूल उ	अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
		भारित:			Charged:			4.00		4.00
		स्वीकृत:			Voted:	1902.10		196.55		2098.65
इस सम	ाय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amo	ount						
अनुमान	<del>T</del> :		now required:							
		स्वीकृत:			Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूर	त्र और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			1902.13		200.55		2102.68
		भारित:			Charged:			4.00		4.00
		स्वीकृत:			Voted:	1902.13		196.55		2098.68
			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिनि	खेत मुख	त्य शीर्षों के अंतर्ग	न दिखाया जा	येगा:			
			II. This Supplementary Grant will be	accou	nted for under	the followin	g Major	Heads:		
						आयोजना		आयोजना-		जोड़
						Plan		भिन्न		Total
	-							Non-Plan		
राजस्व			REVENUE SECTION							
मुख्य १			MAJOR HEAD							
	वृहत और मध्यम सिंचाई	स्वीकृत:	2701 -Major and Medium Irrigation		Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
	राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Govern	nments	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूर	क)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)		Voted:	0.02		0.01		0.03
	2 26 )	,  ,  ,								
•••	क अनुदान निम्नितिखित हेतु				plementary gra					
(क)			तहत स्थापना संबंधी व्यय के लिए (ह		•	tional allo				related
			करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में		expenditure un				•	•
	बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक	पूरक मागा	गया है।	(₹	₹ 10 crore). As	s savings a	re availa	able within the	same S	ection of
				th	he Grant, a tok	en supplem	entary is	s sought		
(ख)			सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 4.45 (t	b) p	roviding Grant	s-in-aid- Ge	eneral to	National Inst	itute of F	łydrology
	., 5	सी भाग में व	बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा	(₹	₹ 4.45 crore). <i>i</i>	As savings	are avai	lable within th	e same S	Section of
	गया है।			th	he Grant, a tok	en supplem	entary is	s sought.		

crore).

opening of new heads of accounts for release of one time Central

Assistance for Bodward Irrigation project in Maharashtra (₹ 0.01

# महिला और बाल विकास मंत्रालय

#### MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 133 और वर्ष 2013-2014 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये ) (See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 20440.00 20440.00 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: 200.00 200 00 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 20640.01 20640.01 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना जोड भायोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2235 - सामाजिक स्रक्षा और स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare Voted: 0.01 (**क**a) 0.01 कल्याण यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: (क) (a)

- राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के यात्रा व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़)
  - मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी और खाली पदों के प्रावधान के कारण अतिरिक्त (ii) आवश्यकता पूरी करने हेत् राष्ट्रीय लोक निगम और बाल विकास संस्थान को वेतन सहायता अन्दान (₹ 2.31 crore)
  - (iii) पेंशन में बढ़ोत्तरी के कारण अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेत् राष्ट्रीय लोक निगम और बाल विकास संस्थान को वेतन सहायता अन्दान (₹ 0.38 करोड़)
    - अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (i) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement towards travel expenses of Chairperson and Members of National Commission for Women. (₹ 0.10
- (ii) Grants-n-aid salary to National Institute of Corporation and Child Development for meeting the additional requirement due to enhancement of DA and provision of vacant posts. (₹ 2.31 crore)
- Grants-in-aid General to National Institute of Public Corporation and Child Development for meeting the additional requirement due to enhancement of pension etc. (₹ 0.38 crore)
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2012-13 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है। Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2012-13.

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2013-2014 Budget Estimates 2013-2014	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appro- priation	टिप्पणियां Remarks		
1	2	3	4	5	6		
1.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय Ministry of Environment & Forests	2406.01.003.05.02.01 वेतन 2406.01.003.05.02.01 Salaries	2.30	0.95	वेतन की पूर्ति हेतु। To meet Salaries.		
		2406.01.003.05.02.27 लघु निर्माण कार्य 2406.01.003.05.02.27			अकादमी (आईजीएनएफए) के रख- रखाव के संबंध में व्यय पूरा करने हेतु।		
		Minor Works	1.00	0.79	To meet the expenses in connection with maintenance of the Academy (AIGNFA)		
		2406.01.005.01.00.06 चिकित्सा सुविधाएँ			मेडीकल उपचार के लंबित बिलों के निपयन हेतु		
		2406.01.005.01.00.06 Medical Treatment	0.08	0.10	For settlement of Pending bills of medical treatment.		
		2406.01.005.01.00.11 घरेलू यात्रा व्यय			अधिकारियों द्वारा अत्यधिक दौरा करने और ग्राउंड ट्रथिंग व वन/टीओएफ प्रविष्टी हेतु फील्ड के कारण		
		2406.01.005.01.00.11 Domestic Travel Expenses	0.50	0.15	Due to extensive touring done by the officers and field for ground truthing and forest/TOF inventory		
		2406.01.005.01.00.13 कार्यालयी व्यय 2406.01.005.01.00.13			लंबित बिलों के निपटान हेतु।		
		Office Expenses	1.00	0.40	For clearing the pending bills.		
		2406.01.101.02.00.02 पारिश्रमिक 2406.01.101.02.00.02 Wages	0.09	0.06	पारिश्रमिक संबंधी प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए To meet the committed expenditure on wages.		
		2406.01.101.02.00.06 मेडीकल चिकित्सा 2406.01.101.02.00.06			मेडीकल उपचार संबंधी प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए To meet the committed expenditure		
		Medical Treatment	0.14	0.08	on Medical Treatment		

		दानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
		2406.01.101.02.00.13			भंडार की मदें, विद्युत, टेलीफोन, पानी,	
		कार्यालय व्यय			पेट्रोल आदि के मूल्यों में बढ़ोत्तरी व	
					्र भुगतान हेतु लंबित बिलों के कारण	
		2406.01.101.02.00.13			Due to increase in prices of store	
		Office Expenses	1.08	0.36	items, electricty, telephone, water,	
		•			petrol etc and pending bills for	
					payment.	
		2406.01.101.02.00.20				
		अन्य प्रशासनिक व्यय			प्रतिबद्ध व्यय और लंबित बिलों के लिए	
		2406.01.101.02.00.20				
		Other Administrative Expenses	0.13	0.09	To meet the committed expenditure	
		•			& Pending Bills.	
		2406.02.110.05.06.21			एडवांस्ड प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए	
		आपूर्ति एवं सामग्री			कंप्यूटरों को बदलने के लिए	
		2406.02.110.05.06.21				
		Supplies & Material	0.14	0.16	For replacement of computers for	
					the advance training courses.	
		2406.02.110.05.06.27			केलोनिवि द्वारा लंबित सिविल व	
		लघु निर्माण कार्य			इलेक्ट्रानिक कार्यों हेतु	
		2406.02.110.05.06.27				
		Minor Works	0.20	0.25	For Pending Civil & Electrical	
					works by CPWD.	
		3435.01.001.01.00.02			नैमित्तिक मजदूर से काम लेने पर बिल	
		पारिश्रमिक			के भुगतान हेतु प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने	
					के लिए	
		3435.01.001.01.00.02			To meet committed expenditure for	
		Wages	0.11	0.03	payment of bill towards engagement	
					of casual labour.	
		3435.01.001.02.00.13			स्टेशनरी, टेलीफोन बिलों, उपस्कर आदि	
		कार्यालयी व्यय			की खरीद पर प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के	
		3435.01.001.02.00.13			लिए	
		Office Expenses	0.02	0.01	To most committed expenditure on	
		Office Expenses	0.02	0.01	To meet committed expenditure on stationery, telephone bills,	
					purchases of equipment etc.	
		3435.01.001.02.00.28				
		पेशेवर सेवाएं			सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करने लिए	
		3435.01.001.02.00.28				
		Professional Services	0.20	0.40	For deployment of police for security.	
		2425 04 024 02 02 02			पारिश्रमिक संबंधी प्रतिबद्ध व्यय के	
		3435.01.001.03.00.02 पारिश्रमिक			पारिश्रमिक संबंधी प्रतिबद्ध व्यय के लिए	
		पारिश्रामक 3435.01.001.03.00.02				
			0.21	0.06	To meet committed expenditure on Wages	
		Wages	0.21	0.00	Wages.	

		नुदानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLE	(करोड़ रुपए Rupe		
1	2	3	4	5	6
		3435.01.001.03.00.11			घरेलू यात्रा संबंधी प्रतिबद्ध व्यय पूरा
		घरेलू यात्रा व्यय			करने के लिए
		3435.01.001.03.00.11			To meet committed expenditure on
		Domestic Travel Expenses	0.06	0.02	Domestic Travel Expenses
		Bolliestic Travel Expenses	0.00	0.02	Domestic Haver Expenses
		3435.01.004.01.00.13			कार्यालयी व्यय पर प्रतिबद्ध व्यय पूरा
		कार्यालय व्यय			करने के लिए
		3435.01.004.01.00.13			To meet committed expenditure on
		Office Expenses	0.11	0.04	Office Expenses
		•			•
		3435.01.004.02.00.01			
		वेतन			वेतन पूरा करने हेतु।
		3435.01.004.02.00.01			
		Salaries	2.16	0.74	To meet Salaries.
		3435.01.004.02.00.02			पारिश्रमिक संबंधी प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने
		पारिश्रमिक			के लिए
		3435.01.004.02.00.02	0.16	0.05	To meet committed expnditure on
		Wages	0.16	0.05	Wages.
		3435.01.004.02.00.11			घरेलू यात्रा संबंधी प्रतिबद्ध व्यय पूरा
		घरेलू यात्रा व्यय			करने के लिए
		3435.01.004.02.00.11			To meet committed expnditure on
		Domestic Travel Expenses	0.25	0.18	Official tours.
		3435.01.004.02.00.13			कार्यालयी व्यय पर प्रतिबद्ध व्यय पूरा
		कार्यालय व्यय			करने के लिए
		3435.01.004.02.00.13			To meet committed expnditure on
		Office Expenses	1.38	0.49	Office Expenses.
		Office Expenses	1.30	0.49	Office Expenses.
		3435.01.004.03.00.01			
		वेतन			वेतन पूरा करने हेतु।
		3435.01.004.03.00.01			
		Salaries	0.48	0.42	To meet Salaries.
		3435.01.004.03.00.16			अनुसंधान पेपर और सर्वेक्षण रिपोर्ट के
		प्रकाशन			प्रकाशन हेतु
		3435.01.004.03.00.16	0.25	0.20	For publication of research papers
		Publications	0.25	0.20	and survey reports.
		3435.01.005.01.00.27			
		लघु निर्माण कार्य			कार्यालय भवन के रख-रखाव हेतु।
		3435.01.005.01.00.27			
		Minor Works	0.10	0.03	For maintenance of office building.
		3435.02.001.01.00.01			,
		वेतन			वेतन पूरा करने हेतु।
		3435.02.001.01.00.01			
		Salaries	1.00	0.40	To meet Salaries.

:	2				
		3	4	5	6
		3435.02.004.01.00.01			
		वेतन			वेतन पूरा करने हेतु।
		3435.02.004.01.00.01			Ci.
		Salaries	1.60	0.55	To meet Salaries.
					···
		3435.02.004.01.00.13			लंबित बिलों, बिजली टेलीफोन के लंबि
		कार्यालय व्यय			बिलों के भुगतान, पेट्रोल/डीजल के मूल्य में बढ़ोत्तरी के लिए
		3435.02.004.01.00.13			For payment of pending bills
		Office Expenses	0.70	0.45	electricity/telephone bills, hike i Petrol/Diesel Prices.
		3435.02.004.01.00.21			वैज्ञानिक यंत्र व रसायन आदि की खरी
		आपूर्ति एवं सामग्री			के लिए
		3435.02.004.01.00.21			For Purchase of scientifi
		Supplies & Material	0.55	0.30	instruments and chemicals etc.
		0.405.00.004.00.00.04			वैज्ञानिक यंत्र व रसायन आदि की खरी
		3435.02.004.02.00.21			के लिए
		आपूर्ति एवं सामग्री			,
		3435.02.004.02.00.21		0.40	For Purchase of scientifi
		Supplies & Material	0.35	0.10	instruments and chemicals etc.
		3435.03.003.03.02.06			
		मेडिकल चिकित्सा			अधिक मेडिकल दावों के कारण
		3435.03.003.03.02.06			
		Medical Treatment	0.03	0.02	Due to more medical claims.
		3435.03.003.03.01.13			बिजली दर में बढ़ोत्तरी और अधिक कंप्यूत
		कार्यालय व्यय			लगाने के कारण
		3435.03.003.03.01.13			Due to increase of electricity ra
		Office Expenses	0.28	0.12	and installation of more computer
		3435.04.103.14.06.21			
		आपूर्ति एवं सामग्री			आपूर्ति और सामग्री खरीदने हेतु।
		3435.04.103.14.06.21			For procurement of supply
		Supplies & Material	0.06	0.08	Materials.
		Supplies & Material	0.00	0.00	
		3435.60.800.06.02.11			टीईसी समिति की बैठक और दक्षि
		घरेलू यात्रा व्यय			सहयोग की बैठक आदि के व्यय पृ करने के लिए
		3435.60.800.06.02.11			*
		Domestic Travel Expenses	0.20	0.30	To meet expenses towards TE
		Domestic Haver Expenses	0.20	0.30	committee meeting and sou cooperation meeting etc.
		3435.60.800.06.02.50			टीईसी समिति की बैठक और दक्षि
		अन्य प्रभार			सहयोग की बैठक आदि के व्यय पृ करने के लिए
		3435.60.800.06.02.50			To meet expenses towards TE
		Other Charges	0.10	0.10	committee meeting and sou cooperation meeting etc.
		3451.00.090.29.00.06			मेडीकल उपचार के लंबित बिलों
		मेडिकल चिकित्सा			नेडाकल उपचार के लाबत ।बला निपटान हेतु

		( <b>क</b> र	रोड़ रुपए Rupe	ees in Crore	2)
1	2	3	4	5	6
		3451.00.090.29.00.06			For settlement of Pending bills of
		Medical Treatment	0.35	0.30	medical treatment
		5425.00.208.05.00.06			मेडीकल उपचार के लंबित बिलों के
		मेडिकल चिकित्सा			निपटान हेतु
		5425.00.208.05.00.06			For settlement of Pending bills of
		Medical Treatment	0.06	0.02	medical treatment
_	<u> </u>				
2.	वित्त मंत्रालय/	2038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मुख्य शीर्ष)			
	राजस्व विभाग	00.001-निदेशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)			आई.आर.एस. समूह के लिए इस समय
		03-राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क			चल रहे एम.सी.टी.पी. को सफलता पूर्वव
		और स्वापक औषधि अकादमी			पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शुल्क, उत्पा
		03.01-स्थापन (विस्तृत शीर्ष)			शुल्क और स्वापक औषधि अकादमी के
		03.01.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			समर्थ बनाना।
	Ministry of Finance/	2038-Union Excise Duties			
	<b>Department of Revenue</b>	(Major Head)			
		00.001-Direction and Administration			
		(Minor Head)			
		03-National Academy of Customs,			
		Excise and Narcotics (NACEN)			
		03.01-Establishment (Detail Head)			To enable NACEN to successfully
		03.01.20-Other Administrative			complete the currently ongoing
		Expenses	15.00	8.35	MCTP for IRS Group.
		2038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मुख्य शीर्ष)			
		00.001-निदेशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)			स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजन
		05-प्रचार और लोक सम्बंध निदेशालय			(वीसीईएस) के प्रचार अभियान के लिए
		(सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)			धनराशि की आवश्यकता थी।
					वनसारा का जावरवक्ता था।
		05.02-स्थापन (विस्तृत शीर्ष) <b>05.02.26-विज्ञापन और प्रचार</b>			
		2038-Union Excise Duties			
		(Major Head)			
		00.001-Direction and Administration			
		(Minor Head)			
		05-Directorate of Publicity &			
		<b>Public Relations (Customs</b>			Fund required for publicity
		and Central Excise)			campaign for Voluntary
		05.02-Establishment (Detail Head)			Compliance Encouragement
		05.02.26-Advertising & Publicity	30.00	5.00	Scheme (VCES).
3.	गृह मंत्रालय	ब.अ. 2013-14			वर्ष 2012-13 में वित्त मंत्रालय द्वारा वसूल
	·	2052.00.090.37.01.28			किए गए अनिवार्य कर के कारण व्यावसायिव
		व्यावसायिक सेवाएं			सेवाओं से संबंधित फाइलें स्वीकृत नर्ह
					की जा सकी तथा बैकलाग को वर्तमान
					वित्त वर्ष पूरा किया गया। अतएव इर
					शीर्ष में कमी रही।
	Ministry of	BE - 2013-14			
	Home Affairs	2052.00.090.37.01.28			Due to mandatory cut levied by
		Professional Services	1.27	1.70	M/o Finance, during the year 2012-
				1.70	13 files pertaining 'Professional
					Services' could not be cleared and
					the backlog is cleared in this curren
					_
					financial year. Hence there is

shorfall in this head.

		<u> </u>	ररोड़ रुपए Rupe		
1	2	3	4	5	6
١.	केबिनेट	ब.अ. 2013-14			डीपीजी में नवीकरण/आधुनिकीकरण कार्य
		2013.00.106.01.01.27			के लिए सीपीडब्ल्यू डी को भुगतान हेत्
		व्यावसायिक सेवाएं			अपेक्षित अतिरिक्त राशि।
	Cabinet	BE - 2013-14			The additional amount required fo
		2013.00.106.01.01.27			payment of CPWD for renovation
		Minor Works	0.75	1.40	modernisation works in DPG.
	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	ब.अ. 2012-13			कर्मचारियों के वेतन व भत्तों के आवश्यव
•	20 (111(14 4) 5) 4 -44	2235.60.200.01.00.50			वस्तुओं की कीमत में बढ़ोत्तरी के कारए
					घरों के रख-रखाव की लागत में बढ़ोत्तर
		अन्य प्रभार			के कारण
	Other Expenditure	BE - 2012-13			
	of MHA	2235.60.200.01.00.50			Due to increase in cost of
		Other Charges	0.08	0.02	maintenance of the Home due to rise inpay & allowances o employees & cost of essentia
					commodities.
	अंडमान एवं निकोबार	विद्युत मंत्रालय			
	द्वीप समूह	ु एमएच-4801 विद्युत पर पूंजीगत			
	S	परिव्यय			
		सब हेड-01 विद्युत संयंत्र एवं अनुषंगी			पोओएल की खरीद पर व्यय को पूरा करन
		निर्माण कार्य (आपूर्ति एवं सामग्री)			
	Andaman and Nicobar	Ministry of Power			
	Islands	MH-4801 Capital Outlay on Power			
	Islands	Sub Head -01 Power Plant and			
					To most the symanditums of
		Anciliary Works (Supplies and Materials)	5.70	19.95	To meet the expenditure of purchase of POL.
		विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग			
		एमएच-2202 सामान्य शिक्षा			
		सब हेड-02 प्राथमिक शिक्षा			वेतन संबंधी व्यय को पूरा करना।
					परान संबंधा व्यय यम पूरा यमसा।
		Department of School			
		Education and Literacy			
		MH-2202 General Education	171.04	<b>5.5</b> 0	T
		Sub Head-02 Primary Education	171.84	5.58	To meet the expenditure on Salarie
		पोत परिवहन मंत्रालय			प्रचालनात्मक व्यय, क्रू भुगतान, महाद्वी
		एमएच-3052 शिपिंग			द्वीपपोत के संबंध में आईओसी तथा सीपी
		02 महाद्वीप-द्वीप पोत के			को भुगतान विषयक व्यय को पूरा करन
		प्रचालनात्मक प्रभार			
		सब हेड-04 अंतः द्वीप पोत के			
		प्रचालनात्मक प्रभार			अंतः द्वीप तथा फोरशोर सेक्टर में समु
		एमएच-5052 शिपिंग पर पूंजीगत			यात्रा बढ़ने के कारण पीओएल व्यय व
		परिव्यय			पूरा करना।
		सब हेड-01 पोत खरीद			प्रशासनिक पोत निर्माण हेतु स्टेज भुगता
					को पूरा करना के लिए व्यय को पूरा करन
		एमएच-5052 शिपिंग पर पूंजीगत परिव्यय			यात्रा बढ़ने के कारण पीओएल व्य पूरा करना। प्रशासनिक पोत निर्माण हेतु स्टेज भु

		दानों की पूरक मांगें 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6		
		Ministry of Shipping			To meet the expenditure of		
		MH-3052 Shipping			operational expenses, Crev		
		Sub Head-02 Operational Charges			payment, payment to IOC and CP'		
		of Mainland-Islands Vessels	46.05	10.00	in respect of mainland-island vesse		
		01 11 <b>-41114110</b> 151411 <b>0</b> 5 (-655615	.0.00	10.00	The spect of manifestation (esse		
		Sub Head-04 Operational Charges			To meet the expenditure of POL du		
		of Inter-Islands Vessels	128.80	20.00	to increase of voyage in Inter-Islan and foreshore Sector		
		MH 5052 Capital Outlay on					
		Shipping			To meet the expenditure for making		
					stage payment for construction of		
		Sub Head-01 Purchase of Ships	81.25	7.60	Administration's Vessel.		
		शहरी विकास मंत्रालय					
		एमएच-4216 आवास संबंधी पूंजीगत					
		परिव्यय परिव्यय			विभिन्न द्वीपों में सरकारी क्वांटरों के निर्मा		
		सब हेड-05 बिल्डिंग			संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		
		Ministry of Urban Development			•		
		MH-4216 Capital Outlay on			To meet the additional expenditure		
		Housing			on construction of Govt. quarters		
		Sub Head-05 Building	9.41	4.45	different Islands.		
		Sub Head-05 Building	7.41	4.43	different islands.		
	एड्स नियंत्रण विभाग	2210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य					
		06101 रोग रोकथाम व नियंत्रण					
		3317 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण					
		कार्यक्रम-वैश्विक निधि सहायता प्राप्त					
		परियोजना (ईएसी) को अनुदान			निधि की वर्धित आवश्यकता पूरी करने हे		
		331726-विज्ञापन एवं प्रचार			पुनःविनियोजन किया गया।		
	Department of AIDS	2210 Medical and Public Health			3		
	Control	06101 Prevention and Control of					
		Deseases					
		3317 National AIDS Control					
					Do ammoniation comical out t		
		Programme-Grants to Global			Re-appropriation carried out to		
		Fund Assisted Project (EAC)	<b>7</b> .00	15.00	meet out the increased requirement		
		331726 Advertising and Publicity	5.00	15.00	of fund.		
		2210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य					
		06101 रोग रोकथाम व नियंत्रण					
		3325 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण					
		 कार्यक्रम-अन्य व्यय (जीसी)					
		2210 Medical and Public Health					
		06101 Prevention and Control of			निधि की वर्धित आवश्यकता पूरी करने हे		
					पुनःविनियोजन किया गया।		
		Deseases			पुरानपाचवाजन ।कथा गया।		
		3325 National AIDS Control					
		Programme-Other Expenses (GC)			Re-appropriation carried out to		
		332526-Advertising and Publicity	60.00	70.00	meet out the increased requireme		
					of fund.		